खण्ड-448, अंक-5
गुरुवार, 23 माघ, शक संवत् 1925
(12 फरवरी, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
एस0 टी0 एफ0 के उपाधीक्षक द्वारा अराजक तत्वों एवं राजनैतिक दबाव में त्याग-पत्र दिये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	2-36
कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 को मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	36
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	36
मेरठ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गंगा नगर में स्थापित बिजली घर के पूरी क्षमता से कार्य न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में स्थित परसनी ग्राम में विद्युत उप सब-स्टेशन की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद गाजीपुर के सैदपुर में ग्राम-बिलहरी में मकान गिरने से हुई मृत्यु तथा मृतक आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
लखनऊ के न्यू हैदरगंज वार्ड भमरौली शाहपुर में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान द्वारा "कारकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट" को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
इलाहाबाद नगर में बढ़े हुए गृह कर का मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
जनपद जालौन के कालपी में हाथ कागज निर्माताओं द्वारा व्यापार कर आरोपित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में सायंकाल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपदीय बैठकों को आमंत्रित जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठकों की अध्यक्षता किये जाने के निर्देश का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	39-40
अनपरा-सी योजना का शिलान्यास मा0 मुख्य मंत्री द्वारा किये जाने विषयक जानकारी गत सत्र में सदन में परिवहन मंत्री द्वारा दिये जाने तथा बजट भाषण में निजी क्षेत्र में देने की घोषणा में विरोधाभास पर औचित्य का प्रश्न ...	40-42
नियम-51 की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर भी शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	42-43
नियम-311 के अन्तर्गत सूचना ...	43

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भग्गड़वा बाजार में विकास खण्ड हुजूरपुर में अध्यापकों की व्यवस्था कराने विषयक श्री रण विजय सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	43
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	43-44
तात्कालिक सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार दिनांक 25 मार्च, 1992 को पूछे गये अता0 प्र0 सं0-17 के उत्तर पर तत्कालीन कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णयानुसार निदेश सं0-166 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही तथा संशोधित उत्तर	44-48
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	48-63
उ0 प्र0 राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 ..... (पारित) ...	63-70
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	70-101
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	101-102
श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय परम्पराओं के पालन के लिए मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाना	102
जनपद सीतापुर के थाना इमलिया, सुल्तानपुर के पुलिस चौकी इन्चार्ज द्वारा श्री चन्द्रिका प्रसाद लोनिया के साथ मार-पीट एवं अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में श्री राम हेत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	102-103
जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	103-105
जनपद फतेहपुर में विधायक निधि का बिना विधायक की संस्तुति के गलत ढंग से प्रयोग किये जाने विषयक श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	105
जनपद आजमगढ़ में हेकमा-जौनपुर सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के दवा व्यापारियों के सेल्समैन श्री मनोज दीक्षित व अनिल सक्सेना के लापता होने और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	105-106
जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्फागंज मार्ग पर पुल का निर्माण रोक दिये जाने के विषयक श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	106
डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, हजरतगंज, लखनऊ के छात्रावास अर्धाक्षक द्वारा छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	106-107
जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर की ग्राम सभा भियांव में रास्ते की पैमाइश होने के बावजूद भी, रास्ता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री काशीराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	107-108
जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में अप्पूघर निर्माण में हजारों करोड़ रुपये का घपला के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	108-109

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-349

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कार्शीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गार्जापुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा

देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फर्साहा बर्शार, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहापुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाटी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद

प्रेस ट्रस्ट लिमिटेड सभा

वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शर्चान्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर	हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री)
श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री)
श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) तथा
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, 12 फरवरी, 2004

एस0 टी0 एफ0 के उपाधीक्षक द्वारा अराजक तत्वों एवं राजनैतिक दबाव में त्याग-पत्र दिये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज हमने नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। यह एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना चयनित हो गयी है और जब वह अपने क्रम से आयेगी तब सुन लेंगे। अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज जिस तरीके से सरकार का अपराधीकरण हो रहा है, गुण्डे, माफिया लोग सरकार पर हावी होते जा रहे हैं उससे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है।

(बसपा के विधायकगण नारे लगाने लगे)

आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। दिन पर दिन जंगल राज बढ़ता जा रहा है। आज अधिकारी मजबूर होकर इस सरकार के दबाव में आकर इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी कृपया शान्त रहें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[***]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, [***]

(बसपा के विधायकगण सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि 'जंगल राज नहीं चलेगा-नहीं चलेगा')

श्री अध्यक्ष-

यह सदन के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा है कि वह सूचना चयनित हो गयी है और जब उसका क्रम आयेगा तब उस पर सुन लिया जायेगा। मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 ले लिया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां) ने उत्तर पढ़ा तत्पश्चात् श्री चन्द्र देव यादव, श्री अनिल कुमार तथा श्री आर0 एस0 कुशवाहा के साथ ब0 स0 पा0 के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर प्रकरण है, पहले इस पर चर्चा करा लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, कृपया आप बैठ जायें, आपकी सूचना स्वीकृत कर ली गयी है नियम-56 में हमने पहले भी कहा था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं तो जो भी पीठ के निर्देश होते हैं उनको मानता हूं और उनका पालन करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह विषय बहुत ही गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन में इसकी सूचना है, जब समय आयेगा, तब कह लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह सरकार न तो जनता के हितों की रक्षा कर पा रही है, न तो काम करने की स्थिति में ही रह गयी है प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कोलैप्स कर रही है, मैं कहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें और इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि इस सदन को चलने दें, कार्य-स्थगन में इसकी सूचना है, जब समय आयेगा, तब इस पर चर्चा हो जायेगी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रश्नोत्तर

परिवहन निगम की कार्यदक्षता में सुधार लाने हेतु योजना

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा सार्वजनिक परिवहन एवं यातायात के सुधार के बारे में कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

समय-समय पर परिवहन निगम की कार्यदक्षता में सुधार लाने तथा उसके संचालन को जनोन्मुखी बनाने हेतु योजना क्रियान्वित की जाती है। अतः स्थाई समेकित कार्य योजना नहीं है, वरन् यात्रियों की सुविधा एवं निगम की लाभदायकता के दृष्टिगत नवीन व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाती हैं।

प्रदेश की जनता को सीधी, समन्वित व पर्याप्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नवत् कार्यवाही निर्धारित की गयी है :-

1-प्रमुख कस्बों को जिला मुख्यालय से जोड़ना।

2-व्यावसायिक, पर्यटक/महत्वपूर्ण स्थानों की अन्तर्सम्बद्धता के साथ प्रदेश एवं देश की राजधानी से जोड़ना।

3-प्रत्येक मार्ग पर यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न प्रकार की सेवायें यथा स्थान-स्थान पर रुकने वाली, कम किराये की जनता सेवायें, द्रुतगामी पवन सेवायें, अधिक आरामदायक हिमानी/शीतल गोल्ड/शीतल वातानुकूलित सेवाओं का संचालन।

4-अनधिकृत संचालन पर रोक लगाकर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर समयबद्ध व समुचित सेवायें उपलब्ध कराना।

5-प्रतिवर्ष निगम के बस बेड़े में 800 नयी बसें सम्मिलित करना ताकि बस बेड़ा सुदृढ़ रहे। जनता को आरामदायक बसों की सुविधा, सुलभता हेतु निम्न प्रकार की बसों का निर्माण :-

(1) समस्त बसें ट्यूबलर स्ट्रक्चर पर बस बाडी बनाना जिससे बसों में "रैटलिंग" में कमी आ सके।

(2) बसों में आरामदायक सीटें लगाना ताकि यात्रा अधिक आरामदेय हो सके।

(3) बसों का आनरोड प्रतिशत 95, प्राप्त करना।

(4) दैनिक यात्रियों के लिए मासिक पास योजना।

(5) बस स्टेशनों में मूलभूत एवं पर्याप्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था।

(6) नये बस स्टेशनों का निर्माण।

(7) मार्गों पर प्रतीक्षारत यात्रियों की सुविधा हेतु बस शेल्टर्स का निर्माण।

(8) निगम कार्यों में दक्षता अभिवृद्धि हेतु कम्प्यूटर प्रयोग का विकास। प्रथम चरण में सभी डिपो में कम्प्यूटरीकरण एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं में इन्वेन्ट्रीय मैनेजमेंट का विकास।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर काफी बड़ा है, इसलिए इसको पढ़ा मान लेते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्न था कि क्या सरकार बसों द्वारा सार्वजनिक परिवहन एवं यातायात के सुधार के बारे में कोई कार्य योजना बनायेगी ? शासन ने उत्तर दिया है कि कोई स्थाई समेकित कार्य योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की बसों द्वारा जनता के आने जाने और उनकी सुख-सुविधा और उनकी अन्य मूलभूत शेष सुविधाओं और उनकी व्यवस्था के लिए कोई स्थाई समेकित योजना नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर कोई स्थाई समेकित कार्य योजना नहीं है तो जनता को सीधी, समन्वित व पर्याप्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने, यातायात को सुधारने के लिए कोई अन्य योजना तय की गयी है ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्हें लाभ दिलाने के लिए व्यवस्था की जाती है या जन हित में अच्छी, सुख-सुविधा के लिए यात्रा की व्यवस्था की जाती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, विद्वान सदस्य मेरठ, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कहा है कि क्या सुख-सुविधा का ध्यांन परिवहन रखता है जनता का, मान्यवर, परिवहन विभाग इसीलिए बसें संचालित करता है कि उत्तर प्रदेश की साढ़े सत्रह करोड़ जनता को उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षित समयबद्ध एवं आराम से उन्हें अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। मान्यवर, इससे आप सहमत होंगे कि विगत कुछ दिनों में परिवहन निगम में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। मान्यवर, परिवहन निगम घाटे में चलता था और इधर प्रयास करके परिवहन निगम में 21 करोड़ रुपये पिछले साल के मुकाबले में लाभ हुआ है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

लेकिन आपका एकाउण्ट तो घट गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, एकाउण्ट में हेराफेरी नहीं होती है, पहले मान्यवर मैं लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को बताना चाहता हूं कि मैंने चार तरह की सेवा प्रारम्भ किया है एक तो साधारण सेवा है, मान्यवर, इसमें ट्रैवलर की तरह की बाडी दी गयी है, जिसकी वजह से जो पहले बसों में खड़खड़ाहट होती थी अब वह नहीं होगी, उसको सही कर दिया गया है और समयबद्ध सारणी के अनुसार वह अपने गन्तव्य स्थान की ओर चले। मान्यवर, लगभग 38 जिलों में लखनऊ से 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए पवन सेवा चलाई है जो साधारण किराये पर नियत समय पर और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इन जिलों में पहुंचती है और लखनऊ भी आती है। मान्यवर, इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एक सुविधा और भी कराई है कि इस साधारण किराये में लेटने वाली 44 सीटों की भी व्यवस्था कराई है।

मान्यवर, हमने जनता सेवा प्रदेश में शुरू की है, जो लगभग 30 प्रतिशत साधारण किराये से भी कम में यह जनता सेवा रायबरेली से लखनऊ और रायबरेली से कानपुर प्रारम्भ की गयी है और इसको पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे लागू करने की कार्य योजना है।

मान्यवर, दूसरे हमने यह किया है कि इस वर्ष लगभग 800 से 1000 नई बसों को लाने के लिए प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, चूंकि हमारा बेड़ा बहुत पुराना हो गया है और 10-10 साल से पुरानी बसें जर्जर हालत में हमारे बेड़े में थीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले दो साल के अन्दर पूर्णतः परिवहन निगम की सभी बसें नई हो जायं या ऐसी हो जायं जिससे यात्रियों को सुविधाजनक तर्राके से अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में कठिनाई न हो। मान्यवर, यह भी कर दिया गया है कि जो नई बसें आ रही हैं उसमें स्टेपनी और जैक की व्यवस्था रहेगी, जो पहले की बसों में नहीं रहती थी, ताकि यदि कहीं पर टायर पन्चर हो जाय तो तत्काल उसको वहीं पर बदल कर यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए।

मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। मान्यवर, जनवरी में 48 लाख रुपये का निगम को फायदा हुआ है। यह विगत में 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। मान्यवर, पिछले वर्ष जनवरी तक निगम को 7 करोड़ 22 लाख रुपये की हानि हुई थी। मान्यवर, परिवहन निगम की बसों में वर्ष 2000-2003 तक औसतन करीब 50 करोड़ किलोमीटर बसें चली थीं अप्रैल से जनवरी तक, इस वर्ष प्रथम 10 माह में 57.8 करोड़ यात्रियों ने हमारी बसों से यात्रा की है। विगत कई सालों

की तुलना में आप देखें तो लगभग 8 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हमारी बसों में यात्रा की है। इसका मतलब यह है कि हमारी बसों की सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं और इसीलिए साधारण यात्री भी हमारी बसों की ओर यात्रा करने के लिए आकर्षित हुए हैं। मान्यवर, इसी के साथ व्यवस्था की गयी है, मैं अप्रैल से जनवरी तक का एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2000 में 26.8 करोड़, 2001 में 24.5 करोड़ .....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न जनसुविधा का पूछा था, मैंने यह नहीं पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी पूरा उत्तर दे रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं कार्य योजना के बारे में बता रहा हूं। आपने पूछा था कि कार्य योजना है या नहीं ? आपने पूछा तो मैंने बताया कि चार तरह की सेवा चलाई गयी है। मैंने यह बताया कि जो हमने चलाया है उसका सीधा-सीधा लाभ जनता को मिला है, इसलिए जनता हमारी बसों की ओर आकर्षित हुई है, मैंने यह आंकड़ा इसीलिए बता दिया। जो कार्य योजना बनायी गयी उसकी वजह से परिवहन निगम को लाभ भी हुआ है और ज्यादा जनता हमारी बसों से चलने के लिए आकर्षित भी हुई है। मैंने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश में लोगों को आराम से अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ए0 सी0 बसों का संचालन हमने किया है। यह पहली बार हुआ है कि अपने गन्तव्य स्थान तक, ए0 सी0 बस में गन्तव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। यह कार्य योजना हमने बतायी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने लिखित उत्तर में कहा है कि कोई समेकित स्थाई कार्ययोजना नहीं है जो कुछ बताया है उसमें कहा कि अपनी कार्ययोजना बता रहा हूं। अगर यह सब है तो मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन तब फिर उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी कि स्थाई समेकित कार्ययोजना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर का दूसरा अंश निगम की लाभदायिकता के दृष्टिगत नवीन व्यवस्थायें सुनिश्चित की हैं तो उसी में दे दिया कि कितना लाभ हुआ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने लाभ का नहीं पूछा है मैंने केवल जनसुविधा का पूछा है। रोडवेज फायदे में चले या न चले मेरी प्राथमिकता है कि जनता सुविधा से गन्तव्य तक पहुंचे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से जितने यात्री अपने घरों से निकलते हैं उनमें कितने गन्तव्य तक पहुंच पाते हैं, दूसरे मार्गों में खड़ी होने वाली बसों का क्या प्रतिशत है ? आपने स्टेपनी और जैक का कर दिया, पंचर का सामान तो सड़क के किनारे की दुकानों से और दूसरों से भी मिल जाता है, अन्य कारणों से फेल होने वाली बसों का प्रतिशत क्या है और उसमें परेशान होने वाले यात्रियों का प्रतिशत क्या है और उनकी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, विद्वान सदस्य ने यह पूछा कि कितने प्रतिशत यात्री हमारी बसों से चलते हैं तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि केवल 21 प्रतिशत नेशनलाइज रूट पर परिवहन निगम चलता है

और बाकी पर जनता के द्वारा अलग से बस संचालित होती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वह बस चलती है। उसे हम नहीं चलाते हम केवल 21 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चलाते हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अगर 100 आदमी पहुंचते हैं तो इसमें से कितने आपके द्वारा उठाये जा रहे हैं और कितने डग्गामारी से, जुगाड़ से और अन्य माध्यमों से उठाये जा रहें हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह इनके प्रश्न में नहीं था लेकिन मैं इसे बता दूंगा। जहां-जहां राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चल रही हैं उसमें से 80 फीसदी यात्री हमारी बसों के द्वारा अपने गन्तव्य स्थानों पर जा रहे हैं और 20 प्रतिशत ऐसे हैं, मान्यवर, पूर्व में वह तमाम डग्गामारी के द्वारा, नाजायज बस के संचालन के द्वारा लोग बसें चला रहे थे इसमें हमने अगुवाई की है और यह काफी हद तक रुका है जैसे इलाहाबाद से बनारस तक जो तमाम बसें चलती थीं उसको हमने रुकवाया है। इसी तरह से अभी फैजाबाद में, प्रतापगढ़ में, सहारनपुर की तरफ हुकुम सिंह जी ने चलवा दिया था, जुगाड़ चलवा दिया था, इसको पूरे प्रदेश में ठीक करवाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक दुनिया में कहीं भी जुगाड़ नहीं चला है। मैं रोड ट्रांसपोर्ट की मीटिंग में गया .....

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

हमने जुगाड़ किया था, वह तो चला नहीं, लेकिन आपका जुगाड़ तो चल गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

हम उसको चलने नहीं देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समेकित विकास योजना आपने बताया कि नहीं है, इसका कारण यह है कि क्या परिवहन निगम को बेचने की कोई योजना है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

पिछले कई वर्ष में घाटा होने के कारण हमारे जो निगम के कर्मचारी थे, उनको प्रावीडेंट फण्ड तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पा रहा था, लेकिन पिछले एक साल के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि ग्रेच्युटी और प्रावीडेंट फण्ड बनवा दिया गया है और उसका भुगतान कराया जा रहा है। अभी ब्यूरो आफ इण्टरप्राइज ने आदेश कर दिया था कि चूंकि निगम घाटे में है, इसलिए पेंशन योजना लागू नहीं होगी। मेरा प्रयास होगा कि निगम को फायदे में लाकर, जैसे ही हम इसको फायदे में ले आयेंगे, इस पर हम विचार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। कोई आदेश विभाग द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है कि जो जुगाड़ चल रहा था, उसको बन्द करने के आदेश आपके यहां से हुए हैं, आपकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है ? दूसरा प्रश्न है कि आपने निगम के फायदे का उल्लेख किया है, यह वित्तीय वर्ष को लेकर किया है या किसी समय विशेष का उल्लेख है। जनवरी 2003 से लेकर अब तक का लाभ बताया है या यह किसी समय विशेष का उल्लेख है या पूरे वित्तीय वर्ष का है ? मार्च 2003 से सितम्बर तक कितना फायदा है और उसके बाद का कितना फायदा हुआ है, यह बता दें ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैंने बताया कि 21 करोड़ रुपये इस साल में परिवहन निगम को पिछले साल की तुलना में ज्यादा मिला है, यह कार्य पहली बार हुआ है कि परिवहन निगम ने 21 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

श्री हुकुम सिंह-

सितम्बर के पहले का और सितम्बर के बाद का बता दें ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह सितम्बर के बाद का है। सितम्बर के पहले घाटा था और सितम्बर के बाद लाभ अर्जित किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

यह सूचना गलत है, मैं विशेषाधिकार उल्लंघन की सूचना देता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

कितने लाख, कितने हजार, का घाटा है और कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार का फायदा हुआ है, यह अलग-अलग बता दें ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के प्रश्न को देख लें, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख किया हो, तब तो ठीक है। जब इन्होंने उल्लेख ही नहीं किया तो भी मैंने बता दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह बता दिया कि सितम्बर के बाद फायदा है, उसके पहले घाटा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह कह दें कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। हुकुम सिंह जी के प्रश्न का उत्तर देना तो स्वीकार कर लिया। अब यह बता दें कि सितम्बर के पहले कितना घाटा था और सितम्बर के बाद कितना प्राफिट हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

यदि आंकड़े हों तो बता दीजिए और यदि नहीं हों तो कोई बात नहीं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इस साल जनवरी तक 48 लाख रुपये का फायदा हुआ है और उसके पहले घाटा था। मैंने आपको आंकड़े भी बता दिये हैं उन आंकड़ों के अनुसार ...

श्री हुकुम सिंह-

यह आंकड़ों की जगलरी दिखा रहे हैं। बसों की संख्या पर बतायें क्या पुरानी बसें रिपेयर हो करके आ गयी है ? मैंने पहले ही कहा था कि यह आंकड़े जो पेश कर रहे हैं कि पहली अप्रैल, 03 से वित्तीय वर्ष का फायदा 48 लाख रुपये का है। इसमें सितम्बर महीने के पहले तक की कितनी आमदनी है और उसके बाद की कितनी आमदनी है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूं ? मैंने बार-बार बताया कि सितम्बर के पहले 10 लाख तक घाटा था और पहली बार सितम्बर के बाद 48 लाख रुपये का फायदा हुआ है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मंत्री जी ने कई योजनाएं बतायी हैं, बस स्टेशनों में मूलभूत पर्याप्त यात्री सुविधाओं की .व्यवस्था के बारे में। मान्यवर, प्रदेश के अनेक स्थानों में कोई सुविधा नहीं है। इलाहाबाद बस स्टेशन पर शौचालय पीने के पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के जहां-जहां पर बस स्टेशन हैं वहां पर इसकी व्यवस्था करायी जाय। बसों के आवागमन में समय-सारिणी नाम की कोई चीज नहीं है, इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई व्यवस्था मंत्री जी करेंगे। मेरा एक और प्रश्न कि रोडवेज की बसों को ठीक करने के लिए जो वर्कशाप हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, कोई बस वहां पर जाती है तो कितने दिनों में ठीक होगी इसकी कोई सीमा नहीं है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य, गौर साहब इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इन्हीं की विधान सभा में बस अड्डा है। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गौर साहब कभी उस बस अड्डे के अन्दर नहीं गये हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं वहां पर गया हूं, वहां पर पानी भरा हुआ है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, उस बस अड्डे में शौचालय बना हुआ है और पानी पीने के लिए दो हैण्डपम्प लगे हुए हैं। मैं वहां पर स्वयं गया था इसलिए मैं गौर साहब को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद के बस अड्डे के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। नवाब यूसुफ रोड का बंगला मिलने वाला है, वह मिल जायेगा तो दो एकड़ जमीन और ले करके उस बस अड्डे को अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की हमारी कार्ययोजना है। आपने कहा कि समय-सारिणी का पालन नहीं होता है। हर बस समय-सारिणी के अनुसार पहुंचेगी। जो पवन सेवा और ए0सी0 बसें चलायी गयी हैं उनकी व्यवस्था है कि समय-सारिणी के हिसाब से कितने बजे चलीं और कितने बजे पहुंचीं, इसका रोज का रोज लेखा-जोखा हमारे पास आ जाये और जो वर्कशाप की बात आपने बतायी है, उनको भी सुधारने की कार्ययोजना बनायी गयी है और उस पर भी कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, सभी माननीय विधायकों को मालूम है कि राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसों में उनके द्वारा यात्रा निःशुल्क अनुमन्य है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जैसाकि माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि ए0सी0 बसें चलायी गयी हैं। मुझे ए0सी0 बस से यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बनारस से ए0सी0 बस में लखनऊ के लिए बैठा। थोड़ी दूर जाने के बाद कण्डक्टर ने कहा कि पैसे लाईये, तो मैंने उससे कहा कि विधायकों को परिवहन निगम की बसों में एक सहायक के साथ यात्रा निःशुल्क अनुमन्य है। लेकिन वह संतुष्ट नजर नहीं आया और पैसा मांगता रहा तो मुझे लगा कि अपनी प्रतिष्ठा इसी में है कि पैसे दे दें। लेकिन मेरे पास मोबाइल था तो मैंने कण्डक्टर से कहा कि अगर किसी अधिकारी का फोन नम्बर तुम्हारे पास हो तो फोन करके पूंछ लीजिए कि विधायक को एक सहायक के साथ निःशुल्क यात्रा अनुमन्य है या नहीं ? संयोग से उसके पास ए0आर0एम0 का नम्बर था। जब उसने मोबाइल मिलाया तो उन्होंने बताया कि एक सहायक के साथ विधायक जी को निःशुल्क यात्रा अनुमन्य है। तब जाकर मुझे यात्रा करने की अनुमति मिली। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि

सारे आर0एम0, ए0आर0एम0 को दिशा निर्देश दे दें कि वह बस कण्डक्टरों को इसके बारे में बता दें जिससे सारे लोगों को जानकारी हो जाय और मेरी जैसी असहज स्थिति किसी अन्य माननीय सदस्य की न हो ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मंत्री जी आवश्यक निर्देश दे देंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पर्यटक स्थलों को विकसित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पर्यटक स्थल विकसित करने में केन्द्र सरकार का उसमें योगदान कितना है ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से पर्यटकों की भिन्न-भिन्न अभिरुचियों के अनुरूप निम्न यात्रा परिपथों को चिन्हित किया गया है :-

1-बौद्ध परिपथ
2-बुन्देलखण्ड परिपथ
3-विन्ध्य परिपथ
4-ब्रज परिपथ
5-अवध परिपथ
6-वन्य जन्तु इको टूरिज्म तथा एडवेन्चर परिपथ
7-वाटर क्रूज परिपथ

उक्त परिपथों के विकास हेतु अनेक योजनायें पर्यटन विभाग की दशम पंचवर्षीय योजना 2002-07 के प्रारूप में सम्मिलित है, जिनका क्रियान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत इस समय 53 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक रुपये 938.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी की अनुपस्थिति में माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया है कि कुछ यात्रा परिपथ चिन्हित किये गये हैं उसमें वाराणसी में कौन सी योजना को चिन्हित किया गया है और प्रयाग भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ नगरी है, क्या वह भी शामिल है ? जितने भी यात्रा परिपथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किये हैं उसमें कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार द्वारा कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो आपने अन्तिम प्रस्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत इस समय 53 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा उसमें अभी

तक रुपये 938.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तो मेरी जिज्ञासा यह है कि जो 53 योजनाओं का उल्लेख किया है, इन 53 योजनाओं के पूरा होने में कितने रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय चौधरी साहब का प्रश्न बहुत विस्तृत है। माननीय चौधरी साहब के प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार देता हूं अगर छूट जायेगा तो दोबारा आपका प्रश्न ले लेंगे। पर्यटन एक समेकित प्रयास है। कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि पर्यटन विभाग की ओर से कोई योजना अलग से चलायी जाती है। सड़कों का निर्माण चाहे पी0 डब्लू0डी0 या किसी दूसरी संस्था द्वारा किया गया हो वह पर्यटन वृद्धि के लिए है। होटलों का निर्माण किया जाता है या उसके चलते परिवहन के दूसरे साधनों का विस्तार किया जाता है, उसे चाहे पर्यटन निगम करे या निजी क्षेत्र करे या खानपान की व्यवस्था की जाती है या सौन्दर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण किया जाये या वन विभाग की कोई योजना हो तो आपने जो पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि बौद्ध परिपथ में वाराणसी शामिल है। वाराणसी के साथ-साथ सारनाथ लुम्बिनी, श्रावस्ती, संकिशा, लखनऊ आदि शामिल है। बौद्ध परिपथ की शुरुआत वाराणसी से होती है। मान्यवर, दूसरा परिपथ विन्ध्य परिपथ है। इसमें वाराणसी, भदोही, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, विन्ध्याचल, सोनभद्र, टाण्डा, रायगढ़, विजयगढ़ आदि है। तीसरा जल विहार का परिपथ है। भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश में पांच परिपथ बनाये गये हैं। जल विहार और वन विहार परिपथ इको-टूरिज्म परिपथ हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

यह भी बता दें कि कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वाराणसी को बिन्दु बनाकर अलग से राशि नहीं निकाल सकते हैं। बौद्ध परिपथ में फस्ट फेज में जो कार्य हुए हैं उनको मैं बता सकता हूं। केन्द्र सरकार की बात आपसे पूछी है जबसे इन परिपथों की परिकल्पना हुई है, टूरिज्म की दृष्टि से इसकी व्यवहारिक शुरुआत 1993-94 के वित्तीय वर्ष में जब मा0 मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, तथा इसकी शुरुआत हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष केन्द्र की सहायता मिलनी थी लेकिन वह आज तक नहीं मिल सकी है। पांच करोड़ रुपये की मैंचिंग ग्रान्ट प्रतिवर्ष सरकार लगातार रखती चली आयी है और मौजूदा वर्ष में भी यह ग्रान्ट रखी गयी है। लेकिन जब तक केन्द्र से सहायता की राशि नहीं आयेगी तब तक इस पांच करोड़ रुपये का इस्तेमाल नहीं हो पायेगा। श्रीमन्, यह ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड जापान का है। इस फण्ड के माध्यम से इन बौद्ध परिपथों पर काम हुआ है। फस्ट फेज में 67.23 करोड़ का काम हुआ। जैसा मैंने पहले कहा इसका गेटवे बनारस को मान लीजिए। सड़क के चौड़ीकरण पर 67.23 करोड़ व बाकी चीजों पर अन्य जगहों पर टूरिस्ट होटल वगैरह बनाए गए। सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग पर करीब 77.48 करोड़ रुपए इस फस्ट फेज पर खर्च हुए। बाकी जो परिपथ प्रस्तावित हैं जिन के बारे में अध्ययन कराया गया है उनके लिए कोई सहायता जापान या अन्य देश से प्राप्त नहीं हुई है। फेस-2 के बारे में जो प्रस्तावित है.....

श्री अध्यक्ष-

उसके बारे में प्रश्न नहीं किया गया।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

तीर्थराज प्रयाग भी एक पर्यटन नगरी है तो क्या इन परिपथों को जो विकसित किया जा रहा है उसमें प्रयाग शामिल है कि नहीं ? अगर प्रयाग शामिल नहीं है तो क्या सरकार उसको शामिल करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रयाग शामिल है।

श्री अध्यक्ष-

इलाहाबाद के कौशाम्बी का उल्लेख किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह बौद्ध परिपथ में शामिल है व विन्ध्य परिपथ में भी शामिल है। वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, विन्ध्य परिपथ में शामिल हैं। इसमें इलाहाबाद से कौशाम्बी तक शामिल है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कन्नौज एक ऐतिहासिक नगरी है यह राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही है क्या कन्नौज को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि सम्भव हो, तो यह अनुरोध स्वीकार कर लें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह जो तीन परिपथों को विकसित करने के लिए अध्ययन कराया जा रहा है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है इस पर भी विचार पर लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो होटल और मोटल है क्या इसको निजी क्षेत्र में देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सड़क होटल का आपने उल्लेख किया उससे सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री सुखदेव राजभर-

मंत्री जी ने अभी उत्तरों के सन्दर्भ में बताया कि इस योजना से सम्बन्धित होटलों, सड़कों या अन्य क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग से सम्बन्धित जो होटल और मोटल हैं उनको निजी क्षेत्र में देने पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया है उससे सम्बन्धित है।

श्री अम्बिका चौधरी-

पर्यटन विभाग की समस्त गतिविधियों में यह सभी गतिविधियां शामिल हैं। इनको शामिल करके ही पर्यटन विभाग का आप आंकलन करते हैं। आप इस तरह का प्रश्न अलग से कर रहे हैं कि उनके द्वारा संचालित होटल और मोटल। यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपके द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में है। आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसकी भूमिका मत बनाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस तरह से हम अनेक स्थलों के बारे में विचार कर रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित जो होटल और मोटल हैं उनका निर्जाकरण विचाराधीन है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, अभी बुन्देलखण्ड परिपथ की बात कही गयी। मैं बुन्देलखण्ड परिपथ के विषय में यह जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से स्थल इसमें सम्मिलित किये हैं ? इन स्थलों के लिये या इस परिपथ के विकास के लिए अब तक क्या काम कराया गया है ? क्या इसमें पौराणिक और हेरिटेज की दृष्टि से कालपी को सम्बद्ध किया गया है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

बुन्देलखण्ड परिपथ में झांसी, पारीछा, समथर, कालपी, ओरझा, बरूआ, ललितपुर, देवगढ़, महोबा, कालिन्जर, चित्रकूट और इलाहाबाद को शामिल किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य कितना हुआ है। कार्य के सम्बन्ध में भी पूछा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

अभी बहुत सामान्य काम हुआ है क्योंकि तीन तरीके से इन कार्यों को कराते हैं। पहला तो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जिला योजना में जो प्रस्ताव हैं उनका चयन करते हैं। दूसरा राज्य सरकार जो योजना बनाती है और तीसरा जो अत्यन्त महत्व के जो स्थान है, उनके बारे में पूरे देश में पर्यटन की दृष्टि से कार्य होता है। अब खजुराहो ही है वह मध्य प्रदेश में आता है लेकिन पर्यटन विभाग की तरफ से उस पर भी कार्य होता है। कई ऐसे स्थल हैं राज्य स्तर के जो कि केन्द्रीय सहायित परियोजना के अन्तर्गत होते हैं। अलग-अलग ब्रेक अप दे पाना सम्भव नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी दो प्रश्न और हैं और 12.15 बज गये हैं।

श्री लालजी टण्डन-

यह गढ़मुक्तेश्वर, विन्ध्याचल और सीतामढ़ी। एक गढ़मुक्तेश्वर हो गया।

(इस समय 12 बजकर 15 मिजट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

और इन दोनों को मिलाकर एक हो गया। इन पर्यटक स्थलों को डेवलप करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसके लिये भूमि अर्जित कर ली गई और कुछ धन की भी व्यवस्था हुई थी लेकिन यह कार्य योजना में नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है। इन बिन्दुओं के बारे में विशिष्ट जानकारी आपको चाहिए तो भिजवा देंगे। सम्प्रति इन बिन्दुओं की विशिष्ट जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कुछ स्थलों और चिन्हित योजनाओं का उल्लेख किया है। एक वाटर क्रूज परिपथ भी है। वाराणसी में गंगा नदी में खड़ा है और उसका सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुमति नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें कब तक अनुमति दे दी जायेगी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह जो केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आपको स्मरण होगा माननीय मंत्री जी, मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था और महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक का। वह भी केन्द्रीय सहायता में है। 90 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा, पर्यटन विभाग को दे दिया गया है इसको बनवाया जाना चाहिए, उसमें प्रगति हुई है 90 लाख रुपया केन्द्र सरकार ने दे रखा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस योजना के बारे में आपने बात की है 90 लाख की सहायता के बारे में आपने बताया तो सदन में उत्तर दिया गया था वह प्रश्न संस्कृति विभाग से सम्बन्धित है। प्रदेश का संस्कृति विभाग इनका निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण का काम, सौन्दर्यीकरण का काम करता है। इसकी प्रगति के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं वह जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। संस्कृति मंत्री जी से लेकर देखेंगे। जो आपने संकल्प रखा था उसकी मूल भावना से यह सरकार पूरी तरह से सहमत है। सरकार चाहती है रानी लक्ष्मीबाई का जो स्मारक है उसके होने के कारण वह स्थल महत्वपूर्ण है उसका विकास किया जाना चाहिये। सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं से सहमत है उसको विकसित किए जाने के लिए जिन योजनाओं की आवश्यकता होगी उसमें सरकार सहायता करेगी। अगर वाटर क्रूज वहां परिचालित नहीं हो रहा है तो उसको देखा जाएगा निर्देश जारी किए जाएंगे। वाराणणी में गंगा घाट का बड़ा महत्व है वाटर क्रूज चलने की वहां अनुमति होनी चाहिए, हम दिखवा लेते हैं कोई बड़ी कठिनाई नहीं है तो चालू हो जाएगा। विभागों की अन्तरिम कठिनाइयों के कारण कभी-कभी संचालन नहीं हो पाता है। जो अवरोध है उनको दूर करके वाटर क्रूज चालू किया जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई परिपथ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 लाख कांवरिए कांवर लेकर जाते है और वह हर की पौढ़ी से महादेव मन्दिर तक जाते हैं तो मंत्री जी 20 लाख जो कांवरिए हरिद्वार की पौढ़ी से चलकर पैदल जाते हैं उस मार्ग के सम्बन्ध में इस तरह की योजना लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या बाजपेयी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ को ही मानते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने कहा हरिद्वार में हर की पौढ़ी से जल लेकर जनपद बागपत से महादेव मन्दिर जाएंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने प्रश्न के उत्तर में शुरू में ही बता दिया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

हमने कहा था क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिपथ में इसको शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी परिपथ में शामिल नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा-वृन्दावन, अलीगढ़, नन्दगांव, बरसाना, मथुरा, छाता।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य मेरठ के लिए जानना चाहते हैं उसके बारे में बता दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हर की पौड़ी से कांवरिए चलते हैं जनपद बागपत से महादेव मन्दिर तक जाते हैं उसे इस परिपथ में शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने सिर्फ यह बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान शामिल हैं। जो स्थान आपने बताया, जहां तक कांवरियों के वहां जाने का सवाल है और जिस मार्ग से गुजरते हैं, मुजफ्फरनगर से, उसका जिक्र किया। इसका पर्यटन से अधिक धार्मिक महत्व है। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए यह काम तो होना ही चाहिए। आपके इस सुझाव पर विचार करेगी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में घाटे पर चल रही मण्डियां

*2-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ऐसी जिला स्तर की मण्डियां हैं जो घाटे में चल रही हैं ? उक्त मण्डियों को घाटे से उबारने हेतु क्या कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

शून्य

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की कार्य योजना

*4-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार गांव में पुरानी सड़कों पर खड़न्जा स्तर तक कार्य सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां। लोक निर्माण विभाग के अधीन लेपित ग्रामीण मार्गों के सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी लेपित सड़कों पर खड़न्जा लगाने का औचित्य नहीं है। खड़न्जे से निम्न स्तर के मार्गों पर खड़न्जा लगाने का कार्य मरम्मत की श्रेणी में नहीं आता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मऊ प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 पर रोड रोलर की आपूर्ति का बकाया भुगतान कराने की मांग

1-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 मऊ ने वर्ष 1999-2000 में रोड रोलर आपूर्ति हेतु फर्म फेयर टूल्स एण्ड रोलर सप्लाई कम्पनी मऊ को रोड रोलर आपूर्ति हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फर्म का विभाग पर रोड रोलर का रुपया 88,032 (रुपया अठासी हजार बत्तीस) विगत चार वर्षों से भुगतान शेष है ? यदि हां, तो उक्त बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उक्त फर्म से कुटाई के कार्य हेतु किराए पर रोड रोलर आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया था।

फर्म का विभाग पर रुपया 88,032.00 (रुपया अठासी हजार बत्तीस मात्र) भुगतान हेतु शेष है।

धन की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ में उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को विश्व बैंक द्वारा कतिपय मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक भूमि सुधार निगम ने अपने पत्र सं0-पी0सी0/आर/13/2001/49, दिनांक 3-5-2003 द्वारा महाप्रबन्धक (सोडिक), उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ को विश्व बैंक द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के तीन मार्ग चिलबिला से मदाफरपुर, उत्तरसण्ड सरायरजई तक एवं पट्टी बंधवा से बहुता मार्ग एवं कोहडौर से पट्टी मार्ग, पट्टी से रेडीगारापुर मार्ग को स्वीकृति प्रदान कर दी थी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम के पत्र सं0-टी0सी0/आर0/13/2001/49, दिनांक 3-5-2003 के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के निम्नलिखित तीन मार्गों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी :-

1-चिलबिला से मदाफरपुर, अतरखण्ड सरायरजई तक।

2-कोहिडोर से पट्टी मार्ग।

3-पट्टी बेधवा से बहुता मार्ग।

उपरोक्त तीनों मार्गों के सापेक्ष राजकीय निर्माण निगम द्वारा मात्र निम्नलिखित दो मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाये गये हैं :-

1-चिलबिला से मदाफरपुर मार्ग।

2-पट्टी बेधवा से बहुता मार्ग।

तीसरे मार्ग, कोहिडोर से पट्टी की फिजिबिलटी की जांच राजकीय निर्माण निगम द्वारा की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सं0-164/ई है। चूंकि विश्व बैंक की नीति के अनुसार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण परियोजना के अन्तर्गत नहीं कराया जाना है, इसलिए इस मार्ग को आच्छादित नहीं कराया जा सकता है।

उपरोक्त संदर्भित दोनों मार्गों के निर्माण हेतु टेण्डर प्रकाशित हो चुके हैं। माह अप्रैल, 2004 से कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है।

माह अप्रैल, 2005 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माण निगम द्वारा बनाये गये मार्गों की गुणवत्ता की जांच

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम का पत्र सं0-6ए/3आर/97/एस0एस0बी0/88, दिनांक 2-6-03 जो मुख्य अभियन्ता (सोडिक) उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग को निर्माण निगम द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बनाये गये मार्गों की गुणवत्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम के पत्र सं0-6ए/3आर/97/एस0एस0बी0/88, दिनांक 2-6-03 के द्वारा अभियन्ता (सोडिक/डास्प), उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बनाये गये मार्गों के स्थलीय सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच करने की अपेक्षा की गयी थी।

अधीक्षण अभियन्ता, 55वां वृत्त (सोडिक), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्तर से जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के तुलसीदास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की मांग

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ स्थित तुलसीदास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के डामरीकरण की मांग

5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग की बुलाकी अड्डे से आलमनगर रेलवे क्रासिंग तक तथा मिल एरिया पुलिस चौकी के सामने तुलसी दास मार्ग से मीना बेकरी चौराहा होते हुए धनिया महरी पुल तक की सड़क जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव-

जी नहीं। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ के प्राचीन ऐतिहासिक टिकैतराय तालाब के म्यूजिकल फाउन्टेन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ के अन्तर्गत एक प्राचीन ऐतिहासिक टिकैतराय तालाब स्थित है जिसमें मा0 प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की सांसद निधि से एक म्यूजिकल फाउन्टेन लगाया गया है जो वर्तमान समय में जीर्ण स्थिति में है ? क्या सरकार इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

यह कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित नहीं है।

जनपद-गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज में राजपुर-सूरस सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

7-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में राजपुर-सूरस सम्पर्क मार्ग जो मण्डी समिति आनन्द नगर (फरेन्दा) महराजगंज के अन्तर्गत आता है की

मरम्मत हेतु वर्ष 2003 में कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? क्या स्वीकृत धनराशि से उक्त सड़क का मरम्मत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राजपुर-सरसू सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 8-7-2003 को रुपये 26.15 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

जी नहीं।

आनन्द नगर मण्डी समिति स्थल में प्राथमिकता के अन्य निर्माण कार्य आवश्यक होने के कारण राजपुर-सूरस सम्पर्क मार्ग हेतु निर्गत स्वीकृति, दिनांक 2-12-2003 को निरस्त कर दी गयी।

जनपद-मऊ के कोपागंज भातकोल मार्ग में पड़ने वाली क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग

8-श्री समर पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद में कोपागंज भातकोल मार्ग में ढाढाचवर गांव में पूरब सड़क के बीच में पड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत/निर्माण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, किन्तु इसके स्थान पर स्यूम पाइप डालकर अस्थायी रूप से यातायात चलाया जा रहा है।

क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत हेतु धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विधायक निवास-4 रायल होटल की सीवर लाइन को बदलवाने की मांग

9-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-लखनऊ में स्थित विधायक निवास-4 रायल होटल की सीवर लाइन जाम है, जिससे वहां के अध्यासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर लाइन को बदलवाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधायक निवास-4, रायल होटल की सीवर लाइन जाम नहीं है, किन्तु ढाल सही न होने के कारण एवं कम क्षमता तथा बहुत पुरानी होने के कारण यह प्रायः चोक हो जाती है। सीवर लाइन चोक होने पर तत्काल सफाई करा दी जाती है।

जी हां। यह कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र गौरी बाजार में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत साढ़ा उधौपुर धतुरा खास सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

10-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र गौरी बाजार जनपद-देवरिया के अन्तर्गत वर्ष 95-96 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत साढ़ा उधौपुर धतुरा खास 01 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है ? परियोजना के क्रियान्वयन में विशेष सचिव, नियोजन उ0 प्र0

शासन ने अपने पत्र सं0-1679/35-5-2001, दिनांक 22-8-01 द्वारा जांचोपरान्त प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा प्रश्नगत मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्व स्वीकृत धनराशि से अक्टूबर, 2000 तक पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। मार्ग का अवशेष निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा दायर वाद एवं निर्णय

11-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-22 के उत्तर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत वाद कब और किसके द्वारा दायर किया गया है और उस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत वाद दिनांक 29-7-2002 को सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा दायर किया गया है। प्रश्नगत वाद मा0 न्यायालय में अभी विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-आजमगढ़, तहसील-फूलपुर के ग्राम बाग बहार के तालाबों में हुए अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

12-श्री राम कृपाल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बाग बहार, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में तालाबों पोखरों पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत कब्जे को हटवाने एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम के 6 व्यक्तियों द्वारा आबादी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित दो तालाबों में 670 वर्ग रकबे पर मकान एवं सहन बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

अनाधिकृत कब्जा हटवाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार फूलपुर में विचाराधीन है।

वाद के शीघ्र निस्तारण एवं बेदखली के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में मेट तथा वर्क एजेण्ट के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण कराने की मांग

13-श्री चन्द्र किशोर तथा श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में नियमित मेट तथा वर्क एजेण्ट के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उसे पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एस0एन0पी0 यादव अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध रिकवरी के आदेश

14-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि निदेशक मण्डी परिषद् के आदेश संख्या-निदे0कैम्प/2003-143 दिनांक 11-6-2003 द्वारा श्री एस0एन0पी0 यादव अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध 21 लाख रुपये की रिकवरी सिद्ध पाये जाने के बाद 1.46 लाख एवं 276 रु0 की कटौती के आदेश वेतन से किए गये थे ? यदि हां, तो उपरोक्त 21 लाख रुपये का आठ वर्ष का ब्याज की भी रिकवरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण खण्ड, झांसी के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों की जांच में रु0 21,08,743/-की वसूली प्रस्तावित थी जिसमें से श्री एस0एन0पी0 यादव अधिशासी अभियन्ता के हिस्से की धनराशि रु0 1,46,273/-की वसूली श्री यादव से किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है।

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-989/23-9-99-11 ए0सी0/96 दिनांक 12-5-1999 में प्राविधान न होने के कारण।

जनपद शाहजहांपुर के मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड द्वारा निर्मित अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

15-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002-03 में मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड शाहजहांपुर में निर्मित 21 अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों में हुयी भारी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक पत्र माननीय सांसद श्री राममूर्ति सिंह वर्मा शाहजहांपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हुए दिनांक 21-12-03 को दिया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच हेतु समिति का गठन किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-बाराबंकी तहसील-हैदरगढ़ की श्रीमती छेदाना को मृतक दिखाकर फर्जी वसीयत के आधार पर भूमि का दाखिल खारिज किए जाने की जांच

16-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती छेदाना पत्नी स्व0 श्री अंधे राम निवासी ग्राम हाजीपुर, श्याम नगर, थाना असंदरा, परगना सिद्धौर, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-2-2003 जो श्रीमती छेदाना को मृतक दिखाकर फर्जी वसीयत के आधार पर भूमि का दाखिल खारिज करा लिये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, दिनांक 3-3-03 को मा0 राजस्व मंत्री एवं जिलाधिकारी, बाराबंकी को जांच हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी है एवं जांच आख्या में दोषी पाये गये अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच तहसीलदार, हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी द्वारा की गयी। जांच में तत्कालीन लेखपाल मो0 हनीफ एवं तहसीलदार श्री राम प्यारे त्रिपाठी दोषी पाये गये। मो0 हनीफ, लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उप जिलाधिकारी, रामसनेही घाट द्वारा की जा रही है। दोषी तहसीलदार श्री राम प्यारे त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है जिससे इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़, तहसील-लालगंज के बाजार के वाई पास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की मांग

17-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के तहसील-लालगंज में लालगंज बाजार के बाईपास के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर से अब तक किसानों को वितरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसके दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

कुल 208 कृषकों में से 67 द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है। शेष 141 कृषक प्रतिकर भुगतान लेने हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत बभनी की भूमि पर बभनान शुगर मिल के अवैध पट्टे के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

18-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-93 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अवैध पट्टा कराने वाले बभनान शुगर मिल के प्रशासन तथा सम्बन्धित आयुक्त को अवैध कार्य करने तथा उक्त अवैध कार्य के दोषी ग्राम पंचायत प्रधान बभनी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद के भू-माफियाओं द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

19-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उ0 प्र0 द्वारा मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्रांक संख्या-220/वी0आई0पी0, दिनांक 4-4-03 जो जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद के भू-माफियाओं द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है ?

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे विगत वर्ष मा0 मंत्रियों को आवंटित आवासों के मरम्मत, पुताई एवं साज-सज्जा पर व्यय

20-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2002 से अब तक मा0 मंत्रियों, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को आवंटित बंगलों की साज-सज्जा, मरम्मत, पुताई आदि में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिजूल खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मई 2002 से अब तक (दिसम्बर, 2003 तक) मा0 मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण एवं मा0 स्वतंत्र प्रभार मंत्रीगण को आवंटित बंगलों की साज-सज्जा, मरम्मत व पुताई में कुल रु0 184.84 लाख का व्यय हुआ है।

मा0 मंत्रीगणों के बंगलों पर आवश्यकतानुसार मरम्मत, पुताई का कार्य कराया गया है तथा उन्हें अनुमन्य साज-सज्जा उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार कोई फिजूलखर्च नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के गामलहेड़ी के नागल देवबन्द मार्ग के निर्माण की मांग

21-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गामलहेड़ी मुजफ्फरनगर वाया नागल देवबन्द मार्ग की हाटमिक्स प्लान्ट से निर्माण कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग वृहद अनुरक्षण कार्य के लिये स्वीकृत है जिसकी निविदायें दिनांक 1-3-2004 को आमंत्रित की गयी हैं। निविदायें प्राप्त होने पर अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

22-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत देवबन्द से सांफ्ला, थीथली, गोपाली, कुतुबपुर वरला मार्ग क्षतिगस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में मार्ग का 1.5 किलोमीटर भाग क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के कुल 10.50 किलोमीटर लम्बाई की मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हुआ था। इसी बीच 9.00 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत अन्य योजना से करा दिया गया हैं। पूर्व में स्वीकृत धनराशि के विपरीत शेष 1.5 किलोमीटर मार्ग के उच्चीकरण का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो परीक्षणाधीन है।

23-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद, ब्लाक जसरा के बसहरा-मानपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

24-श्रीमती विमला राकेश-

विधान सभा प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-179 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उक्त मरम्मत का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। जनपद इलाहाबाद, ब्लाक जसरा के बसहरा-मानपुर सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 4.30 किमी0 है) की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2000 एवं मई, 2003 में कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के नवीनीकरण/निर्माण विषयक पत्र

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश पत्र संख्या-1655, 1656, 1657 दिनांक 26-9-02 जो पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के 5 मार्गों के निर्माण, नवीनीकरण से सम्बन्धित थे, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुए हैं ? क्या उक्त पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु कृषि राज्य मंत्री का पत्र-503/वी0आई0पी0/02, दिनांक 26-12-02 भी उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

पत्रांक 1655, दिनांक 26-9-02 में मा0 सदस्य द्वारा संलग्न प्रपत्र-2 में उल्लिखित दो मार्गों तथा प्रपत्र-3 में उल्लिखित 09 मार्गों में से 05 अर्थात कुल 07 मार्गों के कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है, 01 कार्य प्रगति पर है तथा शेष 03 कार्य वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके।

पत्रांक 1656, दिनांक 26-9-02 में उल्लिखित मार्ग "ढकवा-पट्टी प्रतापगढ़ (बेला) मार्ग एस0आर0पी0-2 के द्वितीय चरण के 32 वृहद रख-रखाव के कार्यों के पैकेजेज में सम्मिलित हैं, जिन पर परिकल्पना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निविदायें आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। पत्रांक-1657 दिनांक 26-9-02 में उल्लिखित पट्टी-चांदा-कोहडार-चंदौका मार्ग तथा पट्टी-बंधवा मार्ग को विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है, चूंकि इस परियोजना में मार्गों का चयन पूर्व में ही अन्तिम किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय मार्गों के अनुमोदन का प्रकरण

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रावली संख्या-134ई/2002 एवं 168 ई/2001/टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा पट्टी विधान सभा क्षेत्र के मार्ग सिकरी, पण्डरी, बकुलाही एवं अन्य 2 मार्ग का अनुमोदन उनके द्वारा प्रदान करने के पश्चात् अभी तक शासनादेश राज्य सेक्टर से निर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासनादेश कब तक निर्गत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

134ई/2002 संख्या की कोई पत्रावली अनुभाग-11 में नहीं खुली है। पत्रावली संख्या-168ई/2001 टी0 सी0 में अनुमोदित कार्य की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पण्डित दीन दयाल मार्ग की मरम्मत की जांच

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री कृषि का पत्र संख्या 485/वी0आई0पी0/02, दिनांक 24-12-02 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में पंडित दीन दयाल मार्ग की मरम्मत एवं उनका मानकों के अनुसार निर्माण किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, इलाहाबाद क्षेत्र का पत्र 16935/प्र0/फ0/ई/दिनांक 18-12-02 की छाया प्रति सहित अधीक्षण अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ द्वारा जांच की गयी, जिसमें 09 मार्गों का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तथा एक मार्ग हरीपुर वरदैता लिंक मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता असंतोषजनक थी, जिसके लिये उत्तरदायी अधिकारी को सचेत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बहरिया के कनिया मार्ग के शेष निर्माण की मांग

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम बहरिया के कनिया मार्ग 3 कि0मी0 लेपन स्तर तक वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग 3 कि0मी0 के स्थान पर मात्र 2.30 कि0मी0 का ही निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष मार्ग का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। यह मार्ग 1998-99 में स्वीकृत हुआ था।

जी नहीं 2.00 कि0मी0 में निर्माण कार्य कराया गया है ?

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर के ग्राम बीबीपुर में ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे हटाये जाने की मांग

29-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बीबीपुर रेहटी, परगना अल्दैमऊ, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग (चारागाह) की भूमि खाता संख्या 221 रकबा 14 बीघा 10 धूर पर किये गये अवैध कब्जे एवं निर्माण को हटाये जाने सम्बन्धी श्री राम देव यादव सहित अन्य पत्र दिनांक 16-7-2002 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0, राजस्व मंत्री, उ0 प्र0 को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री रामदेव यादव का दिनांक 16-7-2002 का पत्र नहीं बल्कि दिनांक 13-8-2002 का प्रत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच शिकायतकर्ता की उपस्थिति में करायी गयी। भूखण्ड संख्या-221 क्षेत्रफल 3.601 हेक्टेयर (14 बीघा 10 धूर) स्थित ग्राम बीबीपुर रेहटी, परगना अल्देमऊ तहसील-कादीपरु, जिला सुल्तानपुर पर श्री राम आसरे पुत्र श्री मूर्ति क्षेत्रफल 0-2-0 बिस्वा, रामलाल पुत्र हुबराज क्षे0 0-1-10 बिस्वा, सन्तराम पुत्र सम्पति क्षे0 0-1-10 बिस्वा, दयाराम पुत्र मंगरू क्षे0 0-2-10 बिस्वा, रामबरन व रामसरन पुत्रगण मुनेसर क्षे0 0-1-10 बिस्वा, रामकिशोर पुत्र झपसी क्षे0 0-3-00 बिस्वा, रामआर्य पुत्र रामराज क्षे0 0-1-00 बिस्वा, रामराज पुत्र मुरली क्षे0 0-2-00 विस्वा का अतिक्रमण पाया गया। राम आसरे व संतराम के सम्बन्ध में बेदखली का वाद अन्तर्गत धारा 122 बी उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कादीपुर सुल्तानपुर के समक्ष विचाराधीन है। रामपाल, दयाराम, रामबरन व रामराज के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कादीपुर जिला सुल्तानपुर के आदेशों के विरुद्ध उ0 प्र0 सरकार की ओर से न्यायालय अपर कलेक्टर सुल्तानपुर के समक्ष निगरानी की गयी है जो विचाराधीन है।

रामकिशोर के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर कादीपुर सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 30-12-2000 के अन्तर्गत बेदखली का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी रामकिशोर द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के वाद मुकदमा सुनवाई में विचाराधीन है। रामअचर्य के विरुद्ध सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कादीपुर जिला सुल्तानपुर के न्यायालय से बेदखली आदेश दिनांक 29-3-2003 पारित किया गया जिसके विरुद्ध प्रतिवादी रामअचर्य द्वारा निगरानी न्यायालय के समक्ष निगरानी दायर की गयी है जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के परगना तहसील मोहनलालगंज के गांव सभा बेली के चकरोड पर कथित अवैध कब्जा

30-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्रामवासियों द्वारा गांव के चकरोड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है जिससे जनता को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के चकमार्गों का ग्रामवासियों द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है। जनता को आने-जाने में असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी, विधान सभा क्षेत्र चकिया के लेवा-इलिया क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

31-श्री शिव तपस्या पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चकिया, जनपद वाराणसी में यू0 पी0-बिहार को जोड़ने वाली लेवा-इलिया मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्गों के नवीनीकरण एवं पुलों के निर्माण विषयक-पत्र

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश सं0-1659वी0आई0पी0/2002, दिनांक 26-9-02 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी के स्वीकृत 4 मार्गों पर धन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-494, दिनांक 24-12-02 है, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है, का अनुपालन कर लिया गया है, इसी प्रकार लोक निर्माण मंत्री के आदेश सं0 1661, दिनांक 26-9-02 एवं 1662, 1663, दिनांक 26-9-02 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 14 मार्गों के नवीनीकरण कार्य को स्वीकृत करने, पुलों के निर्माण से सम्बन्धित था, का अनुपालन करा लिया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो अपेक्षित कार्यवाही कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित सन्दर्भों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के बैरहना चौराहे से मिण्टो पार्क की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की जांच

33-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में बैरहना चौराहे से मिण्टो पार्क की ओर जाने वाली सड़क जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क कुम्भ के समय निर्मित की गयी थी ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ था ? क्या सरकार घटिया स्तर की सड़क बनाने की जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व नगर निगम, इलाहाबाद का है ?

केवल सुधार कार्य किया गया था।

रु0 27.69 लाख का व्यय हुआ था।

मार्ग की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दोषी पाये जाने पर उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए परिनिन्दित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पंडित दीनदयाल सड़क योजना अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए दीन दयाल सड़क योजना में ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर-देवसरा के मार्ग निर्माण हेतु कुल 123 ग्रामों हेतु प्रस्ताव आगणन मंगाये जाने का आदेश सं0-1664, दिनांक 26-9-02 जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिया गया था, का पालन करा लिया गया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त करने की तिथि एवं विवरण क्या है ? क्या प्रस्तावित आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना में प्रस्तावित मार्गों को समयबद्ध स्वीकृति भी प्रदान कर दी जायेगी ? यदि हां, तो प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 सदस्य द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के 123 ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण आर0 आई0 डी0 एफ0-8 योजना के अन्तर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया था। आर0 आई0 डी0 एफ0-8 योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कोई भी प्रस्ताव वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को नहीं भेजे गये हैं अतः प्रश्नगत मार्गों की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ की राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज में दैनिक वेतनभोगी मालियों के वेतन भुगतान की मांग

35-डा0 विनोद तिवारी-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, लखनऊ मे तैनात 14 दैनिक वेतनभोगी मालियों को नियमित रूप से वेतन वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 2002 से फरवरी, 2003 तक का वेतन रोक कर मार्च, 2003 से जुलाई, 2003 तक के वेतन का वितरण किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों को अगस्त, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक के वेतन का भी वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

राजकीय अलंकृत उद्यान, अलीगंज, लखनऊ में 14 दैनिक मजदूरों की आय-व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

उक्त श्रमिकों को अक्टूबर, 2002 से फरवरी, 2003 तक पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

जी हां।

आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ के राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज के दैनिक वेतनभोगी मालियों को बोनस भुगतान किये जाने की जांच

36-डा0 विनोद तिवारी-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ में तैनात 14 दैनिक वेतनभोगी मालियों को वर्ष 2001 के बोनस का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मियों को वर्ष 2002 एंव वर्ष 2003 के बोनस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 2001 की भांति वर्ष 2002 एवं 2003 के बोनस का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

दैनिक श्रमिक/खेतिहर मजदूर/दिहाड़ी मजदूर के लिये बोनस देने का कोई प्राविधान नहीं है। जिस अधिकारी ने इन श्रमिकों को वर्ष 2001 के बोनस का भुगतान किया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही संचालित है।

जी नहीं।

दैनिक श्रमिकों/खेतिहर मजदूरों को बोनस अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र तिलहर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि

37-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर में बहगुल नदी तथा रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण परौर अचिन्तपुर बिरिया मकरन्दपुर कुण्डरिया आदि प्रभावित ग्रामों के व्यक्तियों को राहत राशि दिलाने विषयक आपके पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/87350, दिनांक 10-10-03 द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जांचोपरान्त ग्राम-अचिन्तपुर, तहसील-तिलहर में बाढ़ प्रभावित कुल 22 व्यक्तियों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु रु0 800/- प्रति आवास की दर से कुल 17,600/- की गृह अनुदान सहायता वितरित की गयी।

रामगंगा के किनारे बसे ग्राम कुण्डरिया, तहसील जलालाबाद में नदी के पानी के तेज बहाव के कारण 118 मकान आंशिक रूप से कट गये। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इन मकानों के पीड़ितों को रु0 800/- प्रति आवास की दर से कुल रु0 94,400/- की गृह अनुदान सहायता वितरित की गयी।

तहसील जलालाबाद के ग्राम-परौर, बिरिया मकरन्दपुर में रामगंगा व बहगुल नदी की बाढ़ का पानी आबादी में नहीं पहुंचा और न ही बाढ़ से इन ग्रामों को क्षति हुई।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में राज्य सड़क निधि से विशेष मरम्मत हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

38-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15.00 लाख रुपये का विशेष मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर जनपद गोण्डा को मात्र 4.90 लाख रुपये ही अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में शेष धनराशि 11.10 लाख रुपये इस वित्तीय वर्ष में राज्य सड़क निधि से विशेष मरम्मत हेतु जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। अवशेष धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जी हां।

अवशेष धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम विकासों में गंगा नदी सेतु के पथकर को समाप्त कराने की मांग

39-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी, जनपद-रायबरेली में ग्राम विकासों से जनपद-फतेहपुर जोड़ने वाली गंगा नदी सेतु का पथकर (टोल टैक्स) समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पथकर कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में अवस्थित पुलों पर टोल की वसूली तब तक जारी रहती है जब तक मूल निर्माण लागत, उस लागत पर आंकलित ब्याज, पथकर वसूली पर होने वाले व्यय तथा पुल के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ण वसूली नहीं हो जाती अथवा वसूली प्रारम्भ हुए 50 वर्ष न हो जायं। इस सेतु के सम्बन्ध में इन शर्तों की पूर्ति न होने के कारण वसूली समाप्त नहीं कराई गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के सुभली नदी पर निर्माणाधीन सरसवां पुल को पूर्ण कराने की मांग

40-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सुभली नदी पर सरसवां पुल सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन है ? क्या पूर्वांचल निधि (राज्यांश) से निर्माण पूर्ण करने हेतु सेतु निगम को धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां, पूर्वांचल (विशेष पैकेज) के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया गया है।

समय-सीमा निर्धारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, पो0 बड़ागांव के ग्राम बरई खुर्द के गोरइयादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की मांग

41-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरई खुर्द, पो0 बड़ागांव, जनपद फैजाबाद स्थित गोरइयादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटकों को सुख-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 को प्रमुख सचिव, पर्यटन को निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या दिये गये निर्देश का अनुपालन करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को जिला अनुश्रवण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु महानिदेशक, पर्यटन को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, ग्राम पोस्ट थाना-बारा में सार्वजनिक गलियारों पर अतिक्रमण हटाने की मांग

42-श्री रतन लाल अहिरवार-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला उन्नाव के ग्राम पोस्ट थाना-बारा में सार्वजनिक गलियारों पर इस गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण ग्रामवासियों को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो इन मार्गों पर से अतिक्रमण हटाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, ग्राम पोस्ट थाना बारा में सार्वजनिक गलियारों पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा ओवार में बकुलाही नदी पर पुल निर्माण की मांग

43-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी पर ग्राम सभा ओवार में पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र सदर में मुख्य मार्ग से भोपियामऊ तक सड़क निर्माण की मांग

44-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में बनारस लखनऊ मुख्य मार्ग से भोपियामऊ तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के, राजकीय अलंकृत पौधशाला अलीगंज के दैनिक वेतन भोगी मालियों को विनियमित करने की मांग

45-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय अलंकृत पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी मालियों को अब तक विनियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त दैनिक वेतन भोगी मालियों को विनियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

राजकीय अलंकृत उद्यान, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत 14 दैनिक श्रमिक अंशकालिक हैं और वे वर्ष 2001 में जारी विनियमितीकरण नियमावली, 2001 से आच्छादित नहीं होते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय अलंकृत उद्यान, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत 14 दैनिक वेतन श्रमिक अंशकालिक हैं। विनियमितीकरण नियमावली, 2001 से उक्त श्रमिक आच्छादित नहीं होते हैं।

जनपद रायबरेली, तहसील महराजगंज के ग्राम रानीखेड़ा के खाता संख्या 361 के फर्जी इन्द्राज कराने विषयक शिकायती-पत्र

46-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार तिवारी, पूर्व प्रधान निवासी ग्राम रानी खेड़ा, तह0-महराजगंज, जिला-रायबरेली के खाता संख्या-361 को प्रेमचन्द्र पुत्र श्री बलरामदास, निवासी बहादुरनगर द्वारा फर्जी इन्द्राज कराये जाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, विधान परिषद् का शिकायती-पत्र संख्या-647/ने0वि0द0वि0प0/03, दिनांक 7 अगस्त, 2003 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई। जांच कराये जाने पर फर्जी इन्द्राज निरस्तीकरण हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत वाद योजित हुआ जिसका निर्णय दिनांक 4-2-2004 को करते हुए गाटा सं0-539 मि0/0.063 हे0 से श्री प्रेमचन्द पुत्र बलरामदास के नाम निरस्त कर भूमि ग्राम सभा बंजर के खाते में अंकित करा दी गयी है। इस प्रकार उक्त भूमि श्री प्रेमचन्द पुत्र बलरामदास के नाम से खारिज होकर ग्राम सभा बंजर के रूप में अभिलेखों में अंकित हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कोलाघाट व रामगंगा पर पुल व रास्ता बनाने की मांग

47-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में स्वीकृत शाहजहांपुर जनपद के कोलाघाट व राम गंगा पर पुल व रास्ता बनाने के कार्य को कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मण्डी समितियों के चुनाव कराने की मांग

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी समितियों के चुनाव पिछली बार कब कराये गये थे तथा अब तक ये चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं ? नये चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

अभी तक नहीं हुए।

चुनाव कराये जाने हेतु चुनाव निदेशक की नियुक्ति की गयी थी। डिलिमिटेशन आफ वार्ड व वोटर लिस्ट तैयार हो गयी थी किन्तु उस स्तर पर अधिनियम में चुनाव की व्यवस्था के स्थान पर नामांकन की व्यवस्था हेतु अध्यादेश सं0-14 सन् 2003, दिनांक 24 मई, 2003 को प्रख्यापित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम सवैया नाले पर टूटे पुल की मरम्मत कराने की मांग

49-श्री शिव तपस्या पासवान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम सवैया नाले पर बना पुल विगत 6 वर्षों से टूटा होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी का

सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल को चालू वित्तीय वर्ष में मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी के उपमण्डी स्थल पट्टी मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राज्य मंत्री, कृषि के निर्देश पत्र संख्या-405/वी0आई0पी0/02, दिनांक 7-12-02, 13/वी0आई0पी0/02, दिनांक 25-10-02, 133/दिनांक 19-12-02, 555 दिनांक 30-12-02, 204 दिनांक 14-1-03 जिसमें जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपमण्डी स्थल पट्टी मार्ग निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्येक के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्देशों का अनुपालन कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां, किन्तु इनमें से पत्र सं0-133 उपमण्डी स्थल/सम्पर्क मार्ग निर्माण से सम्बन्धित नहीं है और पत्र संख्या-204 दिनांक 14-1-2003 न होकर 104 दिनांक 14-1-2003 है।

पत्र सं0-405 दिनांक 7-12-2002 के द्वारा तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री कृषि द्वारा 01 नग सम्पर्क मार्ग निर्माण की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में मा0 कृषि राज्यमंत्री जी को मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 14-1-2003 द्वारा यह अवगत करा दिया गया था कि मण्डी समिति प्रतापगढ़ की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण स्वीकृति दिये जाने में कठिनाई है।

पत्र संख्या-13, दिनांक 25-10-2002 द्वारा तत्कालीन मा0 राज्यमंत्री कृषि द्वारा उपमण्डी स्थल पट्टी (प्रतापगढ़) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे परन्तु उपमण्डी स्थल हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण शासन के पत्र संख्या-2201/12-5-2003-600(268)/2002, दिनांक 12-8-2003 द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को 06 बीघा ग्राम समाज की भूमि कृषि विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने के निर्देश दिये गये थे भूमि पुनर्ग्रहण की कार्यवाही जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के स्तर पर विचाराधीन है।

पत्र संख्या-133, दिनांक 19-12-2002 उप मण्डी स्थल पट्टी मार्ग निर्माण से सम्बन्धित नहीं है। यह पत्र तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री, कृषि के साथ सम्बद्ध अम्बेस्डर कार संख्या-यू0 पी0-32 ए.एफ.-7800 का दिनांक 5-12-02 को एक मोटर साइकिल सवार के साथ हुई दुर्घटना के फलस्वरूप थाना सरोजनीनगर में जब्त कार को अवमुक्त कराकर मरम्मत कराये जाने तथा वाहन चालक की जमानत की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में था जिसके विषय में मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-प्र0अ0/स्टोर/2003-644, दिनांक 22-1-2003 द्वारा तत्कालीन मा0 राज्यमंत्री कृषि को आख्या प्रेषित की गयी थी कि वाहन अवमुक्त कराकर एवं मरम्मत कराकर पुनः उनके साथ सम्बद्ध कर दिया गया है और वाहन चालक द्वारा हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली गई है।

01 नग सम्पर्क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय मण्डी निधि से प्रदान कर दी गयी थी।

पत्र संख्या-204, दिनांक 14-1-2003 वास्तव में पत्र संख्या-104, दिनांक 14-1-2003 है जिसके द्वारा 02 नग सम्पर्क मार्गों के निर्माण की अपेक्षा की गयी थी। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति यद्यपि ऋणात्मक थी फिर भी भविष्य में सुधार की सम्भावना के आधार पर इन मार्गों के निर्माण हेतु पत्र सं0-5151 दिनांक 17-2-2003 के द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्रस्ताव मांगा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र संख्या-405, 555 एवं 204 में उल्लिखित अवशेष सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण सम्भव नहीं है। उपमण्डी स्थल पट्टी हेतु भूमि पुनर्ग्रहीत होने एवं मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर पत्र संख्या-13 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन पर विचार किया जा सकेगा।

जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण कराने विषयक-पत्र

51-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रश्नकर्ता का उन्हें सम्बोधित पत्र संख्या-580/दिनांक 28-6-03 तथा पूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित दिनांक 30-6-03 पर क्या प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित संदर्भित पत्र वाराणसी शहर के 5 मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, जिसमें से 2 मार्ग नगर निगम, वाराणसी के अन्तर्गत हैं । लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के 3 मार्गों का सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़, थाना रौनापार के ग्राम महुला में कच्ची शराब बनाने/बेचने विषयक शिकायती-पत्र

52-श्री कपिलदेव यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-महुला, थाना-रौनापार, जिला-प्रतापगढ़ में कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों के खिलाफ उक्त ग्राम के भूतपूर्व प्रधान एवं सरपंच ने दिनांक 10-7-2003 को कमिश्नर, डी0 आई0 जी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी, आजमगढ़ को रजिस्ट्री द्वारा शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। ग्राम महुला, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ में कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों के खिलाफ उक्त ग्राम के भूतपूर्व प्रधान व सरपंच का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था।

ग्राम महुला, थाना रौनापार एवं उस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध जनपद के आबकारी स्टाफ द्वारा व्यापक छापेमारी की कार्यवाही की गयी है। जिसमें

जनवरी, 2004 तक 24 अभियुक्त पकड़े गये और 441.5 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 को मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। तारांकित प्रश्न की जो सूची है, उसमें तीसरे नम्बर पर मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 4 मण्डल और 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो क्यों ? यह मण्डल और जिले किस वर्ष में सृजित किये गये थे तथा उन पर दिसम्बर, 2003 तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? उत्तर आया कि मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त। मान्यवर, इसमें कहीं उच्च न्यायालय का प्रकरण नहीं है। इसका उत्तर तो सरकार को देना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है आप अलग से लिखकर दे दीजिए।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर कुल 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, उपस्थित हैं। (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।) दूसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की है, उपस्थित हैं। (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।) तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की है, उपस्थित हैं। (स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

मेरठ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गंगा नगर में स्थापित बिजली घर के पूरी क्षमता से कार्य न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गंगा नगर में दस वर्ष के उपरान्त बिजली घर चालू हुआ है। चालू होने के तीन माह उपरान्त भी वह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। इसमें 5 एम0 बी0 ए0 के दो ट्रान्सफार्मर लगे हैं जिनमें से केवल एक चालू हैं। डेढ़ करोड़ रुपये जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च होने पर भी बिजली घर का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उद्घाटन वाले दिन एक ट्रान्सफारमर की ओ0 सी0 वी0 खराब बतायी गयी । नये ट्रासंफारमर की ओ0 सी0 वी0 खराब होना कहां तक सही है ? यह जांच का विषय है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-- [: यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में स्थित परसनी ग्राम में विद्युत उप सब-स्टेशन की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[मान्यवर, माननीय जी जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के ग्राम-परसनी में पूर्वांचल के राज्यांश से 50 लाख रुपया जनपद-गाजीपुर में विगत कई वर्षों से पड़ा है। इस सन्दर्भ में शासन का ध्यान मैंने पत्र लिखकर आकर्षित किया तो अध्यक्ष, विद्युत कारपोरेशन ने 79 लाख का प्राक्कलन बनाकर शासन को भेज़ दिया है, लेकिन शासन द्वारा विद्युत कारपोरेशन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। अतः सादात विधान सभा के ग्राम-परसनी में विद्युत उप सब-स्टेशन बनाने की सरकार से अनुमति प्रदान करने का निर्देश दें।]

जनपद गाजीपुर के सैदपुर में ग्राम-बिलहरी में मकान गिरने से हुई मृत्यु पर आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, दिनांक 17-09-03 को सुबह चार बजे भोर में ग्राम बेलहरी, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में मकान गिरने से मालती पत्नी अमरजीत, स्वीटी पुत्री अमरजीत, कुमारी देवी पत्नी कार्शीनाथ की मृत्यु हो गई। इस दुःखद घटना में तीन लोगों की मृत्यु हुई। जिसमें मालती एवं स्वीटी ग्राम-सौना कैथौलीवा, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर की रहने वाली हैं तथा कुमारी देवी बिलहरी की थी। घटना के बाद राजस्व कर्मचारी एवं पुलिस विभाग के लोग पहुंचे। पोस्टमार्टम कराया गया, मृतक कुमारी देवी पत्नी कार्शीनाथ को 50 हजार अनुग्रह सहायता धनराशि मिली मगर शेष दोनों मृतकों के आश्रितों को अब तक कोई सहायता धनराशि नहीं मिली तथा अभी तक प्रकरण लम्बित हैं जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे दुःखी परिवार में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक हित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने एवं अनुमन्य सहायता धनराशि की मांग करता हूं।]

श्री उपाध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है, उपस्थित हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, पढ़िए।

लखनऊ के न्यू हैदरगंज वार्ड अमरौली शाहपुर में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान द्वारा "कारकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट" को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न तथ्यों को लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मांग करता हूं। प्रधान मंत्री के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में न्यू हैदरगंज वार्ड भमरौली शाहपुर में मरे हुए पशुओं का आधुनिक तरीके से निस्तारण कराने के लिये केन्द्रीय योजना अयोग के निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से केन्द्रीय चर्म अनुसंधान को "कारकस यूटिलाइजेशन प्लान्ट" लगाना था। इस कार्य हेतु नगर निगम को अपनी चार एकड़ जमीन पर करीब चार्लास लाख रुपये की लागत से चहारदीवारी व भवन बनाकर देना था। नगर निगम द्वारा पी0 ए0 सी0 बल तैनात करके 6 माह तक निर्माण कार्य कराया गया, किन्तु 11 नवम्बर को वर्तमान सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा एक आदेश देकर पी0 ए0 सी0 हटा ली गयी और नगर निगम को भी काम बन्द करने का निर्देश दे दिया गया और काम बन्द हो गया पर्यावरण को शुद्ध रखने की दृष्टि से उपरोक्त कार्य केन्द्र सरकार द्वारा कराया जा रहा था, किन्तु वर्तमान सरकार ने इसे रोक दिया। मैं उपरोक्त विषय पर समस्या की गम्भीरता को देखते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और सरकार से इस विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

श्री उपाध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है, अनुपस्थित हैं छठवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, उपस्थित हैं।

डा0 नरेन्द्र सिंह गौर-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

पढ़िए।

इलाहाबाद नगर में बढ़े हुए गृह कर का मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मान्यवर, इलाहाबाद महानगर में गृह कर मूल्यांकन मनमाने ढंग से किये जाने के कारण कहीं-कहीं इसमें कई गुना की वृद्धि हो गयी जिसके कारण जनता में भारी रोष है तथा गृह कर भुगतान भी नहीं हो रहा है। नगर निगम अधिनियम, 1959 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनता को गृह कर में 40.0%, 32-5% एवं 25.0% छूट देने का प्राविधान है जिसको ध्यान में रखकर नगर निगम सदन द्वारा संकल्प पारित कर उ0 प्र0 सरकार को भेजा जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। शासन द्वारा 5-12-2003 को अस्थायी तौर पर भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 20 वर्ष से अधिक पुराने भवन पर 25% छूट, 10 से 20 वर्ष पूराने भवन पर 20% की छूट तथा 10 वर्ष से कम पुराने भवन पर 15% की छूट दिये जाने का शासनादेश निर्गत किया। परन्तु 7-1-04 को शासन द्वारा इस छूट को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

शासन के इस निर्णय से इलाहाबाद की जनता में काफी असंतोष व्याप्त है, अतः सरकार का ध्यान इस समस्या को तत्काल समाधान करने की ओर आकृष्ट करता हूं कि गृह कर किसी भी दशा में दूने से अधिक न हो। अतः लोक महत्व एवं अविलम्बर्नीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

नोट :-- । ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष-

छटीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।

जनपद जालौन के कालपी में हाथ कागज निर्माताओं द्वारा व्यापार कर आरोपित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[मान्यवर, कालपी के हाथ कागज पर संस्था तथा निजी इकाई में भेद करते हुए व्यापार कर आरोपित कर दिया गया था जबकि पारम्परिक हाथ कागज उत्पादक सभी इकाइयों को खादी कमीशन का रिकगनीशन सर्टिफिकेट प्राप्त है और संस्था प्रमाणित किया गया है। व्यापार कर की इस समस्या के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारी, मंत्री एवं निर्माता की बैठक में पत्रावली संख्या-क0नि0-2 3452/11-2003-9(53)/91 टी0 सी0 में अंकित सहमति हुई थी कि व्यक्तिगत इकाइयों पर आरोपित व्यापार कर की माफी तथा आदेश होने तक स्थगनादेश एवं प्रवेश कर/व्यापार कर से छूट प्रदान की जायेगी। किन्तु कमिश्नर व्यापार कर के पत्र सं0 विधि तीन(1)-(क-1)(2001)-2249, दिनांक 19-1-04 के निर्गत होने के बाद कालपी के पारम्परिक हाथ कागज बनाने वाले कारीगरों, जिनकी निजी इकाइयां हैं के सामने अस्तित्व तथा इस कुटी उद्योग से पलने वाले 10,000 मजदूर परिवार की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन निर्माताओं ने 7-2-2004 को उप जिलाधिकारी कार्यालय कालपी में धरना प्रदर्शन कर मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर व्यापार कर खत्म किये जाने पर दिनांक 18-2-04 से निजी इकाइयों को बंद करने की घोषणा कर दी है। इस स्थिति में शासन द्वारा अब तक कोई भी न्यायोचित कार्यवाही न किये जाने से स्थिति गम्भीर है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री उपाध्यक्ष-

श्री नवाब सिंह नागर के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री मदन चौहान की सूचना स्वीकार की जाती है तथा माननीय श्री आर0 एस0 कुशवाहा की सूचना अस्वीकार की गयी।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में सायंकाल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, आज शिक्षा पर छात्रों के लिये विभिन्न सुविधायें दी जा रही हैं लेकिन मेरी विधान सभा में विद्युत आपूर्ति शाम देर से आने पर छात्रों की ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है अतः आपूर्ति शाम को 6 बजे अवश्य हो जानी चाहिए तथा पर्यटन स्थल ऐतिहासिक स्थान होने पर भी पूजा आदि के लिये विद्युत आपूर्ति शाम 6 बजे से 10 बजे तक अवश्य हो। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तथा आप उचित निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपदीय बैठकों में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठकों की अध्यक्षता किये जाने के निर्देश का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-300 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन में भी कई बार यह निर्देश हो चुके हैं कि जहां जनप्रतिनिधि मौजूद रहें वहां पर जनप्रतिनिधि बैठक की अध्यक्षता करेगा यह बात कई बार प्रश्नों के माध्यम से और नियम-300 के माध्यम से सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी है लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं हो रहा पुलिस अधीक्षक विधायकों की. जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता स्वयं पुलिस अधीक्षक करते हैं । समाज कल्याण विभाग से एक जी0 ओ0 हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिये समिति की अध्यक्षता जनप्रतिनिधि करेंगे। पीठ का जो निर्देश है उसका पालन नहीं हो रहा है मैं आपकी पीठ के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मीटिंग नहीं होनी चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं अभी इसको देखता हूं और इसको स्थगित कराता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री जगदीश नारायण राय और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि जनपदों की जिन क्षेत्रीय बैठकों में सांसद और विधायक होंगे उन बैठकों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे। यह व्यवस्था है।

अनपरा-सी परियोजना का शिलान्यास मा0 मुख्य मंत्री द्वारा किये जाने विषयक जानकारी गत सत्र में सदन में परिवहन मंत्री द्वारा दिये जाने तथा बजट भाषण में निजी क्षेत्र में देने की योजना की घोषणा में विरोधाभास पर औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सुखदेव राजभर की है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि चाहे मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों जो भी बात सदन में कही जाय वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है और माननीय सदस्यगण उसमें विश्वास करते हैं। मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने पिछली 4 तारीख को घोषणा किया, जिसका सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगणों ने स्वागत किया कि अगले महीने में माननीय मुख्य मंत्री जी अनपरा 'सी' का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जब हम लोगों ने बजट भाषण को पढ़ा तो उसमें अनपरा 'सी' के सम्बन्ध में यह आया कि इसको निजी क्षेत्र में देने की योजना बनायी जा रही है। इसको ले करके पूरे प्रदेश में विद्युतकर्मी आन्दोलित हो चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बात निकाली जाय वह सत्य होती है और सदन उस पर विश्वास करता है। इसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाई थीं। क्या कारण है कि इसे निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है ? यह इसलिये भी औचित्य का प्रश्न बनता है कि एक महत्वपूर्ण पद से अगर सदन में घोषणा हो और पूरे प्रदेश में इसकी खबर पहुंचे तो इस परम्परा को कायम रखा जाय। जो भी कहें वह सत्य हो, अनर्गल बात न कही जाय। दो महीने बीत चुके हैं और अब आप उसका शिलान्यास करने के बजाय निजी क्षेत्र में देने जा रहे हैं, इसको लेकर आन्दोलन व्याप्त है। ऐसे बयानों पर कहीं न कहीं सदन की विश्वसनीयता पर आघात लगता है। अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए सस्ती बयानबाजी की जायेगी तो निश्चित रूप से इससे सदन की गरिमा गिरेगी। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, माननीय राजभर जी ने सदन की गरिमा को याद किया है मैं इनको धन्यवाद देता हूं और यह रोज सदन की गरिमा का ध्यान रखते हैं लेकिन अपना आचरण और व्यवहार कैसे रखते हैं। यह इनकी खूबी है कि यह अपने बनाये हुए सिद्धान्तों और उसूलों को स्वयं विधान सभा में तोड़ते हैं। मान्यवर, विद्वान सदस्य ने यह कहा, यह पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जो कहा गया उसका पालन नहीं किया गया तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मुलायम सिंह जी की सरकार है जो कहती है वह करती भी है। यह लोग तो इस बात के गवाह हैं कि सत्ता में तीन बार रहे और एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया। ग्रामीण अंचलों में तो एक-एक हफ्ते बिजली नहीं आती थी।

श्री सुखदेव राजभर-

झांसी में शिलान्यास किया था।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह मुलायम सिंह जी की सरकार है कि ग्रामीण अंचलों में चौदह घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।

(विपक्ष से झूठ-झूठ की आवाजें)

मैंने यह कहा था कि अनपरा 'सी' लगेगा जनवरी में नहीं लगा। फरवरी में माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख कर दिया है कि अनपरा 'सी' लगाने जा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी कि जो औचित्य का प्रश्न बन गया। एक महीने के बाद बजट में उसकी घोषणा कर दी गयी तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यह मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है। जिसमें कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। न केवल जितना कहा गया बल्कि बजट में इसका उल्लेख कर दिया गया है और अनपरा 'सी' बनने जा रही है। मान्यवर, आपने कहा कि उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है, मान्यवर, उसमें जापान से बात हुई थी, 2012 में उसे बनाने की बात उन्होंने की है, हमें प्रदेश को बिजली आज देनी है, 2012 में अगर हम शुरू करायेंगे तो प्रदेश तो तब तक बदहाल हो जायेगा। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि नियम-300 में यह प्रश्न नहीं उठता है इसलिये इसे खारिज कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न यह इसलिए बनता है चूंकि मंत्रि-परिषद् के नाते सामूहिक जिम्मेदारी और मंत्रि-परिषद् के किसी भी सदस्य द्वारा सदन के अन्दर दिया गया वक्तव्य या कथन यह मान लिया जाता है कि यह मंत्रि-परिषद् का निर्णय है, सरकार का निर्णय है और मान्यवर, साथ ही साथ माननीय परिवहन मंत्री जी ने सीधे-सीधे चार सितम्बर, 2003 के उपवेशन में अनपरा-सी का शिलान्यास करने की सीधे घोषणा की, मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है उस पर आ रहा हूं मान्यवर, दूसरी ओर 2004-2005 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पृष्ठ-55 पर यह कहा गया कि अनपरा-सी परियोजना को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। मान्यवर, आपके वक्तव्य को लगभग तीन महीने बीत गया और उन्होंने कहा था कि अगले महीने में उसका शिलान्यास हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय परिवहन मंत्री जी सही हैं या माननीय मुख्य मंत्री जी सही हैं, यह कृपया सिद्ध करें।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मौर्या जी की विद्वता को तो सदन में कोई पा नहीं सकता, आज पृष्ठ संख्या बता कर मौर्या जी ने यह साबित कर दिया कि वह पढ़ते भी हैं और यह भी सिद्ध कर दिया है कि अपनी नेता का भाषण उतना अच्छा नहीं पढ़ा जितना अच्छा मुलायम सिंह यादव का भाषण पढ़ा। मान्यवर, मैं इनका स्वागत करता हूं और इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप तो विद्युत के मामले में सत्यानाशी हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

इसलिए यह सूचना काफी है खुश होने के लिये और आप को अभी से आमंत्रित किया जाता है कि जैसे ही शिलान्यास माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसका करेंगे, आपको उनके बराबर खड़ा करके शिलान्यास कराया जायेगा, ताकि आपकी तस्वीर उनके साथ साफ-साफ और सुन्दर आये।*

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इनकी नेता क्या करेंगी?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इनकी नेता जहां होंगी वहीं बैठकर ताली बजायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं।

नियम-51 की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर भी शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत रु0 246.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 30 मार्च, 2001 को प्राप्त हुई थी, इलाहाबाद शहर के बांघंबरी गद्दी (अल्लापुर) क्षेत्र मे सीवर कार्य पूर्ण कराने हेतु। मान्यवर, इसके लिये 50 लाख रुपये की प्रथम किश्त तत्काल अवमुक्त कर दी गयी थी, लेकिन इसके लिये अवशेष धनराशि 196.59 लाख रुपये अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना 17 सितम्बर, 2003 को स्वीकृत हुई थी, जिस पर 18-9-2003 को शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-19 को अपेक्षानुसार कार्यवाही कर सम्बन्धित सदस्य तथा सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। मान्यवर, 50 लाख रुपये अवमुक्त हुआ था, जिसमें कार्य भी हुआ था, मगर अब यह कार्य बिल्कुल अधूरा पड़ा है, कार्य पूर्ण न होने के कारण 50 लाख रुपये बेकार हो रहा है, सारा कार्य मिट्टी में मिल गया है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यह पैसा जो शेष है वह कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा, जिससे कार्य पूर्ण हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह राशि मिलनी जरूरी है और इसलिये भी जरूरी है, क्योंकि इसमें 50 लाख रुपये खर्च हो चुका है और यह लगभग दो करोड़ की योजना है, देरी लगने से योजना और भी महंगी हो गयी है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे इसकी कीमत लगभग 3-4 करोड़ तक भी जा सकती है। मान्यवर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताकि बाकी की धनराशि जल्द ही स्वीकृत करा सकें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो।

नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 12-2-2004 को नियम-311 के अन्तर्गत केवल एक सूचना श्री लालजी वर्मा की प्राप्त हुयी, जो जनपदों को समाप्त किये जाने के संबंध में है, उक्त सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है।

जनपद बहराइच में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भग्गड़वा बाजार, विकास खण्ड हुजूरपुर में अध्यापकों की व्यवस्था कराने विषयक श्री रणविजय सिंह निवासीगण जनपद बहराइच आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-बहराइच के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भग्गड़वा बाजार, विकास खण्ड हुजूरपुर में अध्यापकों की व्यवस्था कराने विषयक श्री रणविजय सिंह तथा श्री अभिषेक वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 12 फरवरी, 2004 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 12-2-2004 से 21-02-2004 तक के संशोधित कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-शनिवार दिनांक 21 फरवरी, 2004 को सदन का उपवेशन हो।

2-दिनांक 12-02-2004 से सदन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :-

फरवरी, 2004

12 गुरुवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण।
13 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
14 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
15 रविवार	

नोट :- † छापी नहीं गई।

16 सोमवार वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

17 मंगलवार 1-निधन के निर्देश।

2-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

18 बुधवार महाशिवरात्रि का अवकाश।

19 गुरुवार बैठक नहीं होगी।

20 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 शनिवार 1-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

तत्कालीन सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-17 के उत्तर पर तत्कालीन कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णयानुसार निदेश सं0-166 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही तथा संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संबंध में .....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[सदन की सहमति से नत्थी (ग) पर अंकित विवरण पढ़ा हुआ माना गया।]

नत्थी (ग)

[श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत तत्कालीन कृषि मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 31 मार्च, 1992 के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा सदन में दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को दिये निर्णय की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना एवं संशोधित उत्तर।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
17-दशम विधान सभा के प्रथम सत्र, 1991 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक विधायक की शिकायत को आधार बनाकर उसे स्थानान्तरित करके परेशान करने सम्बन्धी मामले में तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को पारित आदेशानुसार हुई जांच में जांच अधिकारी कौन था ?	इस प्रकरण की जांच शासन द्वारा कृषि निदेशक से कराई गई।	कृषि निदेशालय के तत्कालीन कर्मचारी श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध डा0 मो0 उमर, तत्कालीन मा0 विधायक के नाम से एक शिकायती-पत्र दिनांक 29-4-87 शासन को प्राप्त हुआ था। उस पर शासन द्वारा कृषि निदेशक को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। कृषि निदेशक से प्राप्त हुई सूचनानुसार, उनके द्वारा श्री मोती लाल वर्मा, लेखाकार, सम्प्रेक्षण अनुभाग कृषि निदेशालय, जो उक्त अनुभाग में 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात थे, को विभागीय कार्यहित में कृषि निदेशालय के ही पेंशन अनुभाग में तैनात कर दिया गया, क्योंकि वहां लेखाकार को तुरन्त तैनात किया जाना आवश्यक था।
जांच अधिकारी की जांच आख्या क्या है तथा उस पर शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया गया है ?	जांच अधिकारी द्वारा श्री मोती लाल की पत्नी श्रीमती इन्द्रा वर्मा के शिकायती-पत्र में इंगित आरोपों को निराधार पाया गया।	बाद में श्रीमती इन्द्रा वर्मा, पत्नी श्री मोती लाल वर्मा का एक प्रार्थना-पत्र दि0 24-2-1988 श्री सत्यपाल सिंह यादव, तत्कालीन मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 25-2-1988 के साथ शासन को प्राप्त हुआ, जिसमें अन्य के साथ इस बात की शिकायत की गयी थी कि कृषि निदेशालय के अधिकारी उनके पति का उत्पीड़न कर रहे
जांचोपरान्त कर्मचारी के विरुद्ध कथित शिकायत के बारे में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?	शासन ने कृषि निदेशक की जांच आख्या के आधार पर उनके पूर्व पद से स्थानान्तरण को उचित पाया।	

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
		हैं और कृषि निदेशालय में सम्प्रेक्षण अनुभाग के कुछ कर्मचारियों की सांठ-गांठ से गोण्डा के कांग्रेस (आई0) विधायक डा0 मो0 उमर के नाम से उनके पति के विरुद्ध फर्जी शिकायत कर उनका स्थानान्तरण करा दिया है, जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को पारित आदेशानुसार श्रीमती इन्द्रा वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर जांच की कार्यवाही तत्कालीन कृषि निदेशक उ0 प्र0 के माध्यम से करायी गयी। इस जांच से संबंधित कृषि निदेशक का पत्र दिनांक 15-7-1988, 11-7-1989 उपलब्ध है, जो मा0 सदस्य, उसे देखना चाहें, मेरे कार्यालय में सम्पर्क कर देख सकते हैं।
क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 2 मई, 1988 को जांच के आदेश के साथ ही कर्मचारी को योगदान कराने के आदेश भी पारित किये गये थे ? यदि हां, तो उस आदेश पर क्या कार्यवाही हुई ?	तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सम्बन्धित कर्मचारी को योगदान कराने के आदेश नहीं दिये थे, चूंकि श्री मोती लाल को पूर्व नियुक्त के स्थान से पहले ही अवमुक्त किया जा चुका था। अतः उन्हें उसी स्थान पर पुनः तैनात करने का औचित्य नहीं पाया गया।	इस जांच में श्री मोती लाल के स्थानान्तरण के विरुद्ध उनकी पत्नी द्वारा उल्लिखित किये गये तथ्य सही नहीं पाये गये और उनके शिकायती-पत्र में इंगित आरोपों को निराधार पाया गया। शासन ने कृषि निदेशक की जांच आख्या के आधार पर उनके द्वारा श्री मोती लाल के किये गये स्थानान्तरण को उचित पाया। वस्तुतः तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी ने सम्बन्धित कर्मचारी को योगदान कराने के ओदश नहीं दिये थे, चूंकि श्री मोती लाल को पूर्व नियुक्त के स्थान से पहले

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
		ही अवमुक्त किया जा चुका था और उनका स्थानान्तरण विभागीय कार्यहित में था। अतः उन्हें पुनः पूर्व के स्थान पर तैनात करने का औचित्य नहीं पाया गया। **स्पष्टीकरण**–मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निदेश सं0-166 के अन्तर्गत यह आदेश दिये गये थे कि पूर्व में दिये गये उत्तर में भ्रामक उत्तर तैयार करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाय। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्न का उत्तर तैयार करने के प्रकरण की विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0 प्र0 शासन (श्री दिनेश सहाय) (वर्तमान विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग) को जांच अधिकारी नियुक्त कर शासन द्वारा जांच करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या दि0 14 अक्टूबर, 2003 से यह पाया गया है कि प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा उक्त प्रश्न के माध्यम से ''एक विधायक'' के पत्र पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी नहीं चाही गयी थी, अपितु विधायक के पत्र को आधार बनाकर श्री मोती लाल की पत्नी श्रीमती इन्द्रा वर्मा द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुक्रम में की गयी जांच की जानकारी चाही गयी थी। वस्तुतः तत्कालीन मुख्य मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
		जी ने उक्त आदेश श्रीमती इन्द्रा वर्मा के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में ही दिये थे। अतः तद्नुसार ही श्रीमती इन्द्रा वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर करायी गयी जांच के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया था। अस्तु प्रश्न में वर्णित 'एक विधायक' के पत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मांगी गयी थी और न ही प्रश्नोत्तर में उपलब्ध करायी गयी है। अतः यह आधार बनाकर कि प्रश्न में मा0 विधायक के शिकायती-पत्र का उल्लेख है और प्रश्नोत्तर में सूचना, श्री मोती लाल की पत्नी श्रीमती इन्द्रा वर्मा के शिकायती-पत्र पर उपलब्ध करायी गयी है, प्रश्नोत्तर को भ्रामक मानना उचित नहीं है। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार करने में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।]

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2004 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय और श्री सुखदेव राजभर की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, नियम-56 के अन्तर्गत सूचना देते हुये, मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकारी तंत्र का दबाव बढ़ रहा है उससे वह आम जनता को न्याय देने में अपने को अक्षम पा रहे हैं।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ? माननीय मौर्य जी ने विधान सभा प्रारम्भ होते ही अपने नियम-56 की बातों को यहां रखने का प्रयास किया और वह लिखा गया तो क्या फिर दोबारा उसी की पुनरावृत्ति कर सकते हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह पीठ से ही निर्देश हुआ था कि नियम-56 जब आयेगा तो इसे लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की बेबसी और लाचारी की स्थिति पैदा हो गयी है और हमारे सरकारी राजनीतिक दबाव के कारण ऐसे अधिकारी जो निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं वह इस्तीफा देने को विवश हैं। मान्यवर, बनारस में एस0 टी0 एफ0 के डिप्टी एस0 पी0 शैलेन्द्र सिंह को इसलिये इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि गुण्डा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हस्तक्षेप किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। उसने लिखा है कि सरकार के लोग हम पर दबाव बना रहे हैं और हम न्यायपूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने संविधान की कसम ली है कि हम जनता को न्याय देंगे लेकिन हमारे कार्यों में राजनीतिक दबाव और दस्तक्षेप आ रहा है ऐसी स्थिति में हम अपना इस्तीफा देने के लिये मजबूर हो रहे हैं। यह आज भयावह स्थिति पैदा हो गयी है । आज अधिकारी लाचार और बेबस हो गयें हैं, गुण्डों और माफियाओं के आगे उनकी घिग्घी बंध गयी है क्योंकि ऐसे गुण्डा माफिया जो अपराध करते जा रहें हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं इस सूचना के माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर कहना चाहता हूं कि इस तरह से इस्तीफा देने से केवल अधिकारियों में ही नहीं बल्कि जनता में रोष व्याप्त है कि अगर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव होगा, गुण्डा माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने से रोका जायेगा तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा ? इस जनाक्रोश की सूचना देते हुए मैं आपसे मांग करता हूं कि आज सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं आज जैसे कोई खाना पकता है तो हांडी का एक चावल टो लेते हैं तो समझते हैं कि पूरा-पूरा पक गया है। मान्यवर, यह जो डिप्टी एस0पी0 ने इस्तीफा दिया है इसकी पूरी सड़कों पर चर्चा चल रही है। एस0टी0एफ0 की एक गरिमा होती है। यह क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है आज उसका अधिकारी इस्तीफा दे रहा है। उसकी ग्राह्यता इसलिए भी है कि आज बनारस में पता लगा लें पूरा एस0टी0एफ0 का दफ्तर बन्द कर दिया गया और जो उसमें आपके कर्मचारी अधिकारी लगे थे उनको लखनऊ बुला लिया गया क्योंकि एस0टी0एफ0 की फोर्स पूरे अपराधों को नियंत्रण कर रही थी और अगल बगल के जनपद में अपराध नियंत्रण से अपराध कम हो गये थे। जहां इस तरह की स्थिति पैदा हो। आज एक अधिकारी नहीं, जालौन के एस0पी0 ने चिट्ठी लिखी कि मेरी जान खतरे में है, हमारे लिये सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाय। सैफई महोत्सव में जो भी घटना हुयी, उसके लिये वहां का एस0पी0 हटाया गया, एस0पी0 ने कहा कि पूरी फोर्स तो सैफई महोत्सव में थी, इसमें मैं क्या करूं, उस पर उसको हटा दिया गया। मान्यवर, इस संवेदनशील मसले पर आपके संरक्षण की जरूरत है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो अपराध नियंत्रण के लिये है, उसको मजबूर होकर त्याग-पत्र देना पड़ेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप इस पर एक दो घण्टे की चर्चा करा लें और जब चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बात कहेंगे और इधर के लोग भी कहेंगे, नेता, प्रतिपक्ष भी कहेंगे। इसलिए चर्चा बहुत आवश्यक है। आज बिहार में जिस तरह से ओझा का प्रकरण उठ गया था, उसी

तरह से उत्तर प्रदेश में शैलेन्द्र कुमार सिंह का प्रकरण उठ गया है, इस पर चर्चा के लिये आपका निर्देश जरूर होना चाहिये।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री.....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं सिर्फ शर्मिन्दगी जाहिर कर सकता हूं, मुझे बिल्कुल शर्मिन्दगी है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

यह विषय किसी एक अधिकारी का नहीं है। यह विषय सारे प्रदेश की स्थिति का आईना है। एक थानेदार थे, उन्होंने सपा के 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी, क्यों मार दी, उसको सजा मिले, उसने अपना संयम क्यों खोया और ऐसी स्थिति क्यों आई ? थाने के अन्दर जाकर कालर पकड़कर लोग बेइज्जत करेंगे, झापड़ मारेंगे तो अगर कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति है तो वह ऐसा ही करेगा। अब वह अपराधी है, इसलिये मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने संयम क्यों खोया, इसके ऊपर चिन्तन करना पड़ेगा। यह सब जगह-जगह हो रहा है, यहां पर लखनऊ में भी एक विधायक ने एक सब इंस्पेक्टर को तमाचा मारा कि वह अपना गाल सहलाने लगे, वह हजूर करके चला गया। मैं तो कहता हूं कि वह कायर है कि उसने यह बर्दाश्त कर लिया। यदि किसी भी व्यक्ति में जरा भी आत्मा है तो वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई अधिकारी ने एल0एम0जी0 जैसे घातक हथियार, जो इस देश का, प्रदेश का सत्यानाश कर सकते थे, अगर उसको पकड़वाने में भूमिका निभाई तो सरकार का यह कर्तव्य था कि उसको इस सदन में बुलाकर सम्मानित करते और कहते कि तुमने प्रदेश को बचाया। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि और भी जो वहां के अधिकारी थे, उनको भी हटा दिया गया, डी0आई0जी0 हटा दिया गया, आई0जी0 हटा दिया गया, इसलिये कि उन्होंने ऐसा अपराध क्यों किया ? अवैध असलहे की खरीद में बाधा क्यों पहुंचाई ? क्यों उसका पर्दाफाश किया ? अगर इस बात से पीड़ित होकर कोई इस्तीफा देता है तो मैं उसके साहस के लिये बधाई देता हूं और मैं यह कहता हूं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को इससे सबक लेना चाहिये कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पर चलने से सबके साथ नमकहरामी की जाय, यह ठीक नहीं है। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि सरकार के आदेशों का पालन न किया जाय, लेकिन सरकार के उन आदेशों, जिनसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचे तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को लैप्स हो जायेगी और जब ऐसा हो जायेगा, ऐसी दो-चार घटनाएं और हो जायेंगी तो जो लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, यह उसके लक्षण हैं। संवैधानिक व्यवस्था के प्रश्न उठेंगे तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी पड़गी और राष्ट्रपति स्वयं हस्तक्षेप करके सरकार को भंग करेंगे।

(सत्ता पक्ष द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, आप यहां 100 साल बने रहें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको हटाना नहीं चाह रहा हूं। मैं संवैधानिक व्यवस्था बता रहा हूं, उस राज्य का पतन जल्दी होता है जिसमें सत्य बातें सुनने का साहस नहीं रहता है। यह आप सबको स्वीकार करना चाहिए कि एक अपराधी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बचाने के लिए कितने लोगों को दण्डित कर दिया गया। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सदन का भी उत्तरदायित्व होता है, आप इसके ऊपर चर्चा करायें, सरकार वक्तव्य दे कि आखिर क्यों इतने अधिकारियों को हटाना पड़ा ? इस्तीफा तो एक ने दिया बाकी का क्या दोष था, अगर वह दोषी थे तो उसकी जांच करायी जानी चाहिए थी। यह व्यवस्था नहीं चलेगी, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न आये, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है,यह सरकार रहे या जाये। आज चौराहे-चौराहे पर इनकी चर्चा हो रही है, मैं यदि न भी कहूं तो वह हमारे ही हित में हो रहा है। हम बिहार के बारे में जितना पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की सीमा से भी हम आगे निकल गये हैं। हम अगर यहां पर आये हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ला-एण्ड-आर्डर बनाये रखने की। आपने, सरकार ने सौगन्ध खायी है कि इंसाफ करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, अगर आप उस सौगन्ध को भंग करते हैं तो आप अपने आप अपना रास्ता बदल रहे हैं और वह रास्ता इसके बाहर जाने का है। इसलिए आज मैं बड़े मर्माहत होकर कह रहा हूं कि जैसे द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था, बड़े-बड़े विद्वान बैठे हुए थे लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। आज वहीं हालत है, यह कौरव दल बैठा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी निर्वस्त्र की जा रही है, लेकिन किसी को साहस नहीं है कि वह बोल सके क्योंकि उस समय भी यदि कोई बोलता तो दुर्योधन उन्हें ठीक कर देता, आज भी ठीक वैसी हालत है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगो की बात सुनी जानी चाहिए, वह कौन लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं। राजधानी में पुलिस के छोटे-छोटे मामले में, किसी की जमीन पर कब्जा हो गया, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, सब ऊपर से दबाव है, यह दबाव कहां से है ? यदि ऊपर से दबाव बढ़ जायेगा तो नीचे वाले पिचक जायेंगे। आपको मर्यादाओं का पालन करना चाहिए इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर सरकार वक्तव्य दे और चर्चा हो।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने व उनके खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(सत्ता पक्ष की ओर से बैठिये-बैठिये की आवाजें आयीं)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मा0 उपाध्यक्ष जी, श्री हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं और व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। पहले उन्हें सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शांत रहें। माननीय हुकुम सिंह जी, बताइये क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मौलिक घटना का उल्लेख आपके समक्ष हुआ, नेता प्रतिपक्ष और नेता द0स0पा0 ने भी किया है। यह उल्लेख ऐसा है कि जो सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बर्बाद करने वाला है। अगर सुधार नहीं हुआ तो स्थिति बहुत भयावह हो जायेगी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी में संवेदनशीलता है और इस बात में रुचि रखते हैं कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अपने पैरों पर खड़ी रहे तो बजाय इसके खड़े होकर आश्वासन दें कि जिन लोगों की वजह से एक अधिकारी को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा, अधिकारी चाहता था कि उन तत्वों के ऊपर पोटा लगे तो पोटा लगना चाहिए और उस अधिकारी से माफी भी मांगे। एक बहादुर अधिकारी को इस्तीफा देने के लिए

विवश होना पड़ा। सरकार यह कहे कि तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा के लिए हम प्रशंसा करते हैं और तुम्हे इनाम देते हैं तब तो कोई मकसद हल होता है। अगर बिना इस घोषणा के लीपापोती करें तो सदन में बैठना बेकार हो जाता है। जो कार्यवाही उस अधिकारी ने अपराधियों के खिलाफ प्रस्तावित की थी उस अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार करें कि पोटा की कार्यवाही भी होगी और इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के लिए उस अधिकारी से माफी भी मांगेंगे और यह कहेंगे कि आप निर्भीक हो करके अपना दायित्व निभाये। यह सदन में घोषणा करें तभी मकसद हल होगा।

(व्यवधान/शोर)

श्री अर्जाम भाई-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं व्यवस्था के नाम पर केवल भाषण दे रहे थे लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि किस चीज पर व्यवस्था मांग रहे थे ?

(शोर/व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया बैठिये। माननीय हुकुम सिंह जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया तो आपने कहा कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाह रहा हूं कि आपने व्यवस्था के नाम पर अनुज्ञा चाही थी और आपने अपनी बात रखी तो आपने कौन सी व्यवस्था की बात कही ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने प्रश्न किया है और निर्देश दिया है तो आपका आदेश शिरोधार्य है। यह सदन व्यवस्थित चले, यह हम सबकी आकांक्षा है। मैंने उन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कमियां है, उन कमियों को देखते हुये माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें ताकि सदन व्यवस्थित ढंग से चल सके। नहीं तो इस तरह से सदन व्यवस्थित नहीं चल पायेगा। केवल लीपापोती करते रहेंगे उससे सदन व्यवस्थित नहीं चल सकेगा। सदन को व्यवस्थित कराने के लिए आप इनको निर्देश दें कि इन बिन्दुओं पर स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सदन व्यवस्थित ढंग से चले इसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है और उसी के लिए मा0 उपाध्यक्ष जी द्वारा मुझे बुलाया गया था। माननीय हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने व्यवधान पैदा किया। मान्यवर, कानून का राज है प्रदेश में और हम सबकी नीयत है कि संविधान, कानून, नियमों सबका पालन हो। जिस देश में तानाशाही नहीं होगी, लोकतंत्र होगा और जनता द्वारा बनायी गयी सरकार के द्वारा कानून बनाये जायेंगे तो उन कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिये। ऐसे लोग जिन्होंने न तो उच्चतम न्यायालय के आदेश को माना, ऐसे लोग जिन्होंने सुरक्षा परिषद् के रिज्योल्यूशन को नहीं माना ऐसे लोग जिनकी संविधान में आस्था नहीं है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग पूरी बात तो सुनें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन करूंगा। सदन व्यवस्थित चले उसके लिये आपके द्वारा पूरे सदन को अवगत कराया गया था। अब उन्हीं के दल के सदस्य सदन को व्यवस्थित

बलाना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। मैंने किसी दल या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने मात्र एक व्यवस्था के बारे में, इस देश के संविधान के बारे में, कानून और नियमों के बारे में कहा है। लेकिन खेद की बात है कि नेता प्रतिपक्ष के उन ताकतों को आज उभारने की कोशिश की है जिनसे देश और प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। मान्यवर, थप्पड़ मारने वाले की सजा कानून तय करेगा। उसकी सजा यह नहीं है कि रिवाल्वर निकालो और तीन व्यक्तियों की हत्या कर दो। यही फर्क हमारी और आपकी सोच में है। हम रूल-आफ-ला, कानून के राज में यकीन करने वाले लोग हैं जिसमें थप्पड़ मारने वाले का हाथ पकड़ा जाना चाहिये और फिर कानून थप्पड़ मारने की गुनाह की सजा दे। लेकिन आपने 6 दिसम्बर, 1992 से लेकर आज तक उसके दोषी लोगों को सजा नहीं दी। (शोर)

एक सदस्य-

आप को घुमा फिरा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसीलिये मान्यवर, कानून का राज कायम है। मेरा कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बड़ी जिम्मेदारी का है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो नेता प्रतिपक्ष उसकी तरफ इंगित करें। सरकार का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। एक वाक्या हुआ है और उस वाकये का संज्ञान लिया गया है और संज्ञान इस हद तक लिया गया है मैं उसका पूरा जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। संज्ञान लिया गया है इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि कानून का राज्य है। प्रदेश में 15-16 महीने कानून का राज नहीं रहा। गुनाह करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुयी और मुकदमा भी कायम नहीं हुआ। बेगुनाहों पर जुल्म होता रहा, मजलूम सताया जाता रहा और आह भी नहीं कर सका। मैं सूचना देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन पार्टी को कि इस वाकये का संज्ञान सरकार ने लिया है। हम कानून का राज कायम करना चाहते हैं और किस हद तक कानून का राज कायम करना चाहते हैं थप्पड़ मारने वाले की सजा थप्पड़ मारने की हद तक होगी। अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो उसके कारणों को सदन में आना चाहिये। सरकार की कार्यवाही सदन में आनी चाहिये। इसे जिसे स्तर से लिया गया है खुद नेता जी ने सूचित किया है कि इसमें पांच बजे वह स्वयं जवाब देंगे।

(श्री भरत सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

भरत सिंह जी बैठ जायें। मैंने इस सूचना पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, श्री सुखदेव राजभर, नेता विरोधी दल तथा श्री हुकुम सिंह जी को सुना इसके उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना यह नियम-56 में नहीं आती है। इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

(इसी मध्य श्री भरत सिंह, श्री घनश्याम शुक्ल तथा श्री राम इकबाल सिंह आदि के साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।

आप लोग अपने आसन पर जायें।

(सदस्यों के वेल में उपस्थित रहने पर)

मैं सदन को दो बजे तक स्थगित करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नियम-56 की सूचना थी.....

श्री उपाध्यक्ष-

ऐसा है मौर्या जी, आपकी बात सुनने के बाद, नेता विरोधी दल की बात सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी 5.00 बजे उत्तर देंगे इस प्रकरण पर। इसलिये अब आप इसको समाप्त करिये। मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है, चर्चा की कोई बात नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं केवल इतनी व्यवस्था चाहता हूं कि जो नियम-56 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव था उस पर नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता विरोधी दल को आपने सुना लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। केवल इतना कहा कि 5.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर उत्तर देंगे। मैं कृपा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इसको अग्राह्य न करें इसको स्थगित रखें जब माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाये तब इसको अग्राह्य करें।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, दूसरे नम्बर पर आपका प्रश्न है आप अपने प्रश्न पर बोलें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं कि इसको अग्राह्य न करिये स्थगित कर दीजिये जब माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाये तब अग्राह्य कीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने प्रश्न की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा कि नेता जी इस पर अपना उत्तर देंगे लेकिन बाजपेयी जी और अन्य सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं हैं कि नेता जी यहां कुछ कहें। अगर यह इससे सन्तुष्ट होते तो सदन का बहिष्कार नहीं करते।

(व्यवधान)

बहिष्कार ही है। आपने सदन नहीं चलने दिया। आप सुबह से कह रहे हैं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले। इस तरह से चलेगा कि आप पोटा चलाने की मांग कर रहे हैं। आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त कर दें। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो रिवाल्वर निकालकर सारी गोलियां उस पर उतार दी जायं। यह कहा जाय कि ए0के0-47 की खाली कर दिया जाय। यह इन्हीं लोगों ने बनाया था जब सरकार में थे और दिल्ली में इनकी सरकार है। यही लोग जिम्मेदार हैं इसके लिये। अगर गाल पर थप्पड़ मारा है तो सीने में सारी गोलियां दरोगा उतार दे। यह रूल होगा ? इस तरह से सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। सदन को नहीं चलने दिया जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि सदन व्यवस्था से चले। मान्यवर, पोटा नहीं लगाया जायेगा।

(मेजें थपथपाई गई)

अगर पोटा सही है तो बताय भाईको पर पोटा लगाया गया था.....

राजा भइया के खिलाफ लगा पोटा सही है हमारी सरकार ने, हमारे दल ने लोकसभा में भी यही कहा था कि हम उसूली तौर पर इसके खिलाफ हैं कि पोटा का कानून बने क्योंकि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों पर होगा। मान्यवर, वाइको पहले व्यक्ति थे जिन पर पोटा लगाया गया, पोटा कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए था इसका अंजाम क्या होगा ? अब आपकी मजबूरी क्या है आपने कानून बनाया उसके बावजूद आप हटा नहीं पा रहे हैं ? थप्पड़ मारेंगे लेकिन जब सजा होगी तो थप्पड़ मारने का जिसने गुनाह किया उसको बचाना चाहेंगे, विपक्ष कहे, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर दबाव डाले तो ऐसा नहीं है सरकार नियम से चलेगी, कानून से चलेगी, विधान से चलेगी। जो कुछ हुआ है यह सरकार के सोचने के विषय अवश्य है सरकार इस पर गम्भीरता से सोच रही है अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है चाहे वह सदन का सदस्य हो, चाहे सदन के बाहर का सदस्य हो या सरकारी नौकरी में काम करने वाला सदस्य हो, लेकिन यदि पीड़ावश इस्तीफा दिया है तो इस पर विचार हो सकता है इस पर सरकार विचार कर सकती है। इस्तीफा का कारण क्या है इस्तीफा देने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। किसी को पोटा में बन्द नहीं किया जा सकता है। थप्पड़ के बदले में रिवाल्वर से निकालकर सारी गोलियां किसी के सीने में नहीं चलाई जा सकती हैं इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि यह नियम-56 में नहीं आता है। इसको निरस्त करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

अगर किसी ने दबाव में इस्तीफा दिया है और वह सदन का सदस्य या सदन के बाहर का व्यक्ति है.....

श्री उपाध्यक्ष-

पीठ से व्यवस्था दी जा चुकी है अग्राह्य कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जैसे वरिष्ट व्यक्ति.....

श्री हुकुम सिंह-

आपने कहा विचार किया जाएगा अगर किसी के दबाव में इस्तीफा दिया है, तो सारी बातें विस्तार से कही गई हैं तमाम कारणों का उल्लेख किया गया है तो क्या उन कारणों को दूर करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं मैंने ऐसा नहीं कहा कि दबाव में। ऐसा मैंने नहीं कहा है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर किसी ने दबाव में इस्तीफा दिया है तो उन कारणों पर सरकार विचार करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसा कहेंगे....

श्री हुकूम सिंह-

दबाव में दिए गये इस्तीफा का उल्लेख आया है तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आपको उन कारणों की जानकारी भी है तो आप उन कारणों को दूर करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप व्यवस्था की बात करते हैं कि सदन व्यवस्थित चले। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे माफ करिएगा, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं अगर आप अपनी बात को रिकार्ड कराने के लिए 10-10 बार कहेंगे, बार-बार कहेंगे, रिपिटीशन होगा तो इससे वजन तो नहीं बढ़ेगा। आप अपनी बात कहने के बाद सरकार का पक्ष तो सुन लीजिए। आपके समय एडिशनल एस0पी0, आजमगढ़ ने मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या की थी लेकिन यहां यह काम नहीं होगा। चाहे सदन का या बाहर का सदस्य हो यदि अपने काम से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे उसके अधिकार से रोका नहीं जा सकता लेकिन सरकार किसी को निरंकुश होने का अधिकार नहीं देगी। किसी थप्पड़ मारने वाले के सीने में गोलियां नहीं उतारी जायेंगी। अगर ऐसा दबाव दिया जाता है तो यह दबाव नहीं माना जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-56 में अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं एक अहम् विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक है जो मिश्रित चिकित्सा पद्धति के है, उनके सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के द्वारा पंजीकृत नहीं है। मैं भी इससे सहमत हूं कि जो झोलाछाप चिकित्सक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों के समक्ष मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करना दुःस्वार हो गया है। उ0प्र0 इन्डियन मैडिसिन ऐक्ट 1939 की धारा 39(1) और 41(2) के अन्तर्गत प्रदेश के सुदूर अंचलों तक चिकित्सा के माध्यम से जनसेवा कर रहे चिकित्सकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की आड़ में शासन के आदेश सं0-726/71-2-2003-15 विप0/2002 दिनांक 24-2-2003 जारी होने के बावजूद भी जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके यंत्र द्वारा मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के उपाधिधारकों तथा उ0प्र0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट 1939 के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सकों को जो लखनऊ जनपद में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज को पत्र भेजकर कहा गया है कि आप एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि जो बिना किसी उपाधि के डाक्टर हैं और जो प्रदेश में कानून के अन्तर्गत पंजीकृत डाक्टर नहीं है उन झोलाछाप चिकित्सकों को चिकित्सा करने से रोंके। अब उसकी आड़ में अगर केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद और प्रदेश के द्वारा बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से पंजीकृत चिकित्सक और भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो यह गलत है। मेरा केवल इतना कहना है कि शासन के प्रमुख सचिव चिकित्सा द्वारा 24-2-03 को जो आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है और चिकित्सकों का उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह इस तरह के उपाधिधारक और पंजीकृत चिकित्सकों और झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करें और भारतीय चिकित्सा परिषद और

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत यू0पी0 इण्डियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट 1939 की धारा 39 (1) एवं 41 (2) के तहत कोई कार्यवाही न करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जो और दिनांक 24-2-03 के शासनादेश का पालन करने का आदेश सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चूंकि आपने सिर्फ लखनऊ के मामले में ध्यान दिया है....

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

नहीं मैंने पूरे प्रदेश का उल्लेख किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

झोलाछाप डाक्टरों के पास क्या डिग्री हैं उसमें लंदन, पेरिस लिखा हुआ होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि लंदन कहां है तो वह कहते हैं कि बलिया के पास है। सिर्फ एक जगह के बारे में आपने कहा है मैं इसको दिखवाता हूं। लेकिन यह बात भी आप मानेंगे कि जब हम भारतीय पद्धतियों यूनानी, आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो उन्हीं को प्रोत्साहित होना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया एलोपैथी से भाग रही है तो यहां आयुर्वेदिक और यूनानी दवायें लेते हैं। लेकिन अगर किसी के पास बीएएमएस, बीयूएमएस की डिग्री है और वह इनकी दवा न देकर आयुर्वेदिक दवा देता है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप जुशांदा न देकर यह क्यों दे रहे हैं। यह देखा जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, शासन ने जो 24-2-03 को आदेश जारी करके पुराने आदेशों को मान्यता दी है मेरा कहना है कि उस आदेश को कम्प्लायन्स करा दें। मान्यवर, जो मुख्य चिकित्साधिकारी हैं वह डिग्री का वैरिफिकेशन करें, डिग्री लें तो डिग्री लेने के बाद वैरीफिकेशन होने तक कोई कार्यवाही न करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे पहले तो यह कहना है कि वाजपेयी जी नियम और कानूनों की बात कर रहे हैं। उनकी कही गयी बातों को मैं भी देखूंगा और कानून भी देखेगा। उसके अनुसार कार्यवाही होगी। यह नियम-56 में नहीं आता है अतः मान्यवर मेरा मानना है कि यह अग्राह्य किये जाने योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेई व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी-कभी बाजपेई जी बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डबल डोजिंग लेकर आते हैं जिसका असर रात और दूसरे दिन तक रहता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

यह अपना अनुभव बता रहे हैं यह तो बिना पिये रह ही नहीं पाते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, लगभग 15 दिन पूर्व लखनऊ जिले में महोना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बख्शी का तालाब में टिकरी इन्दारा नहर व अटेसुवा कुर्सी नहर में भारी मात्रा में अनावश्यक पानी छोड़ने के कारण लगभग 20 गांव के किसानों की सम्पूर्ण फसल डूब गयी है। किसानों के आलू, सरसों, गेहूं व अन्य फसलों को भारी क्षति हुई है और किसान भुखमरी के कगार तक पहुंच गये हैं। प्रभावित किसानों के द्वारा श्री गोमती यादव पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरना देकर क्षतिपूर्ति सिंचाई शुल्क माफ करने की मांग करने के उपरान्त अभी तक सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसानों की हमदर्द सरकार अपने को बताती है लेकिन किसानों के जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गयी है और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। आप इसकी गम्भीरता को देखते हुए जनहित के इस सवाल पर सरकार द्वारा किसानों की समस्या का समाधान करने हेतु सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री जटाशंकर जी की है वह मुझसे कहकर गये हैं इसलिए मैं अगली सूचना जो कि श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है, को लेता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे एक गम्भीर समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक आम शिकायत है सभी गैस सिलेण्डर उपभोक्ता को, जो सिलेन्डर पर लिखा होता है 14.2 किग्रा0, वह इस्तेमाल करता है तो वह महसूस करता है कि जितने दिन उसको चलना चाहिए उतने दिन भी चलता नहीं है। चैकिंग करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि उसमें गैस कम होती है या फिर थोड़ा पानी भरा होता है। इसके निदान के रूप में शासन द्वारा एक व्यवस्था दी गयी थी कि जो ट्राली मैन है वह स्प्रिंग बैलेन्स लेकर जायेंगे और सही वजन दिखाकर उसको डिलीवर करेंगे। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि वह लोग इसे लेकर जाते नहीं हैं। मान्यवर, आप भी उपभोक्ता हैं और आपको पता होगा, अखबारों से या अन्य स्रोतों से कि उन सिलेन्डरों में से गैस निकाल ली जाती है और छोटे सिलेन्डरों में भरकर बाजार में बेचा जाता है। जो कुछ लोग स्प्रिंग गैलेन्स लेकर चलते भी हैं तो वह नान स्टैन्डर्ड का होता है। जिस प्रकार से आई0एस0आई0 एक संस्था है उसी तरह से बी0आई0एस0 एक संस्था है, उसके द्वारा प्रमाणित स्प्रिंग गैलेन्स लेकर उन्हें चलना चाहिए लेकिन वह चलते नहीं हैं प्रत्येक सिलण्डर में 4-5 कि0ग्रा0 गैस, उपाध्यक्ष महोदय, कम मिल रही है, इस घटतौली का शिकार तमाम उपभोक्ता हो रहे हैं, दूसरी एक विसंगति यह है कि ट्राली मैन होम डिलीवरी देने के नाम पर पांच से दस रुपये लेते हैं, लेकिन वहीं पर यह नियम बना हुआ है कि यदि उपभोक्ता डिलीवरी लेने गोदाम में जाता है तो जो गैस का मूल्य निर्धारित है उसको उसमें से आठ रुपये की छूट प्रदान की जायेगी, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है और सबसे दुःखद स्थिति यह है कि जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, सप्लाई विभाग और आपके बांट-माप अधिकारी हैं, बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी यह लोग कोई भी कार्यवाही नहीं करते, निश्चित रूप से इसके पीछे उनका निहित स्वार्थ है।

मान्यवर, आज इस घोटाले का शिकार आम उपभोक्ता हो रहा है और विशेष रूप से जो हमारे और आपके घर की गृहणियां हैं उनको इसका शिकार होना पड़ रहा है। मान्यवर, प्रत्येक

सिलेण्डर में 4-5-6 कि0ग्रा0 गैस कम मिल रहा है और यह अखबारों में रोजाना प्रकाशित हो रहे हैं लोग लगातार शिकायतें करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी सबसे दुःखद स्थिति है कि इसके लिए जिम्मेदार ए0डी0एम0 सप्लाई होते हैं, बांट-माप नियंत्रक, उप नियंत्रक होते हैं या जो अन्य अधिकारी होते हैं, वह इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जिससे कि इस तरह की जो एजेन्सियां हैं उनके ऊपर कोई अकुंश लग सके। मैं इस गम्भीर विषय पर संज्ञान लेने का आपसे निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर दो शब्द बोलने की कृपा करेंगे ताकि कोई मजबूती आ जाये कि भविष्य में जो गैस सिलेण्डर उपभोक्ता है, उनको सही वजन को गैस मिलेगी और जो ट्राली मैन हैं वह भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित स्प्रिंग बैलेन्स, अनिवार्य रूप से लेकर के हर घर जायेंगे और उपभोक्ता के कहने पर उसको तौल करके उनको संतुष्ट करेंगे कि 14.2 कि0ग्रा0 गैस सिलेण्डर में मौजूद है। एक और चीज शासन सुनिश्चित करें कि जो लोग गोदाम पर जाकर डिलीवरी लेते हैं, उनकी किस्त 08 रुपये की छूट प्राप्त होनी चाहिए, इसकी लाभ भी उनको मिले। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वह इसका संज्ञान लेकर संवेदनशीलता का परिचय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी को सुनने के बाद, मैंने उनकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, फिर यदि संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं एक निवेदन करूंगा चौधरी साहब से कि जरूर आपकी शिकायत सही होगी, लेकिन क्यों ? मैं मानता हूं सिलेण्डर बहुत मंहगा हो गया है और गैस मंहगी हो गयी है और चोरी करने में फायदा हो गया है। आपकी बात हमने मानी है, इसे देखेंगे, गम्भीरता से लेंगे, लेकिन आप हमारी बात को भी गम्भीरता से लेकर केन्द्र सरकार से कह कर इसकी कीमत कम करा दें, तो अपने आप चोरी कम हो जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

केन्द्र सरकार इस पर सबसिडी दे तो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो आप उनसे कह कर सबसिडी और ज्यादा करवा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

विशेष उल्लेख में दो सदस्यों को बोलना है। श्री राम इकबाल सिंह जी, केवल दो मिनट में आप अपनी बात खत्म करें।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम-56 के अन्तर्गत गोल्डेन टोकेन योजना की समाप्ति के विषय में सरकार से चर्चा कराने का आपके माध्यम से अनुरोध किया है। मान्यवर, इस योजना की समाप्ति से पूरे प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मंहगाई की मार से आम आदमी टूट गया है और विकास का काम ठप्प पड़ गया है। आज जबकि इस योजना की समाप्ति से ट्रक पर नौ कुंटल सामान आ रहा है किन्तु किसी भी ट्रक मालिक ने एक पैसा भी भाड़े पर कम नहीं किया है। लोहे की सरिया जो 1900 रु0 कुंटल मिलती थी आज वह बढ़कर 2200-2300 रु0 कुंटल मिल रही है। लगभग चार सौ रु0 की बढ़ोत्तरी दामों में हो गयी है। इसी तरह से खाद की बोरी पर 15 रु0 से 20 रु0 की बढ़ोत्तरी हो गयी है जिससे किसानों की कमर टूट गयी है। मान्यवर, कोयला जो बिहार से आता है ट्रकों के माध्यम से जो कोयला आता है उसमें भाड़ा उतना ही है लेकिन उतना कोयला लाने के लिये दो बार चक्कर लगाना पड़ता है जिससे ट्रक के मालिकों को दो फायदा हुआ है। ईंटों की कीमत 400 रु0 प्रति हजार की दर से बढ़ गयी हैं। इस तरह से मंहगाई हर क्षेत्र में मौजूद हो गयी है। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर जो विकास के कार्य होना शुरू हुए थे और उनके संबंध में जो एग्रीमेंट कांट्रेक्टर्स से हुआ था अब इस मंहगाई के बढ़ जाने के कारण वह उस कांट्रेक्ट को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश में विकास के कार्य रुक गये हैं।

मान्यवर, सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो आम आदमी को सरकार राहत देने का काम करती है, विकास की गति को तेज करने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ इस मंहगाई के कारण लोगों की हालत बदतर हो रही है। चाहे तेल हो खाद्य अदार्थ हों चाहे सब्जी के दाम हो, फलों के दाम हों, हर चीज पर 2 रु0 3 रु0 की वृद्धि हो गयी है। मैं मांग करता हूं कि इस राज्य में पुनः गोल्डेन टोकन योजना लागू की जाय। अभी इस पर मान्यवर, यह तर्क दिया जायेगा कि सड़कें कमजोर पड़ रही थीं। मान्यवर, सड़कों की गुणवत्ता तय करने का काम सरकार का है। आज सरकार के पास इसके लिए कोई सेल नहीं है जो गुणवत्ता तय करे। आज जो चोर है वही सिपाही बन जाता है। मान्यवर, सड़कों के गुणवत्ता को देखने के लिए एक अलग से कमेटी होनी चाहिए राज्य स्तर पर। मान्यवर, इस तरह से सड़कों का बहाना बताकर पूरे प्रदेश की जनता को मंहगाई की आग में झोंक देना कहीं न्यायपूर्ण नहीं होगा। आज इसकी चपेट में गर्भवती महिलायें भी शायद आ गयी हैं। मैं इस प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस सरकार का आश्वासन चाहता हूं कि वह इस राज्य की जनता को मंहगाई की मार से बचाने का काम करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य को शायद मालूम हो कि इसमें प्रदेश सरकार का क्या रोल है। पहली बात यह है कि भारत सरकार की योजना है और यह योजना 2001 से लागू है। उस समय जब आपकी सरकार थी। मान्यवर, अगस्त, 2001 से मार्च 2002 तक 60.28 करोड़ और 2002-03 में 149.69 करोड़ की और इस वित्तीय वर्ष में जुलाई तक लगभग 50.69 करोड़ रु0 की प्राप्ति हुई है इस प्रदेश को मान्यवर, केन्द्र सरकार यानी आपकी सरकार। यह जो कुछ हुआ वह जमाना था आपकी सरकार का अब जो केन्द्र सरकार दबाव दे रही है वह सरकार है आपकी, सरकार दबाव देती है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था लागू कर रखी है उसको समाप्त कर दिया जाय जिसकी मांग आप कर रहे हैं। इसके लिये 180 से 2 सौ करोड़ रुपया सड़क को बनाने, दुरुस्त करने को केन्द्र सरकार देती है और बार-बार दबाव देती है कि यह पैसा देना बन्द कर दिया जायेगा। 150 करोड़ रुपया अपने संसाधन से राज्य सरकार को मिलता है और केन्द्र सरकार से 180 से 200 करोड़ मिलता है। अब जो केन्द्र सरकार का कहना है, देनदारी की बात है मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी

से कि केन्द्र में आपकी सरकार है वहां से इस नियम को शिथिल करा ले उसके बाद विचार कर लिया जायेगा।

(श्री राम इकबाल सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

आपको विशेष उल्लेख में कहा गया था उसमें आप बोले और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 150-200 करोड़ रुपये के लिये केन्द्र सरकार का बहाना बनाना उचित नहीं है इस सरकार में यह क्षमता है। जो कार्यदार्या संस्था हैं जो 20 प्रतिशत कर्मीशन ले रही हे उसके इंजीनियर तनख्वाह भी क्लास वन और टू की ले रहे हैं अगर यह कर्मीशन रोक दें तो भारत सरकार से रुपया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 20 प्रतिशत इंजीनियरों को यह रुपया दे रहे हैं।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

हमारी आपकी पाकेट से ही यह 20 प्रतिशत जा रहा है।

श्री भरत सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत ...

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-56 में नहीं है केवल विशेष उल्लेख के जरिये आपको 2 मिनट का समय दिया गया है।

श्री भरत सिंह-

ठीक है। मान्यवर, अपने विधान सभा क्षेत्र दोआबा जनपद बलिया के रानीगंज बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, बनारस के पूरब बनारस और पटना के बीच में गल्ले की सबसे बड़ी मंडी रानीगंज बाजार है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप विषय देख लीजिये। मान्यवर, नियम 56 की अपनी गम्भीरता है। आपकी पीट से जो भी निर्देश होगा वह शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य के व्यक्तिगत अनुरोध पर दो मिनट का समय माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने के लिये दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी या आपकी पीठ पर जो भी हों मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 56 की अपनी अहमियत है। जो विशेष उल्लेख है यह नियम-56 में, श्रीमन्, थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है अगर इन मामलों में जो बिल्कुल व्यक्तिगत आक्षेप के लिये हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे मामलों में थोड़ा सा अगर वह पूर्व विधायक भी होता लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम देकर, मेरी मान्यवर, इसमें आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप किसी का नाम नहीं लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष-

दो मिनट की मैंने इसमें सीमा बांध दी।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, हम भी चुनकर आये हैं जैसे संसदीय कार्य मंत्री चुनकर आये हैं वैसे हम लोग भी चुनकर आये हैं। अभी आपने बोलने का अवसर दिया और मैं बोलने लगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे आपत्ति है, यह समाजवादी पार्टी का नाम हटाकर बोलें।

श्री भरत सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र गौरा जनपद बलिया के रानीगंज बाजार में गल्ले की सबसे बड़ी मंडी है। उस रानीगंज बाजार के अन्तर्गत विगत 30 वर्षों से रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है। वर्ष 1998 में प्रयास करके मैंने प्रशासन द्वारा इसको बंद करवाया लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश के अन्दर माननीय मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में ....

श्री उपाध्यक्ष-

आपने फिर नाम लिया।

श्री भरत सिं

हम मुख्य मंत्री के बारे में तो कोई चीज बोल नहीं रहे हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, इस नाते से कह रहे हैं। खैर जिस दिन यह नई सरकार बनी है, उसके दूसरे दिन से ही हमारे रानीगंज बाजार में रंगदारी टैक्स वसूला जाने लगा और उसी माफिया के लड़कों द्वारा प्रति ट्रक पर 500 रु0 वसूला जा रहा है, चाहे वह सीमेन्ट हो, गुड़ हो, चीनी हो, चावल हो, दाल हो, डालडा हो, तेल हो, इसका भार पूरे क्षेत्र की जनता पर पड़ता है। इस तरह से एक लाख रुपये पर डे वसूली की जाती है। हम आपके माध्यम से इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह लोक महत्व का विषय है। हम आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इसको रोकने के लिये, अंकुश लगाने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जाय। यह मैं चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अगर वहां कोई भी रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है तो उसको बंद कराने के लिये आप कोई समाधान करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम आपका थोड़ा सा संरक्षण चाहेंगे। आप इस सूचना की भाषा देख लें। एक तो समाजवादी पार्टी और दूसरे पंडित लोग भयवश, आप नोटिस की भाषा देख लें।

श्री भरत सिंह-

यह पंडित लोग नहीं है, यह पीड़ित लोग है। सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री जटाशंकर सिंह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के पारित आदेश एवं अतिथि प्रवक्ताओं के प्रतिवाद व प्रमुख सचिव, न्याय के आदेश के बाद भी अतिथि प्रवक्ताओं के विरुद्ध परामर्श दिया गया और उसके आधार पर प्रवक्ताओं पर प्रशासनिक विभाग कार्यवाही कर रहा है, यह लोकहित में नहीं है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही, प्रकरण पर चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये, इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस सदन में और प्रदेश तथा पूरे देश में .....

श्री उपाध्यक्ष-

पहले आप अपना संकल्प पढ़िये, उसके बाद बोलिये।

श्री सुखदेव राजभर-

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह महिला आयोग मंत्रि-परिषद् से पिछली सरकार में पारित होने के बाद सदन में आया और इसकी गम्भीरता को देखते हुये महिला आयोग का गठन हुआ। आज पूरे देश प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस नारी का इस दुनिया में सम्मान हुआ, जिसको आदरणीय और पूजनीय के रूप में स्वीकार किया गया, जिस नारी को दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया गया। आज आये दिन देखा जा रहा है कि हमारी महिलाओं को दहेज हत्या के नाम पर जलाया जा रहा है कहीं पर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया जा रहा है, प्रदेश में देखा गया कि अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, मां-बेटियों को जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। दलितों का सहारा लेने के साथ-साथ सुश्री मायावती ने समझा कि मैं एक आयोग का भी गठन कर दूं और उस आयोग के माध्यम से उनके दुःखों और उनकी पीड़ा को सुना जायेगा और साथ ही साथ दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिये कहा जायेगा। आज मान्यवर, महिलाओं के सम्मान के बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। मान्यवर, अगर आयोग ने कहीं पर कोई लापरवाही की तो उसके लिये और उपाय थे सरकार आदेश दे सकती थी लेकिन यह नहीं

करना चाहिये था कि एक बतासे के लिये पूरा मंदिर ही तोड़ दें। जिस नारी को तमाम रूपों में देखा गया है उस नारी के सम्मान के लिये महिला आयोग का गठन किया गया था ताकि इस देश की मां-बेटियों का सिन्दूर न धोने पाये, उनके आंचल को छूने वाले के हाथ काट दिये जायं, इसलिये सुश्री मायावती ने एक महिला आयोग का गठन कर दिया और विधेयक को पास किया, सदन में पुष्टि हुई, मंत्रि-परिषद् द्वारा पुष्टि हुई, केवल एक छोटा सा कारण दिखा देना कि इसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है और समाप्त कर देना यह ठीक नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि महिलाओं के संरक्षण के लिये, मां-बहिनों की इज्जत के लिये और सम्मान के लिये इस आयोग का गठन किया गया था, यदि सरकार बदल गयी तो क्या विधेयक भी बदलेंगे। अगर सरकार ने बहन बेटियों के लिये कोई निर्णय लिया है तो सरकार को यह विधेयक नहीं लाना चाहिये कि महिला आयोग को खत्म कर रहे हैं। लखनऊ उच्च न्यायालय की पीठ पर मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में जा करके लोग निवेदन कर रहे हैं, उस पर बहस चल रही है कि बहू-बेटियों के सिन्दूर की रक्षा और इज्जत का सम्मान करते हुये उच्च न्यायालय आदेश दे। हम एक तरफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं ताकि उनकी पीड़ा को सुना जाय। लेकिन उसको खत्म कर दिया। मकान इसलिये गिरा दिया कि उसमें हमें नये आदमी को रखना है इस आयोग के निरसन का विधेयक लाया गया है यह उचित नहीं है और अगर लाया गया है तो इसे उपाध्यक्ष जी मैं बड़े अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयेगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग मौजूद है तो महिला आयोग को रखने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी आप बहुत उदार हृदय के हैं। महिलाओं के सम्मान के लिये, उनकी दुःख और पीड़ा को सुनने के लिये महिला आयोग का गठन किया गया था लेकिन सरकार गुस्से में आकर उस आयोग के निरसन के लिये विधेयक ले आयी। पूरे प्रदेश के महिलाओं में एक गलत संदेश जा रहा है। हम दो जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं, एक तरफ आज माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में सुनवाई हो रही है दूसरी तरफ मैं उपाध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति गहनता से विचार कर लेगी। महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में माना जाता है आज उसी लक्ष्मी को संरक्षण देने के लिये आयोग बना था उसको निरस्त किया जा रहा है। मान्यवर, बड़े अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कोई राजनीति न करें और पूरे प्रदेश की बहिनों, बहू-बेटियों की तरफ निगाह करके इस पर निर्णय लें। उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें। अगर प्रवर समिति कहती है तो इसे निरसित कर दें। आज अगर इस विधेयक को पारित कर दिया तो पूरे प्रदेश में सन्देश जायेगा कि यह सरकार महिला विरोधी है। यह मामला न्यायालय के सबजुडिस है आज सुनवाई भी हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज प्रदेश की महिलायें विधान सभा की कार्यवाही को बड़े ध्यान से देखेंगी। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे बड़े अदब के साथ अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुखदेव राजभर के द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महिला आयोग एक ऐसा आयोग है जिससे इस प्रदेश में आये दिन जो महिलाओं पर जुल्म-ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, शोषण की शिकार महिलाओं की समस्याओं का निराकरण होता है। मान्यवर, तमाम ऐसी महिलायें जो कहीं न्याय नहीं पा सकती हैं, वह

महिला आयोग में आकर अपनी व्यथा बताती है और उन्हें भरोसा और उम्मीद होती है कि इस महिला आयोग से हमें अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिये न्याय मिलेगा। मान्यवर, यह प्रदेश और देश हमेशा महिलाओं को सम्मान देने में अग्रणी रहा है और हमारी प्राचीन व्यवस्था यहां तक रही है कि "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" ऐसी संस्कृति वाले देश और प्रदेश में महिला आयोग जैसे प्रतिष्ठान, जो महिलाओं के मान-सम्मान के लिये बनायी गयी थी, उसका निरसन करके यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है ? क्या सरकार यह सन्देश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की महिलायें सड़कों पर लुटती रहें ?

उत्तर प्रदेश की महिलाएं तमाम ज्यादती अत्याचार और शोषण का शिकार होती रहीं हैं और मौन रहकर अत्याचार सहती रहीं हैं उनके मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान उनकी आबरूह लूटती रहे और हम सब देखते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आयोग के खत्म होने से महिलाओं के मान सम्मान को चोट पहुंची है इसको देखते हुए माननीय सुखदेव राजभर जी जो प्रस्ताव लायें हैं उस पर मैं बल देता हूं। आयोग को खत्म करने से महिलाओं में घोर कुण्टा और निराशा हो गयी है साथ ही साथ जनता में यह संदेश जायेगा कि यह सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए सरकार को इस निरसन विधेयक को वापस लेना चाहिए नहीं तो इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और वहीं इसके औचित्य पर गम्भीरता से विचार हो कि इसे खत्म होना चाहिए या बने रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के मुताबिक अनुपालन किया जाय।

मान्यवर पूरे प्रदेश की अदायगी 17 करोड़ है और इस 17 करोड़ में आधी आबादी महिलाओं की है यह उनकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। इस प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ की आबादी महिलाओं की है उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा यह आयोग है। ऐसा आयोग जहां महिलाओं को न्याय मिलता, अपने मान सम्मान के लिए वहां गुहार मचाती थीं ऐस आयोग को खत्म नहीं करना चाहिए। जो मामले महिलाएं अदालत में नहीं कह सकती थी उनको वह महिला आयोग में खुले तौर पर कह सकती हैं। ऐसे आयोग को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जिससे महिलाओं के मान सम्मान की हिफाजत हो सके। इसलिए मैं जोर देता हूं इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए निवेदन करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को निरसित करने के लिए जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं, उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 राज्य महिला आयोग स्थापित करने के लिए अधिनियम किया गया था। उक्त आयोग प्रयोजन की पूर्ति समुचित रूप से नहीं कर रहा था जिसके कारण उसने अपनी उपयोगिता खो दी थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से उसने उपयोगिता खो दी थी ? जैसा कि माननीय राजभर जी और मौर्या जी ने कहा, लगभग पचास प्रतिशत महिलाएं देश और प्रदेश में हैं। आज महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं है। सुश्री कल्पना चावला जैसी महिलायें इस देश में हुई हैं। हमारा दायित्व है कि हम उनकी उन्नति करें उसकी शिक्षा की व्यवस्था करें अगर आयोग के लोग ठीक नहीं थे तो उनको बदल देते। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह उचित नहीं है सरकार इस पर विचार करे।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है वह सोच-समझकर रखा है। जैसा कि माननीय राजभर और मौर्या जी ने कहा है, ऐसा लगता है कि सरकार महिलाओं के विरोध में काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब से महिला आयोग बना है महिलाओं के कल्याण के लिए क्या कार्य किया है ? इस सरकार ने हमेशा महिलाओं के कल्याण की बात सोची है और महिला कल्याण विभाग काम कर रहा है और उसके द्वारा महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। महिलाओं के लिए सरकार किशोरी शक्ति योजना चला रही है। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसके लिए आयोग काम करता है। क्या आयोग का अध्यक्ष डी0जी0पी0 के पद को संभालता है ? सरकार ने महिला पुलिस अधिकारी तैनात कर रखी हैं। वह महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को रोकती हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

आयोग की बात संविधान में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने कहा कि महिलाओं के संरक्षक की भूमिका महिला आयोग निभाता था क्या आपने उसको प्रशासनिक काम दे रखा था ? क्या डी0जी0पी0 का पावर आपने आयोग को दे रखा था ? क्या डी0वाई0एस0पी0 का पावर आपने महिलाओं को दे रखा था ? महिलाओं में जागृति के लिए उनकी सहभागिता के लिए आयोग ने क्या काम किया ? अपने गठन से लेकर आज तक महिला आयोग ने क्या काम किया था ? इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस महिला आयोग का गठन स्वार्थ से प्रेरित कदम था। इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए मंत्री जी विधेयक लाए हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चौधरी साहब सदस्य के साथ-साथ मंत्री भी हैं। एक ऐसे संविधानिक प्रतिष्ठान जिसकी संविधान में व्यवस्था की है। यह अनिवार्यता है। समय-समय पर उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके गठन के लिए निर्देश जारी किए हैं। उस पर सवालिया नजर उठाते हुए यह कहना कि क्या महिला आयोग पुलिस का काम करता है, डी0वाई0एस0पी0 का काम करता है, एस0पी0 का काम करता है मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि आपका गरिमामय पद है आप सरकार में मंत्री हैं जहां पुलिस फेल होती है, जहां एस0पी0 फेल होता है जहां कानून फेल होता है वहां पर महिला आयोग आगे आते हुए न्याय देता है। ऐसी स्थिति में आयोग की अनिवार्यता होती है। जिसे स्थानीय प्रशासन न्याय नहीं देता है वहां पर आयोग न्याय दिलाने के लिए आगे आता है। इसीलिए इसकी अनिवार्यता है और संवैधानिक व्यवस्था है। समय-समय पर न्यायालयों से भी इसके गठन के निर्देश हुए हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोच लें, विचार कर लें केवल यह कह देने से कि आयोग पुलिस का काम नहीं करता है मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी अबला महिला के कानून आंसू पोंछने में अक्षम हो जाता है जब हम अक्षम हो जाते हैं, सरकार अक्षम हो जाती है, स्थानीय पुलिस प्रशासन अक्षम हो जाता है तब महिलाएं महिला आयोग में गुहार लगाती हैं। आयोग समय-समय पर डी0जी0 को निर्देश देता है, पुलिस कप्तान को निर्देश देता है डी0एम0 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

निर्देश देता है। आयोग समय-समय पर थानाध्यक्ष और एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही के लिए निर्देश देता है। इसलिए यह न्यायालय की तरह काम करता है। आप समय-समय पर जिसके लिए न्यायालय निर्देश देता है गठन के लिए उस निर्देशों की हंसी और मजाक उड़ा रहे हैं इससे सरकार की संवेदन शून्यता जाहिर होती है।

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार गम्भीर हो, संवेदनशील हो, जागृत हो। सरकार महिला आयोग के महत्व को समझे और इसको गम्भीरता से लेते हुए इस पर पुनः विचार करे। अगर पुनः विचार नहीं करती है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपना निर्णय दे दें कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसकी जो रिपोर्ट आये उससे पक्ष और विपक्ष सब सहमत हों।

श्री हुकूम सिंह-

मान्यवर, मैं दो बिन्दु इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे विद्वान मंत्री राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि सुविचारित यह विधेयक है और इसलिये राय भी दी है कि हमने महिला कल्याण आयोग की कोई उपयोगिता नहीं समझी, विभिन्न विभाग इसका कार्य कर रहे हैं तो इसकी क्या उपयोगिता है ? मान्यवर, वैसे तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है और यहीं पर इसके लिये विभाग भी है। यहीं पर अल्पसंख्यक कल्याण आयोग है उसको देखने के लिये एक विभाग भी है। सारा पुलिस, सारा प्रशासन,सारी सरकार मानव के अधिकार की रक्षा के लिये है लेकिन मानव अधिकार आयोग भी है। जो इसके पीछे कारण है, यदि वही रहा होता तो बहुत बहस करने की बात नहीं आती लेकिन आपने नीतिगत बना दिया। विभिन्न विभाग इन सब कामों को करने के लिये बने हैं, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि जितने भी आयोग बने हैं उन वर्गों के हितों को देखने के लिये सरकार पहले से गठित है इसलिये आयोग की आवश्यकता नहीं है। यह सही नहीं है और सरकार की भी मंशा यह नहीं है। क्या मैं यह मान लूं कि जो विभागीय मंत्री हैं वे सदन में आश्वासन देंगे कि क्योंकि हमने इस आयोग की उपयोगिता को न देखते हुए इस आयोग को समाप्त करने की बात रखी है और अब कोई नया आयोग गठित करने की बात नहीं है। अगर आप ऐसा आश्वासन दे दें तो आपकी नीति और नियत साफ हो जायेगी। आप इस विधेयक को लाकर एक मौजूदा आयोग को समाप्त कर रहे हैं और उसके बाद में अध्यादेश लायेंगे और फिर अध्यादेश लाकर दूसरा महिला आयोग का गठन करेंगे तो आपकी नीयत और साफ हो जायेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप कहें कि हम ऐसा किसी दूसरे महिला आयोग का गठन करने के लिये नहीं कर रहे हैं। आप खड़े होकर कह दीजिये कि कई विभाग इस कार्य को देखते हैं हमने विचार कर लिया है और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत थोड़ी सी बात इस विषय में कहना चाहता हूं। श्री सुखदेव राजभर जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है और उसके समर्थन में माननीय मौर्या जी, माननीय हुकुम सिंह जी और विपक्ष के अन्य लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से जितने भी तर्क दिये हैं, मैं उनको गम्भीरता से सुन रहा था। किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर सकें कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता है। इतनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देर में कई भावनात्मक बातों को कहने के अलावा, एक बात को अनेक-अनेक बार दोहराने के अलावा एक बात भी इस महिला आयोग की स्थापना के दिन से लेकर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव तक इसकी एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। इसकी उपलब्धियों का जिक्र न तो माननीय प्रस्तावक महोदय ने किया और न किसी अन्य सदस्य ने किया कि इस महिला आयोग की यह उपलब्धि थी। इसने प्रदेश में इतनी उपलब्धि की और इसके न रहने पर अमुक-अमुक स्थिति पैदा हो सकती है। न ही इन्होंने उन कारणों को चिन्हित किया है जिसके कारण यह संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं। इस संशोधन के प्रस्ताव को लाये जाने के पक्ष में एक भी वाक्य का जिक्र नहीं किया गया है। अपने आपमें इस बात का मान्यवर सुस्पष्ट प्रमाण है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है इसलिये आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करायें।

श्री शर्ब्बार-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मौर्या जी ने और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने स्पष्ट किया है इस विधेयक के ऊपर जब-जब प्रशासन पुलिस संस्थायें, सरकार अक्षम होती है तब आवश्यकता इस बात की पड़ती है, तो मैं अपने शब्दों में आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हमारी सक्षम है, हमारी पुलिस, हमारी जो भी संस्थायें हैं, वह सक्षम हैं इसलिये जो माननीय मंत्री जी प्रस्ताव लायें हैं उस पर मैं बल देता हूं। यह सरकार महिलाओं की है और महिलाओं के सम्मान के लिये बचनबद्ध है।

(मेजें थपथपाई गई)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी ने जो बात कही है मैं उस पर बल देना चाहता हूं न तो राजभर जी ने, न मौर्या जी ने जिन्होंने इस संकल्प को रखा है इस बारे में एक शब्द नहीं कहा इस आयोग की क्या उपयोगिता है ? उन्होंने क्या कार्यवाही देखी ? इन दोनों ने राजनीति की बात कही। जिस समाज के बीच काम करते हैं उस समाज के हर व्यक्ति को राहत देने की नीयत होनी चाहिये। हम सदन के बाहर कुछ और रखें और सदन में विचार कुछ और रखें हम सदन के बाहर लाभ देने की बात कहकर, नारे देकर सदन के अन्दर आ जायें, सदन के बाहर यह नारे देते हैं।

जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।

यहां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की बेटी कहेंगे उस समय मरियम जैनब याद नहीं आती हैं, सदन के बाहर कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह आयोग मरियम जैनब का काम करता है सिर्फ चेहरे को सुन्दर बनाने के लिये अगर यह हो तो इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिये यह विधेयक सदन में लाया गया है वैसे इसकी जरूरत नहीं है

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

चाहे गरीब महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति की हों बंटवारा करें ऐसा नहीं है –

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाए।

(व्यवधान)

(ब0स0पा0 के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया अपने स्थान पर जाएं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुए ब0स0पा0 के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 2001 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001, को जिसे एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2004

निरसन

3- उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 3 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव [1]

(सदन की कार्यवाही पुनः 3.45 बजे प्रारम्भ होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-9 ले रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्ताव रखता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्याएं यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री जी के भांजे के पुत्र की निर्मम हत्या एवं माननीय मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण, पूर्व मंत्री माननीय धर्मपाल जी के पुत्र का अपहरण, बैंकों में डकैती और प्रदेश की समस्त जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में,

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। बाकी के हिस्से को भी इसका अंग मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मानते हैं और इसके बाकी के हिस्से को भी इसका भाग मान लिया जाता है। दलीय नेता कृपया जो बोलना चाहें उनकी सूची दे दें।

[2-केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने की एस0एम0पी0 रुपया 73/ घोषित करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ी हुई एस0एम0पी0 के अनुरूप गन्ना मूल्य का भुगतान न करना, मिल मालिकों

---

[1] 5 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा मनमाने तरीके से एवं अधिकारियों से मिलकर गन्ने का बेसिक कोटा कम करना और विगत वर्ष का भी गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में सुचारु रूप से चल रहे जनपदों एवं मण्डलों को भेदभाव पूर्ण ढंग से समाप्त करने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के बारे में,

5-हर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

6-प्रत्येक आदमी को रोजगार देने तथा इसकी कमी पर रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में,

7-नये-नये उद्योग धन्धे लगाने, उनको चलाने तथा इससे आम आदमी को रोजगार और तरक्की देने के सम्बन्ध में,

8-हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा तथा आत्मसम्मान की गारण्टी देने व इसमें कसर बाकी रहने पर सीधे सरकार की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में,

9-जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन सामान्य को हो रही भारी नुकसान को देखते हुए इसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में,

10-सरकार की फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

11-सरकारी कर्मियों को पहले मिल रही सहूलियतों में कमी के बाद उनमें व्याप्त असन्तोष से पैदा हो रहे गतिरोध के सम्बन्ध में,

12-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

13-सरकारी कारपोरेशन को उसके बुनियादी मकसद से हटाकर उन्हें बर्बादी तक पहुंचाने तथा इसके बाद औने-पौने दामों पर बिकवाने के लिये जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में,

14-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,

15-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी के सम्बन्ध में,

16-सरकार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये आवंटित धन को पूरी तरह उसी काम में लगाने के सम्बन्ध में,

17-महिलाओं को उत्पीड़न व अत्याचारों से बचाने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

18-हर किसान को समय पर बीज, फसल, पानी एवं खाद का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के सम्बन्ध में,

19-समाज के हर वृद्ध बेसहारा और विकलांग को अनिवार्य रूप से पेंशन देने के सम्बन्ध में,

20-नकली और घटिया शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

22-अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

23-पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-हर परिवार को सरकारी नौकरी की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिए होने वाली खरीद फरोख्त को पूरी तरह से बन्द करने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

27-हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलने की गारन्टी के सम्बन्ध में,

28-बेरोजगारी को देखते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः सेवा में किसी भी स्थिति में नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में,

29-पोटा का नाजायज इस्तेमाल रोकने के सम्बन्ध में,

30-पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

31-शासन द्वारा की जा रही नियुक्तियों में खुले आम घूस लेने के सम्बन्ध में,

32-घूस लेने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।"]

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ है आज ऐसी परिस्थितियों में हुआ है, मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा के यह जो सरकार है इसका जन्म ही संक्रमण काल में हुआ और गलत संसाधनों का प्रयोग करके, तमाम नाजायज प्रयासों का प्रयोग करके इस सरकार का गठन हुआ है, हम यह उम्मीद नहीं रखते हैं के कोई जायज काम होगा। जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं और जो भी की हैं एक तरफ से ले लें तो आज आप देखें के गांवों में जो लोग रहते हैं पूरे दिन घूमते रहते हैं और एक भी अधिकारी उनको नहीं मिल पाता है। न दफ्तरों में कोई बैठता है, न तो डी0एम0 और एस0पी0 मिलता है। पिछली सरकारों में तो हफ्ते में एक बार तहसील दिवस होता था उसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी आते थे और अपनी फरियाद और अपनी दरखास्त उनको देते थे। थानों में अधिकारी मौजूद रहते थे वहां सारे 10 प्रतिशत दरखास्तों का निस्तारण हो जाता था। आज आम जनता में धारणा बनी हुयी है कि कोई भी अधिकारी उनकी दरखास्त लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी भी डी0एम0 और एस0एस0पी0 से मिलने के लिए समय दे रहे हैं, लेकिन वह समय से मिल नहीं रहे हैं और न ही वह आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार हैं, काम करना तो दूर की बात है। यहां तक कि आप एनेक्सी निवालय मे चले जायें, वहां कोई अधिकारी दिन में वहां बैठते ही नहीं, जो बैठते भी हैं वह आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। विधायक जो सीधे जनता के द्वारा चुन कर यहां आते हैं, वह हताश उनका कोई काम हो ही नहीं रहा है, जबकि वह जनता में विश्वास जगा करके यहां आते हैं, कि इतने पर उनके यहां विकास के कार्य होंगे, लेकिन कुछ भी वह नहीं करा पा रहे हैं। मान्यवर, पंचम सरन दिन में खुल ही नहीं रहा है, वह रात के 08 से 12 बजे तक खुल रहा है, एक भी विधायक अगर किसी अधिकारी से मिलना चाहें तो वह नहीं मिल पा रहा है। जिसे जनता के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए था, वह मुख्य मंत्री के दरवाजे तक पहुंच रहा है यह तो हाल है अधिकारियों का। अगर

मुख्य मंत्री दरबार में कोई अपनी दरखास्त पहुंचा भी आता है तो पता नहीं प्रदेश की जनता की यह दरखास्तें असली जगह तक पहुंच पाती हैं या सिर्फ रद्दी की टोकरी में चली जाती है। तमाम माननीय विधायक हैं, अभी भी चर्चायें होती हैं कि एक भी डी0एम0 कुछ लिखने को तैयार नहीं है, विकास के कार्य कैसे हो सकते हैं, किसी भी अधिकारी से कुछ भी करने को कहो तो वह कहता है कि मैं ऊपर से बात करूंगा, हमारे ऊपर के अधिकारी से सम्बन्ध हैं। चाहे छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्यायें हों, चाहे जर्मान से जुड़े मामले हों, चाहे छोटे-मोटे झगड़े हों किसी का भी निस्तारण आज नहीं हो रहा है।

मान्यवर, सब जगह यह संदेश चला गया है कि यह सरकार बहुत थोड़े समय की है और हमको किसी तरह से समय काटने की जरूरत है। मान्यवर, इस सरकार में जनहित के किसी भी तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं, आज किसानों को किसी भी तरह की खाद नहीं मिल रही है, अगर किसी योजना के तहत या किसी भी तरह से उनको खाद मिल भी रही है, तो उसमें नमक और विभिन्न तरह की मिलावटें करके नकली खाद दी जा रही है। सहकारिता विभाग की तरफ से उनके निर्देश से जिन जनपदों में समितियों के माध्यम से खाद वितरित की जा रही थी, उनको निरस्त करने का सरकार की तरफ से निर्देश गया, अब वहां खाद नहीं मिल रही है, उनको बीज नहीं मिल रहे हैं, किसान सारे परेशान हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे कि गेहूँ और धान खरीद के सिलसिले में क्या किया गया, किसी किसान से कहा गया कि आपका गेहूँ नम है और किसी से कहा गया आपका धान खराब है, इस तरह से गेहूँ और धान की बिक्री में किसान परेशान हुए, खाद के मामले में किसान परेशान हुए, दरखास्त के मामले में जनता परेशान हुयी, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी सिर्फ उनको टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विधायक किसी अधिकारी के पास अपनी बात कहने के लिए जाता है, तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए ही वहां गए थे, लेकिन यह कहां का न्याय है कि उन कार्यकर्ताओं को गोली मार दी जाय और उनकी लाशें थानों में गिरा दी जायें इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें अधिकारियों का लिंक सीधे तौर पर सरकार से है, नहीं तो उनको ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। अभी इलाहाबाद में जो हुआ वह भी आपको पता है, वहां एक दिन देर रात दरोगा, लोगों को खींच करके घर से बाहर ले गए, क्यों ले गए ? आज आपने तहसील दिवस खत्म कर दिया। आप किसानों को मिलने वाली खाद के बारे में जांच करवा लें। धड़ल्ले के साथ नई बोरियां सिली जा रही हैं, तमाम इस तरह की मशीनें हैं जो उस खाद में मिलावट कर रही हैं और वही खाद किसानों को बेची जा रही है।

मान्यवर, कहीं कोई धड़-पकड़ नहीं हो रही है। यहां सदन में कहा जाता है कि हम लोग रोज कानून-व्यवस्था की रट लगाते हैं। मान्यवर, स्थिति क्या है कानून-व्यवस्था की वह हम सबको पता है। मेरे क्षेत्र में, जनपद में लगभग 75 लोगों की हत्यायें हो चुकी हैं जो वहां के प्रभारी मंत्री श्री भगवती सिंह जी हैं वह जब कार्यकर्ताओं को अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे तो उन कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया कि बी0एस0पी0 की सरकार ठीक थी क्योंकि उस समय हम लोग चक्का जाम जो करते थे उसमें बातें सुन ली जाती थी आज एक भी अधिकारी हम लोग की बातें नहीं सुन रहा है। मान्यवर, आज एक भी अपराधी जो हमारे यहां 75 हत्यायें हुई, गिरफ्तार नहीं हुआ है और जो आंकड़े वहां पर इकट्ठे हुए हैं उससे पता चलता है कि उसमें अधिकांश लोग पिछड़ी जाति से संबंधित थे जिनकी हत्यायें हुई हैं। मान्यवर, तमाम पुलिस के

लोगों की कारबाइन तक छीन ली गयी है। हम पर दोष मढ़ा जाता है कि हम लोग गुण्डाराज आदि यहां कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपका जो भी राज हो आप उसमें काम करके हालात को सुधारने का काम करें।

मान्यवर, आज हमारे यहां रोज दो-चार हत्यायें हो रही हैं जबकि 50 मीटर की दूरी पर एस0पी0 का आफिस है। यही नहीं हमारे यहां डाकघर से 16 लाख रुपये की लूट हो गयी। मान्यवर, आज एक तरफ यह सरकार विकास के कार्यों की दुहाई देती है दूसरी तरफ मेरे यहां के विधान सभा क्षेत्र लालगंज, आजमगढ़ की जो योजनायें जो स्वीकृत थी वह निरस्त हो रही हैं। मान्यवर, हमारे यहां जनता की दसियों साल से मांग थी कि ग्राम सिसेररी में पुल का निर्माण कराया जाए इसी तरीके से खुम्भा देवड़ी से मैनाजपुर मार्ग का निर्माण कराया जाय और ये दोनों परियोजनाएं व्यापक जनहित में स्वीकृत हुई थी लेकिन और पूरा पैसा भी वहां के कोषागार में चला गया था। लेकिन आज वह निर्णय उल्टा जा रहा है। जिसके बारे में हमने जनता को बता दिया है कि सरकार ने इन दोनों योजनाओं को खत्म कर दिया है और ट्रेजरी में, ट्रेजरी को पैसा वापस करने का आदेश आ गया है। मान्यवर, आप देखें एक तरफ तो आज निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं, डकैतियों का सिलसिला जारी है, अधिकारी, कर्मचारी जनता की सुन नहीं रहे हैं मनमानी का राज कायम हो गया है। जो लोग सचिवालय में है वह भी लोगों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। आज कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारे विधायकों को उनके पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। इन बातों को लेकर प्रदेश की जनता में असन्तोष है। आपकी सरकार ने जो डिग्री कालेजों में फीस माफी की घोषणा की है और दूसरी योजनाएं लागू करने की बात कही है हम चाहते हैं कि उनको लागू किया जाए।

मान्यवर, आज प्रदेश के नौ जिलों को और मण्डलों को समाप्त किया गया है जबकि उसकी स्थापना के पीछे पूर्व की सरकार की भावना यह थी कि जनता को उसके द्वार पर सुलभ न्याय मिले, विकास के कामों में तेजी आये। आज उनकी समाप्ति को लेकर जगह-जगह आन्दोलन चल रहा है तो मेरा इसमें कहना यह है कि सरकार को कहीं पर भी द्वेष की भावना से काम न करते हुए जनता के हितों में काम करना चाहिए और हम लोगों की योजनाएं, परियोजनाएं जो स्वीकृत हैं, निरस्त की जा रही हैं। जब हम लोगों ने इस पर सदन में सवाल उठाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यही कहा कि इन योजनाओं की यदि वह जनहित में हैं तो स्वीकृति दी जायेंगी। मान्यवर, हमारे यहां की इन दोनों योजनाओं के बारे में वहां के आयुक्त की भी संस्तुति आयी है कि यह जनहित में हैं परन्तु वह समाप्त की जा रही है। मान्यवर, आज इस सरकार में किसान दुखी है, व्यापारी दुःखी है आम जनता दुःखी है यहां तक कि अधिकारी वर्ग भी दुखी है क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें रोज गालियां लोगों की सुननी पड़ रही हैं। तमाम पुलिस कप्तान और कलेक्टर ने यह अनुरोध कर रखा है कि हमें इस जिले से हटा दिया जाय, हम नहीं रहना चाहते हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी है कि कातिल ही सिपाही है और कातिल ही मुहाफिज है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधनों के प्रस्ताव पर जोर देते हुए, इसका विरोध करता हूं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया। इस सदन में बिजली की बढ़ोत्तरी का रोज गुणगान गाया जा रहा है, विकास परिषद् का गुणगान गाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, चीन के एक विद्वान कन्फ्यूशियस हुए हैं। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि किसी भी सरकार के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली चीज खाद्य सामग्री होनी चाहिए, दूसरी चीज डिफेंस फोर्स होनी चाहिए सुरक्षा का बल होना चाहिए और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही यह कि जनता में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। कन्फ्यूशियस से जब लोगों ने पूछा कि इन तीन चीजों में से कोई एक चीज छोड़नी पड़े तो उसमें से कौन सी चीज छोड़े तो उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्स खत्म कर दें। फिर जब उनसे पूछा गया कि इन दो चीजों में से कोई चीज छोड़नी पड़े तो किसको छोड़ें तो उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री खत्म कर दें क्योंकि आज नहीं मरेंगे तो कल मर जायेंगे लेकिन तीसरी चीज अगर खत्म हो गयी जनता में से सुरक्षा की भावना खत्म हो गयी तो उस सरकार को एक मिनट रहने का अधिकार नहीं है। बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है लेकिन सुरक्षा की भावना जहां तक है यह चिन्ता का विषय है। चाहे हम इधर बैठें हों या उधर बैठे हों, अपने-अपने क्षेत्र में सबको जाना पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र में गया दो सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थीं। रायफल लूट ले गये आज तक पता नहीं है, 3 सिपाही मारे जा चुके हैं।

मान्यवर, इटावा का एक लड़का अछलदा का छूट कर आया है तो उसने बताया कि 100 अपहृत लोग वहां पर अभी भी हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी को नींद कैसे आ रही है ? इटावा का हाल यह है। मैं इटावा के बारे में एक घटना बताना चाहता हूं। मैं बाग्बाग से होकर निकल रहा था एक सूरदास ने लिफ्ट मांगी तो मैंने उन्हें गाड़ी पर बैठा लिया। हर सूरदास में कुछ न कुछ गुण होता है मैंने कहा कि सूरदास जी आपमें क्या गुण हैं आप गाना वाना गा लेते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सूंघकर बता सकता हूं कि कौन सी जगह है। मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा सूरदास जी बतायें कि कौन सी जगह है तो उन्होंने कहा कि यह अजगैन है फिर आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अब कौन सी जगह है तो उन्होंने कहा कि यह उन्नाव है, फिर आगे बढ़े तो मैंने पूछा कि यह कौन सी जगह है तो उन्होंने कहा कि यह कानपुर है, फिर आगे बढ़े तो मैंने पूछा कि यह कौन सी जगह है तो उन्होंने कहा कि यह औरैया है और आगे बढ़े तो पूछा कि कौन जी जगह है तो उन्होंने बताया कि यह इटावा है। मैंने सोचा कि अजगैन का समोसा मशहूर है, तो उसकी गंध से जान गये होंगे, उन्नाव में एल्कोहल की गंध से जान गये होंगे, कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के पोल्यूशन से जान गये होंगे, औरैया में घी की मंडी है उसकी खुशबू लग गयी होगी लेकिन इटावा का कैसे पता चला। मैंने पूछा कि सूरदास जी आपको इटावा का कैसे पता चला तो उन्होंने कहा कि हाथ निकालते ही अंगूठी चली गयी तो हम समझ गये कि इटावा है। तो इटावा की यह स्थिति है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी को नींद कैसे आ रही है जहां 100 लोग अपहृत होकर फंसे हों और निर्भय गूजर शादी का जश्न मना रहा हो जहां तीन-तीन गिरोह दावत खाकर चले जायं उसके बाद क्या यह अच्छा शासन चल रहा है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां एक तरफ सैफई में महोत्सव हो रहा था उसी दिन वहां से 22 कि0 मी0 दूर मैनपुरी जिले में थाना घिरौर के अन्तर्गत 80-90 वाहन लूटे गये डेढ़ दर्जन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। मैं एक पीड़ित परिवार में गया जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसके पिता भाई के सामने लड़की का अपहरण हुआ। लड़की पीली पड़ गयी थी मानो खून की बूंद न हो, बाप से पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई तो इससे यह निकलता है कि जंगलराज के अलावा इसे और कोई चीज नहीं कही जा सकती। कोई और मुख्य मंत्री होता तो उस दिन सैफई महोत्सव स्थगित कर देता लेकिन उसे 3 दिन और बढ़ा दिया। आधे उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां लगी थी। एक तरफ यह हो रहा था और दूसरी तरफ वहां अमिताभ बच्चन तम्बू में बम्बू लगाये बैठे गाकर कमर मटका रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण एक संवैधानिक बाध्यता है। महामहिम जी खुद कलेजे पर हाथ रखकर बता दें। पुलिस उपाधीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया यह बहुत बड़ी घटना है पूरे प्रदेश के लिये। जिस तरह से उसको रोका गया है, यह पूरे प्रदेश और सरकार के लिये विशेष तौर से चिन्ता का विषय होना चाहिये। तमाम बुद्धिजीवी सदस्य यहां बैठे हैं, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, इस तरह से पुलिस वाले मारे जायेंगे, जिस तरह से मारे जा रहे हैं, लाशें सड़क पर पड़ी हैं। मैंने पता लगाया, कह दिया गया कि सिपाही शराब पीते थे, कोई बदचलनी के कारण मारा गया। मैं बताना चाहता हूं कि 53-54 साल का सिपाही, जीवन में कभी बीड़ी तक नहीं पी थी, इसी तरह एक गनर की कारबाइन छीन ली, उसका आज तक पता नहीं लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी लखनऊ आये थे, उन्होंने मनीष हत्याकाण्ड के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की, किसी अधिकारी के पास कोई जानकारी नहीं थी, इसे जंगलराज नहीं कहा जायेगा तो क्या कहा जायेगा ? इसलिये महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

(श्री ओ0 पी0 सिंह सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री कपिलदेव यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण की जो पुस्तिका है, उसमें जो लिखा है, उससे कुछ विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। इसमें एक तरफ कहा गया है कि जनपदों को समाप्त करने से राजस्व की बचत होगी और वहां के लोगों को सुख-सुविधा प्रदान की जायेगी, उसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि उनको प्रशासनिक असुविधा से बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। यह किस तरह की दोनों बाते हैं ? एक तरफ सुख-सुविधा का ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक असुविधाओं के बारे में भी कहा जा रहा है, यह दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिला बने रहने से जो गरीब, गांव का किसान अपना न्याय पाने के लिये कम पैसा देकर न्याय की गुहार कर सकता था, अब वह नहीं कर सकेगा और उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस अभिभाषण में प्रशासन की सुदृढ़ता बढ़ाने की बात की गयी है, इसके लिये जनता-जनार्दन कल्याण की भावना होनी चाहिये, लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं और देखने में यह भी आ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से गांव के गरीब किसान, दलित शोषित समाज के लोग जाकर अपनी बात को कह लेते थे, उनकी सारी बातें वहां सुनी जाती थीं, सारी चीजों पर कार्यवाही भी की जाती थी, सस्ता न्याय उनको मिलता था, लेकिन जिस

दिन से यह सरकार बनी, थाना दिवस और तहसील दिवस को समाप्त करके जनता के हित को ध्यान में न रखने का काम किया गया है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी, मेरा जनपद यद्यपि बहुत छोटा जनपद है, लेकिन उसके अन्तर्गत सैकड़ों घटनायें घटी हैं। कहीं बैंक लूटा गया है, कहीं हीरो-हांडा की छिनैती की गयी है और कहीं व्यापारी सामान बेचने के लिये जा रहा हो, उसको दिन दहाड़े मारा गया है, इस तरह की घटनायें देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं जिस समाज के बल पर यह सरकार बनी है, उस समाज के लोगों का भी शोषण हो रहा है। मेरे जनपद में कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है, वहां का एस0 पी0 और डी0 एम0 जो है, वह किसी के कहने यहां तक कि जनप्रतिनिधियों के कहने के वश में नहीं है। आज प्रशासन में बैठे हुये मंत्री लोगों के कहने के वश में नहीं है, वह उनकी भी बात मानने वाले नहीं हैं। हमारे विधान सभा के अन्तर्गत गमपुर बिलौला चौकी है, जिसमें गजोधर यादव दरोगा तैनात थे, वह अच्छा कार्य करते थे, वहां के सारे गांव के प्रधानों ने यह कहा कि इनको रहने दिया जाय। मैंने एस0 पी0 और डी0एम0 से आग्रह किया कि यह आदमी ठीक काम कर रहा है, इसे आप क्यों हटा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि मैं इसे हटाऊंगा क्योंकि सुविधा शुल्क इससे प्राप्त नहीं होता है, उसे वहां से हटा दिया गया और वहां पर एक व्यक्ति को भेजा गया। मैं कहना चाहता हूं कि आप जिसके बल पर सरकार चलाने की बात करते हैं उनकी भी रक्षा करने में अक्षम दिखायी दे रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में डी0एम0 और एस0पी0 ने निर्दोष व्यक्ति कमलेश यादव, शैलेश यादव पुत्रगण बदरी यादव, भोला यादव पुत्र सौती यादव ग्राम-मुस्कुरा, थाना-घोसी, जनपद-मऊ के ऊपर फर्जी गैंगेस्टर लगाया है। यह मैं बिल्कुल सही घटना कह रहा हूं इसके लिए एस0 पी0, डी0एम0 से बार-बार कहा गया लेकिन गैंगेस्टर नहीं हटाया गया। अपराधी यादव परिवार है और बेहद गरीब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना को सुन लें और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करें। तीसरी बात अल्पसंख्यक और शिक्षा के बारे में कही गयी है, मदरसों के बारे में कही गयी है। आपने लुभावना नारा तो जरूर दिया है लेकिन आर्थिक और सामाजिक उन्नति की बात नहीं कही गयी है। यदि आप इस प्रकार की बात करते तो प्रदेश का अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय जो बुनकर है और आए दिन इस तरह की समस्याएं उसके सामने हैं, बिजली की समस्या होती है और उनके ऊपर चार्जेज इतना लगाया जाता है जिससे कि वह तबाह हो जाता है, उसकी कमर टूट जाती है, उनके बच्चे भूखे रहते हैं, वह बिल कहां से देगा वह बिल नहीं दे पाता है। मदरसों और शिक्षा के बारे में जो नारे दिये जाते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के जरिया के रूप में उन्हें बिजली मुफ्त देने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री राम नरेश यादव हुआ करते थे उन्होंने अपने समय में पिछड़ी जाति के लोगों को छात्रवृत्ति आर्थिक दी थी, आप जिस समाज की बदौलत यहां पर बैठे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति अनिवार्य की जानी चाहिए। जब आप सरकार में आते हैं तब आप स्वकेन्द्र की बात करते हैं, जब स्वकेन्द्र बन जायेगा तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा ? यहां पर हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वकेन्द्र प्रणाली एक बार लागू करके देख चुके हैं और उसके बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं। आप सुश्री मायावती के बारे में बात करते हैं, समाज के जिस वर्ग की बदौलत वह राज करती है उस समाज के लिए वह सबसे पहले काम करती हैं, इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि शोषित और पिछड़े समाज के लोगों की ओर भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए।

राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों के बारे में कहा गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसके अन्दर यदि किसान काम न करें तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा।

लेकिन क्या उसके बारे में आपने कभी सोचा है। पंचायती राज मंत्री जी, बलराम भाई यहां बैठे हुये हैं, क्या इन्होंने कभी सोचा है कि शाहगंज की मिल बन्द पड़ी हुई हैं। किसी काम से मैं सुल्तानपुर गया था वहां मैंने देखा कि किसान शाहगंज से गन्ना बेचने के लिए सुल्तानपुर आ रहे थे। क्या यह संभव है ? क्या आपने किसानों के बारे में सोचा है ?

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करिये।

श्री कपिलदेव यादव-

अगर हमारे प्रांत के किसान को बिजली, खाद व पानी की व्यवस्था कर दी जाय तो वह इतना पैदा करेगा कि वह अपने उत्पादन से पूरे भारतवर्ष को खिला सकता है। हमारा प्रान्त एक उपजाऊ प्रांत है लेकिन सरकार द्वारा कोई सुविधा न दिये जाने के कारण किसान परेशान है। आज धान क्रय केन्द्रों पर बोरा नहीं है। किसान अपने बैलगाड़ियों/ट्रालियों पर अपने बोरों में धान लादकर क्रय केन्द्रों पर ला रहा है लेकिन उसका धान नहीं खरीदा जा रहा है। आप किसानों के हमदर्द बनते हैं तो आपको किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री कपिलदेव यादव-

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ताल है, रतोह ताल। बैकवर्ड/दलित शोषित समाज के लोग उसके किनारे-किनारे निवास करते हैं। कई हजार एकड़ क्षेत्र में पानी भरा रहता है परन्तु हाहा नाले की खुदाई नहीं होती है जिससे जल प्लावन हो जाता है और उससे बड़ा नुकसान होता है। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि नाले की खुदाई करवाये। दूसरे मान्यवर, स्व0 श्री कल्पनाथ राय जी ने इन्दारा से मधुवन तक सड़क का निर्माण करवाया था उसकी 62 लाख रुपये से हाट मिक्स प्लान्ट से मरम्मत करवायी गयी परन्तु दो-चार महीने में वह सड़क खराब हो गयी उसकी परतें उखड़ गयी। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे इलाके में घाघरा नदी के किनारे गरीब, शोषित समाज के लोग बसते हैं और देवरिया से सटा हुआ एरिया है। घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के आदेश दिये गये थे लेकिन धनाभाव के कारण वह नहीं बन सका। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको प्राथमिकता के आधार पर बनवायें। मैं उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब कृपया समाप्त करिये।

श्री कपिलदेव यादव-

मान्यवर, उच्च शिक्षा के लिए गाजीपुर, बलिया और मऊ में बहुत से महाविद्यालय खुल गये हैं। स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी के नाम पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है लेकिन वहां छात्रों का बड़ा

शोषण किया जाता है। स्वर्गीय बालेश्वर यादव आजमगढ़ मण्डल के रहने वाले थे और शोषित समाज के उत्थान व समाज सेवा में उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वर्गीय बालेश्वर यादव के नाम से मऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये जिससे तीनों जिलों की समस्या हल हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया अब बैठ जाइये।

श्री कपिलदेव यादव-

मान्यवर, हमारे यहां एक पुराना अस्पताल था जो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको महिला अस्पताल बना दिया जाय। मेरे यहां मर्यादपुर गजियापुर मार्ग पर बैरियाडीह पुल बन रहा था उसका पाया बनकर तैयार है, लिण्टर नहीं लगा है। मेरी सरकार से मांग है कि उस पुल को पूरा किया जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री उदय राज यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का मौका दिया। मैं अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, लगभग सात माह पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। मान्यवर, अभी अनेक माननीय सदस्यों ने कानून व्यवस्था की बात कही। यहां पर इटावा में तीन समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या करने की बात कही गयी और उसमें यह बताया गया कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। यह कहना गलत है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती और अन्याय करता है तो उससे यह नहीं माना जायेगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। जो लोग इस प्रदेश के कर्मचारियों के रहनुमा बनने की बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय मुजफ्फरनगर, मेरठ में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के पिता जी की गाड़ी रोकने का काम किया गया था तो उस क्षेत्र के सिपाही से लेकर डी0एम0 तक का तबादला कर दिया गया था।

आज समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी अधिकारी नहीं कह सकता है कि जाति के नाम पर बदले की भावना से काम किया जा रहा है। आज सारे प्रदेश को नई दिशा दिये जाने का काम किया जा रहा है। आप उस समय का इतिहास उठा लीजिए उस समय डी0एम0 और कप्तान की स्थिति क्या थी एक जाति विशेष के लोगों की पोस्टिंग की गयी थी। आज देखा जाय तो पता चलेगा कि चाहे ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या किसी जाति के लोग हों यह सरकार सभी जाति के लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। पिछली सरकार के काम को देखा जाय तो उस समय केवल अम्बेडकर विकास योजना, अम्बेडकर ग्राम योजना चलायी जा रही थी। जब से हमारी सरकार आयी है जितने अम्बेडकर गांव थे उनको ठीक करने का काम किया गया है। हर विधायक के क्षेत्र में दस गांवों को लेकर समग्र विकास योजना के अन्तर्गत उन गांवों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा उनकी गरीबी के कारण नहीं मिल पाती थी। मुलायम सिंह की सरकार जो आयी है उसमें कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया गया है। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर जाति के बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, आज तमाम बेसहारा लोगों को, जो 65-70 वर्ष के हो गये, जिनके घरों

में उनका भरण-पोषण करने वाला और नहीं है, पहले उनको 125/-रुपये पेंशन मिलती थी अब उसको बढ़ाकर 150/-रुपये कर दिया गया है। मान्यवर, हमेशा नौजवानों को गुमराह करने का काम किया गया। उनको नौकरी देने की बात की गयी लेकिन नौकरी न देकर नौकरी के नाम पर उनको लूटने का काम किया गया है। इसके पहले एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी देने का काम किया गया।

इस सरकार ने 46 हजार शिक्षित नौजवानों को शिक्षा विभाग में भर्ती करने का एलान किया है और उनको नौकरी देने का काम यह सरकार कर रही है। हमारे सामने बैठे हुए बहुत से लोग अल्पसंख्यकों की रहनुमायी की बातें करते हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब मा0 मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तमाम उर्दू शिक्षकों को नियुक्त करने का काम किया था, लेकिन 1996 के बाद प्रदेश में जो सरकारें आयीं उन्होंने एक भी उर्दू शिक्षक को नियुक्त नहीं किया। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने तीन हजार उर्दू शिक्षकों को नियुक्त करने की घोषणा की है।

उर्दू अनुवादकों के नियुक्ति की घोषणा की है 25 हजार बुनकरों को रोजगार देने का वायदा किया है। मैं ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आज प्रदेश की वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। उस समय प्रदेश का विकास ज्यादा हो रहा था कि इस समय, उस समय कानून व्यवस्था अच्छी थी कि इस समय। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोख्तार अंसारी-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए जो काम कर रही है वह सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि सरकार अल्पसंख्यकों को नौकरी में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के सम्बन्ध में भी विचार करे। दूसरा मैं चाहता हूं कि जनपद की मुख्य समस्या पर ध्यान दें। मऊ जो हमारा क्षेत्र है यह बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जहां बिजली से ही रोजी रोटी चलती है इसलिए मांग करता हूं कि किसानों की तरह बुनकरों को भी फिक्स रेट पर बिजली दी जाए ताकि सरकार की भी फिक्स आमदनी हो और जो बुनकर हैं उनको भी मनमाने ढंग से कर्मचारियों द्वारा बढ़ाई गई बिजली का बिल न देना पड़े। इससे गरीबों की भलाई होगी। तीसरी बात मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर जो 67 मदरसे ऐसे हैं जिनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आठ साल पहले ऐड देने हेतु उनके लिए बजट एलाट कर रखा था पिछली सरकार ने रोक दिया था मैं इसमें पुनः विचार करने में आशा है कि मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकृत कर दें। राजभर जाति को भी अनुसूचित जाति में लेने की सरकार से मैं मांग करता हूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगेलू राम-

उपाध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूं। इस प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट के पहले कहा गया है कि यह सरकार विकास के लिए काम करना चाहती है जिससे दूसरे प्रदेश के लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

देखकर ललचा जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है विकास का काम किस तरह से अवरुद्ध हो गया है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 के लिए धन दिया था लेकिन आज भी वह पैसा जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। एक आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए पिछली सरकार ने करोड़ों रुपया दिया था, वह भी जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। माननीय नेता सदन मौजूद हैं इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक को 100-100 हैण्ड पम्प दिए जायेंगे। लेकिन हमने पता किया तो पता चला कि अब तक इस सम्बन्ध में कोई लिखा पढ़ी नहीं आई है। इससे हम लोगों को क्षेत्र में दिक्कत हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने जनता को आश्वासन दे दिया कि आपके यहां हैण्ड पम्प लगवा देंगे लेकिन अभी तक हैण्ड पम्प नहीं दिए गए। यहां तक कि 2003 के हैण्ड पम्पों को लगाने के जो प्रस्ताव थे वह भी अभी तक पड़े हुए हैं। इस अभिभाषण में समग्र विकास की योजना 16 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही गई है यह धन कहां से आएगा। इसकी क्या व्यवस्था है, इस सम्बन्ध में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछली सरकार में अम्बेडकर गांवों के विकास की बात कही थी उसमें जिस तरीके से अम्बेडकर गांव में विकास हुआ था उसी तरह से समग्र विकास योजना में काम होना चाहिए। उसमें तो 11 सूत्रीय कार्यक्रम थे लेकिन इसमें तो 16 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। निश्चित रूप से यदि इस तरीके से काम होगा तो जो इस पुस्तिका में कहा गया है वह सही माना जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है इसके लिये इसमें धन की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे यह काम होना मुश्किल लग रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा के बारे में इसमें तमाम बातें कही गयी हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। संयोग से सदन में हमारे राजस्व मंत्री बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जफरपुर में साढ़े तीन बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अर्लापुर में 1 बीघा जमीन पर दलितों ने कब्जा किया था जिसमें 34 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई, जिसमें से 17 पुरुष और 17 महिलाएं हैं। आज भी उनका उत्पीड़न चल रहा है। अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्री जी इसकी जानकारी करके इसमें कार्यवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहता हूं कि जिला समाप्त करने के बारे में बात कही गयी है। उसमें जो जिले समाप्त हुए हुए हैं उससे गरीबों का उत्पीड़न हुआ है। हमारे पड़ोस में अम्बेडकरनगर में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयीं थीं लेकिन जान बूझकर उसको समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

* श्री प्रदीप माथुर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, विगत 5 महीनों में जो राहत की सांस गत सरकारों के जाने के बाद मिली है उससे जनता राहत महसूस कर रही है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इस सरकार के जितने भी कार्य कलाप हैं उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से विद्युतीकरण के लिये 3500 मेगावाट का संयंत्र लगाने के लिये जो समझौता किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर से, उससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बढ़ेगी और उसमें सुधार आयेगा। सड़कों के सुधार के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो योजना बनाई है, वह प्रशंसनीय है। नहरों की सफाई के लिये पैसा एलाट किया गया है उससे किसानों को राहत मिलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो औद्योगीकरण के लिए एक विकास परिषद् बनाया गया है और प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करके प्रदेश की स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया जा रहा है वह भी प्रशंसनीय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मथुरा बृन्दावन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर पेयजल का संकट बना हुआ है। तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री लालजी टण्डन जी ने वहां इस डर से कि कहीं मायावती जी गोकुल बैराज का नाम शाहू जी बैराज न रख दें उसका उद्घाटन कर दिया। आज उसका काम आधा अधूरा पड़ा है, उसके काम के लिये 23 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 300-400 किलोमीटर पाइप लाइन पड़नी थी।

शहर के अन्दर पाइप लाइन पड़नी शेष है यह पैसा अवमुक्त कर दिया जाय तो वहां पेयजल संकट दूर हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मथुरा वृन्दावन एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर है। तत्कालीन पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वहां पर सड़कों की स्थिति यह है कि उसमें एक-एक फुट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। मथुरा वृन्दावन अन्तर्राष्ट्रीय रिलिजेस टूरिस्ट शहर है। इससे प्रदेश और देश की हेठी होती है। इसकी प्रमुख सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिये पैसा दिया जाय जिससे इनकी स्थिति में सुधार हो सके। मान्यवर, तत्कालीन सरकार ने वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध पशु चिकित्सालय का नाम पंडित दीन दयाल के नाम पर रख दिया लेकिन उसके विकास के लिये एक भी पैसा नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि जो एशिया के दर्जे का पशु चिकित्सालय होता है वह पशु चिकित्सालय नजर आ रहा है धनाभाव के कारण वह त्रस्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं उसके लिए पैसा आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। मान्यवर, मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में बाबा जय गुरुदेव ने जर्मानों पर अवैध कब्जा कर रखा है उसके कारण समस्त इन्डस्ट्रिलिस्ट और छोटे-छोटे उद्यमियों का हाल खराब है इनके प्लाटों पर बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इससे वहां के लोग त्रस्त हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यमुना प्रदूषण के लिए योजना बनाई है उसका स्वागत है। यमुना एक्शन प्लान के लिए पहले ही दिन जिस दिन मुख्य मंत्री जी हुए थे, उच्च स्तरीय जांच के आदेश मुख्य मंत्री जी के माध्यम से कराए थे। लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन् मथुरा में विश्राम खण्ड है वहां लोग आचमन करते हैं, धार्मिक भावनायें जुड़ी हैं, लेकिन यमुना के जल की स्थिति को देखें तो वहां का जल इतना जहरीला हो गया है, लेकिन धर्म भीरू जनता की वहां आस्था है। जापान के सहयोग से यमुना एक्शन प्लान के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। मैं आपके माध्यम से, जो जांच बैठाई गई है, उसमें जांच कराई जाए और ठेकेदार और प्रशासन इन्वाल्व है उनको दंडित किया जाये ताकि पतित पावन यमुना में जो पैसा खाया है, 27 करोड़ का मामला है, यह उजागर हो सके और वहां की जनता की धार्मिक भावनाओं को, आस्था को चोट न पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मुख्य मंत्री जी ने जो 12वीं कक्षा तक शिक्षा फ्री करने की बात कही है उनकी इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे प्रदेश में जो संदेश गया है वह बहुत अच्छा संदेश गया है। मैं कहना चाहूंगा यह विकासोन्मुख सरकार हमारे मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पूरे पांच साल तक चलेगी प्रदेश का विकास होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के प्रतिपक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए विस्तार से, माननीय सदस्यों ने वस्तुस्थिति को कई विषयों पर रखा है, कुछ मामले मैं अपने जनपद से सम्बन्धित उठाकर इस अवसर का मैं उपयोग करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरठ में व्यापारियों के द्वारा जनता के द्वारा शस्त्र लाइसेंस लिए जाने का प्रकरण जिलाधिकारी के पास लम्बित है और माननीय मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट आदेश करने के बाद शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किये जा रहे हैं जनता लाइसेंस मांग रही है औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं जबकि यह नियमानुसार निर्गत किए जाने चाहिए। श्रीमन् इसी तरह से कचरे से बिजली बनाने के सम्बन्ध में ई0 डी0 एल0 इण्डियन लिमिटेड को लेटर आफ इन्डेन्ट जारी किया गया था, मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने अनुबन्ध को अन्तिम रूप दे दिया है। मेरठ में 600 मीट्रिक टन कचरा निर्गत होना है यहां कचरे से बिजली बनाने की योजना लागू की जाए। इससे 15 सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और कचरे का भी निस्तारण होगा। अनुबन्ध के आधार पर मेरठ नगर निगम और इस कम्पनी के बीच अनुबन्ध कराकर इसको करायें। मेरठ स्पोर्ट्स कालेज की लड़कियों के लिए इलाहाबाद में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की घोषणा की गई और सिर्फ औपचारिकता ही वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की लम्बित है। मैं चाहता हूं कि इसमें शीघ्रता लायी जाए। मेरठ जनपद की पुलिस के लिए कुछ संसाधनों के सम्बन्ध में मैंने लिखकर दिया है और वहां से भी लिखकर आया है, आवश्यक संसाधन, कुछ उपकरण, वाहन, हथियार ये मेरठ पुलिस को चाहिए, यह आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों से मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। मैं मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं। पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर से चाहे वह भारत सरकार के सहयोग से हो या प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए क्योंकि मेरठ, हरियाणा और दिल्ली अन्तर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ जनपद है यदि वहां की पुलिस को संसाधनों से युक्त किया जायेगा तो कानून व्यवस्था ठीक रखने में काफी मदद मिलेगी। मान्यवर, मऊ खास चीनी मिल को चलाने के लिए एक उद्योगपति को दिया गया था, लेकिन अब वह हीलाहवाली कर रहे हैं इसके लिए सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग कर चीनी मिल को चलवाये। इसी प्रकार जल निकासी व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरठ की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। जो अंग्रजों के समय का नाला है, आबादी बढ़ने से बोझ बढ़ गया है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। जब हम लिखते हैं तो कहा जाता है 73वां-74वां संविधान संशोधन पारित हो गया है, नगर निगम अपने संसाधनों से ही उसे करेगा। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। अतः मेरठ की जल निकासी एवं तंग नालों की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

बाजपेयी जी कृपया समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरठ में साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क के निर्माण की भी घोषणा सदन में हुई थी, उसमें कार्य होना चाहिए। मान्यवर, प्रत्येक विधायक को 100 हैण्डपम्प देने की घोषणा हुई है, मैं उसका

स्वागत करता हूं, यह हैण्डपम्प ग्राम्य विकास विभाग से लगेंगे लेकिन विधान सभा के 19 ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनका क्षेत्र शत प्रतिशत शहरी है, ऐसे विधायकों को ग्राम्य विकास विभाग से हैण्डपम्प नहीं मिल पायेंगे और नगर विकास विभाग को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। मेरा आग्रह है कि शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं। उनके लिए नगर विकास विभाग को लिखकर जाना चाहिए जिससे 19 शहरी विधायकों के भी हैण्डपम्प लगाये जा सकें। एक आग्रह और करूंगा, 5 गांव विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों को मिले हैं, गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विधायकों को जो 15 लाख रुपये सिस्टम इम्प्रूवमेंट के मिलते थे, उसे* लागू रखा जाए जिससे विधायकों के साथ मतभेद न हो। इसके साथ-साथ मैं इन सुझावों को रखने के साथ-साथ उन पर कार्यवाई की मांग करता हूं और जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका विरोध करता हूं।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मैं प्रारम्भ में ही अपने योग्य विद्वान साथी जिन्होंने इस पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उनके द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव के एक-एक शब्द का हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए ही समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं बल्कि इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि मैं लगातार जब से सुन रहा हूं, चर्चा चल रही है, एक भी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं एक भी राज्यपाल के अभिभाषण की आलोचना के समर्थन में एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं कि यह गलत है। कोई अपने क्षेत्र की बात कह रहा है कोई कुछ। मैं जानता हूं कि इस राज्यपाल के अभिभाषण से कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वह हमारे नेता श्री लालजी टण्डन जी खुश हैं। मैं इतना कहकर अपनी बात बढ़ाऊंगा कि राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है। वह किसी भी सरकार के आने वाले एक वर्ष के कामकाज का आईना होता है, एक संकल्प होता है, राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है कि हम क्या करेंगे। इसमें जो कुछ लिखा है कोई एक कॉमा, एक फुलस्टाप के साथ एक वाक्य तो बताये जो जनहित में नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी जो आप तबाह और बरबाद होते उत्तर प्रदेश को बचा रहे हैं। कुछ लोगों ने मसलहन, कुछ लोगों ने इरादतन, कहा कि आपने प्रदेश को तबाह और बरबाद कर दिया। माननीय मुलायम सिंह जी आज इस प्रदेश को तबाह और बरबाद होने से बचा रहे हैं। आप आलोचना करें बिजली की, सड़कों की, कानून व्यवस्था की आपको छूट है पर पहले अपने गिरेबान में भी जरा सा झांककर देखें। 5 साल कुछ मिलाकर साढ़े 6 साल आपकी सरकार चली। आप उस समय में उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक भी ऐसी जगह बतायें जहां आपने एक मेगावाट का उत्पादन बढ़ाया हो। बढ़ाना तो दूर कांग्रेस की सरकार ने जो बिजली के उत्पादन केन्द्र लगाये थे आप उसको भी बेंचकर खा गये, टांडा, ऊंचाहार। आप बिजली तो दे नहीं सके, उत्पादन बढ़ा नहीं सके जो उत्तर प्रदेश में था उसको आपने बरबाद कर दिया और अब आप राज्यपाल के अभिभाषण पर आलोचना करने के लिए खड़े हो गये। बिजली कहां से लायी जाये ? आपके पेट से निकाली जाये।

(सदन में हंसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए जब तक आपकी सरकार रही बिजली आपके समय में नहीं मिली। सड़कों की हालत का क्या कहें, औरतें अस्पताल नहीं पहुंच पाती थीं, रास्ते में ही आबादी बढ़ जाती थी जब आप नगर विकास मंत्री थे। अब कम से कम औरतें अस्पताल तो पहुंच जाती हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

शायद आपके साथ कुछ घटा हो।

श्री प्रमोद कुमार-

अब कुछ घटेगा तो मेरे साथ ही घटेगा। उम्र का फर्क भी तो होता है। अगर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं एक आरोप लगाता हूं कि प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने का बकाया का भुगतान नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और अगर मैं और ठीक से चिन्हित करूं तो हमारे ही एक ऐसे साथी की जिम्मेदारी थी जो कभी इस विधान सभा के सदस्य थे और आज उनके हाथ में वह मौका है लेकिन जैसे पहले वह हवाई घोषणा करते थे जिससे मिलता जुलता हो आप उससे जोड़ लें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। वहां भी बैठकर घोषणाएं कई बार कर चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश की मिसाल आती है, उड़ीसा का लोग उदाहरण देते हैं। आपने उत्तर प्रदेश को कोई पैकेज दिया नहीं दिया, और आपने एक काम किया कि स्टे ले लिया और यही कारण है कि उस स्टे की बदौलत आज यह सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। जरूरत इस बात की थी कि आपके दल के नेता दिल्ली जाकर प्रधान मंत्री से अनुरोध कर लें क्योंकि दो महीने से ज्यादा उनके पास समय नहीं है। चुनाव के बाद तो उनकी सरकार आनी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी कृपया समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता को तो ज्यादा समय मिलता है। आपने जो आज गन्ना किसानों को बरबाद कर दिया है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आज इस सरकार के द्वारा भुगतान कराये जाने की कोशिश की जा रही है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब किसान रामकोला और बस्ती में अपना भुगतान मांगने आये थे तो आपने उन्हें भुगतान के बजाय उन पर गोली चलायी थी।

(शेम-शेम की आवाजें)

आपने यह भी कहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग प्रशासन चला रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज तो प्रशासन खुला हुआ है। लोग मुख्य मंत्री जी से मिलने लगे हैं, मंत्रियों से मिलने लगे हैं। आप लोग तो विधान सभा भी नहीं बुलाते थे। पुरानी सरकार में दो तीन लोग मिला करते थे बाकी लोगों के तो दर्शन ही नहीं हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब केवल एक व्यक्ति पर पूरा प्रशासन केन्द्रित था और पंचम तल पर लोग शीश नवाने जाते थे। शर्म आनी चाहिए। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली कर दी है।

(मेजों की थपथपाहट)

आज आप अपराधियों की बात करते हैं। जब आपका मंत्रिमण्डल था और आपके जो अगल-बगल लोग बैठते थे उनकी जरा आप हिस्ट्री शीट निकलवाकर देख लें तो पता लग जायेगा। आप उनको क्यों अपने मंत्रि-मण्डल में महिमा मण्डित करते थे। आज जो उत्तर प्रदेश की जनता पर पचहत्तर हजार

करोड़ का ऋण है यह आपकी कृपा से ही है। आप लोगों के कुप्रवन्धन और कुप्रशासन से पचहत्तर हजार करोड़ का ऋण उत्तर प्रदेश की जनता पर लदा है। आज यह बढ़कर एक लाख करोड़ हो गया है। 89 में जब हमारी सरकार थी तो हम फायदे में थे तो फिर यह कहां से आया।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय प्रमोद जी समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी जो मैंने शुरू किया है। मैं एक दो बात कहकर समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मुलायम सिंह जी चाहे जितनी बातें करें या कोई और मुख्य मंत्री करे लेकिन आज स्थिति क्या है। कोई भी प्रदेश अपने स्रोतों से राज्य का विकास नहीं कर सकता है। यह सच्चाई है कि राज्य का विकास तभी होगा जब केन्द्र सहायता देगा या फिर बाहर से पूंजी मंगायी जायेगी और उससे निवेश होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके समय में कितना पूंजी निवेश हुआ है। जो था भी उनसे कितना वसूला गया कि वह छोड़कर भाग गये। पांच-पांच साल रहे केन्द्र सरकार से कितना पैकेज आपको मिला यह बता दें। अभी कोई कह रहा था कि डिप्टी एस0 पी0 ने इस्तीफा दे दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार में इतनी वसूली हुई कि आजमगढ़ के एक डिप्टी एस0 पी0 ने आत्महत्या कर ली। एक चीज और कही गयी कि एक अधिकारी कीचड़ में जी रहा है एक फैशन का बन गया है कि राजनीतिज्ञों को गाली दे दें उस पर मेजें थपथपा दी जायं। मान्यवर, मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया है उसने अपने कोड आफ कण्डक्ट का उल्लंघन किया है। उसके त्याग-पत्र पत्र पर सारे राजनीतिज्ञ हस्तक्षेप करते हैं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसका त्याग-पत्र तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए और इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। पोटा के विरोध में हम सब कह रहे हैं कि पोटा नहीं लगना चाहिए। पोटा कानून ही गलत बना हुआ है। अभी कई लोग पोटा पर बोल रहे थे, विधान सभा में बोलने से पहले कानून की जानकारी कर लेनी चाहिए अगर किसी को कहीं से जानकारी न मिले तो वह हमारे पास आये हम उसे यह जानकारी दे देंगे। यहां तो अभी अपराध हुआ ही नहीं है तो फिर कॉन्सीपिरेसी कैसे बन गयी, कॉन्सीपिरेसी जब भी बनती है, जिसको 120 बी कहते हैं, जहां अपराध घटित हो जाता है, यहां तो अपराध घटित ही नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दृढ़ता दिखायी है, आप अपनी दृढ़ता बिजली की सुचारु व्यवस्था करने में दिखायें, बेरोजगारी को दूर करने के लिए दृढ़ कदम उठायें। मान्यवर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ता था, तो उस समय हिन्दी की बहुत सारी बातें हुआ करती थीं, लेकिन यह जो फील गुड का नारा है, यह अंग्रेजी का नारा है, मान्यवर, इतनी अमेरिका की गुलामी ठीक नहीं है कि नारा भी हम उनसे लेंगे। जब फील गुड की बात होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोल रहा हो। आपके अध्यक्ष जी की शक्ल-सूरत भी कुछ ऐसी ही है। पेट में अनाज हो न हो, पर फील गुड महसूस हो, बच्चे भुखमरी की कगार पर हों, गरीब बाप अपने चार-चार बच्चों को नदी में फेंक कर मार दे पर फील गुड महसूस हो। 50 करोड़ से लेकर 55 हजार करोड़ तक का घपला हो पर फील गुड महसूस हो। कैसे फील गुड होगा टण्डन जी, नारा बदलिये नहीं तो आपका बुढ़ापा आ गया, जमाना बदल गया है, इस नारे से कुछ नहीं होने वाला। आपका फील गुड का नारा ऐसा लगता है जैसे किसी जले के जख्म पर नमक डाल दिया गया हो। एक नेता ने कहा है कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव साथ होंगे,

मान्यवर, इस विधान सभा का कार्यकाल अभी तीन साल बाकी हैं, यह चाहे जितने आरोप लगायें, चाहे जितनी अफवाहें उड़ायें, चाहे जो करें, इस विधान सभा का कार्यकाल पूरे पांच साल चलेगा, पूरी ताकत के साथ चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस पर आपका झगड़ा हुआ था और जिस झगड़े पर आप दोनों अलग हुए थे, पर हम अलग होने वाले नहीं हैं। हम विधान सभा का कार्यकाल 5 साल पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे पांच साल में जो तीन साल बीता हुआ है और उसमें जो आपने पाप किए हैं, उनमें कुछ कमी करें। जनता जब कहे कि हम खुश हैं, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो जो आपके फील गुड का जो नारा है, वह फील गुड नहीं सिंक गुड हो जायेगा और उसी में आप डूब जायेंगे। मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक नारे से सहमत हूं उदय भारत, साइनिंग इण्डिया, भारत का उदय होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक यहां से साम्प्रदायिक ताकतों का विनाश नहीं होगा। अभी मान्यवर, विश्वासघात की बात हुई, मैं कहना चाहता हूं कि विश्वासघात की कहानी उधर से शुरू हुई है, इधर से शुरू नहीं हुई है। आपने शुरू की है और आपने (भा0ज0पा0) इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता कि आपको भी तैयार रहना चाहिए यहां की स्थिरता के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपका सहयोग भी लेंगे।

मैं इसी के साथ अपने काबिल दोस्त द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी आपने माननीय विधायकों की निधि 75 लाख रु0 से बढ़ाकर 01 करोड़ कर दिया, विधायकों के क्षेत्र में हैण्ड पम्प लग जाये वह बात ठीक है, विधायकों के क्षेत्र में पांच गांवों का विद्युतीकरण हो जाये वह भी बात ठीक है। लेकिन मान्यवर अभी यह सब बातें ठीक ही ठीक है अभी वैरी गुड नहीं हुई हैं। आप विधायकों को इतनी क्षमता दे दें, हम विधायकों को इतनी सुविधा दे दें कि अगर हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों को ही ठीक-ठाक कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश अपने आप ठीक हो जायेगा। धन्यवाद। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय प्रमोद कुमार, नेता कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्य-कलापों के बारे में चर्चा की। मान्यवर, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी बजट कल यहां इस प्रदेश का प्रस्तुत किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे यह कहना है कि 6 महीनें में जो कीर्तिमान बनाये हैं, वह ऐसा उदाहरण है जिससे आने वाली सरकारों को उससे सीखना पड़ेगा। मान्यवर, इस सरकार ने इस प्रदेश में छः महीने में वह काम करके दिखाया है कि जिससे एक भय मुक्त वातावरण बनाने में मदद मिली है। उससे प्रदेश की जनता में चारों तरफ प्रशंसा है।

मान्यवर, पिछली विधान सभा में मुझे याद है कि माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी और दूसरे माननीय सदस्य यह कहते थे कि खाद नहीं मिल रही है, डी0पी0ए0 खाद नहीं मिल रही है। मान्यवर, मैंने प्रदेश के बीसों जिलों में खुद जाकर देखा है हर

जगह खाद उपलब्ध है। मान्यवर, आज एक बात की बराबर चर्चा की जाती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति एक दम खराब हो गयी है, लचर हो गयी है। माननीय टण्डन जी ने स्वयं इस विधान सभा में कहा था कि पंचम तल में जबरदस्ती यह लिखवाया जाता था कि यह काम करो नहीं तो सस्पैंड हो जाओगे। कम से कम इस सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि किसी अधिकारी से यह कहा हो कि यह काम करो नहीं तो सस्पैंड हो जाओगे। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना है। आज पूरा प्रदेश एक राहत की सांस ले रहा है। मान्यवर, माननीय टण्डन जी लखनऊ में रहते हैं, मैं भी कुछ दिनों तक यहां रहा करता था, आप पिछले साल का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। पहले यहां रोज दो-तीन हत्यायें, अपहरण और डकैती आदि की घटनायें हुआ करती थीं। आज ऐसी हाइट बनाई गयी है कि अपराध की बाढ़ आ गयी है। इसका एक कारण और भी है कि पिछली सरकार में यह निर्देश दिया गया था कि कहीं एफ0आई0आर0 दर्ज न किया जाय और पंचायत कराते थे दरोगा लोग, दो आदमियों में झगड़ा हो जाय तो दरोगा पंचायत कराते थे एफ0आई0आर0 नहीं लिखते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश कर दिया है कि अगर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होगी तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हुकुम सिंह जी जिस जिले से आते हैं मुजफ्फरनगर से वह जिला अपहरण का पूरे उत्तर प्रदेश का केन्द्र था, रोज अपहरण , रोज लूट, रोज डकैती लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है एक भी अपहरण, एक भी डकैती, एक भी लूट, एक भी फिरौती नहीं हुई है। अगर हो तो आप बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक दिन भी नहीं बचा जिस दिन अपहरण न हुआ हो।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

अगर सही है तो आप आँकड़े दें। आप लोग तो वही बात कहते हैं कभी सत्य बात नहीं कहते हैं। मान्यवर, इन्हें सत्य कहना तो आता ही नहीं। मान्यवर, हिटलर का एक सहयोगी था वह कहता था कि सौ बार झूठ बोलो, तो उसको सच मान लिया जायेगा। वही हाल आपके लोगों का है। इतना झूट बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता भ्रमित हो जाए। पहले आपने क्या कहा, कहा कि राम लला हम आयेंगे और मन्दिर वहीं बनायेंगे। अब राम लला को उन्होंने छोड़ दिया अब उनका नाम नहीं लेते अब क्या कहा फील गुड फैक्टर आम जनता भारत की मान्यवर, बेचारी जानती नहीं कि फील गुड फैक्टर है क्या, कहां से यह आ गया ? हिन्दी के शब्दकोष में इतने अच्छे-अच्छे नाम हैं उसको नहीं लिया। भारत के प्रधान मंत्री भारतीय पोशाक नहीं पहने, विदेशी पोशाक में अंग्रेजी में भाषण देते हैं। एक बार मुलायम सिंह यादव ने जब बिल क्लिन्टन आये थे तो उनको बाध्य किया था कि वह हिन्दी में भाषण दें, वह हिन्दी अच्छी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में भाषण दिया। मेरा मतलब है कि यह बजट पर चर्चा नहीं है मैं जानता हूं लेकिन आप देखें दिशा कहां जा रही है सरकार की दिशा गांव से लेकर शहरों तक है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि इस सरकार के कार्यकलापों से प्रभावित न हो और आने वाले दिनों में यह दावा कर सकती है चुनौती के साथ कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का भारत के अग्रणी प्रदेशों में नम्बर एक पर आयेगा। यह मुलायम सिंह यादव के कार्यकलाप हैं और उनकी सरकार के कार्यकलाप हैं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे राजभर जी कि पहले तहसील दिवस हुआ करता था। मान्यवर, तहसील दिवस से जनता ऊब गयी थी। वहां चाय पार्टी होती थी और जांच की दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती थी यह तहसील दिवस था जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। तो माननीय मुलायम सिंह

यादव की सरकार के द्वारा वह चलाया जा रहा है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर कोई बात है तो आँकड़े के साथ कहें, आज 11 प्रतिशत संगीन अपराधों में कमी हुई है और आपने ऐसा बांध दिया कि 75 यहां पर हत्या हो गयी, 200 वहां पर हो गयी। मान्यवर, इस प्रदेश में 7 साल तक आप रहे और इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया।

यहां की विकास दर 3-3 प्रतिशत भी नहीं है, मात्र 0.3 प्रतिशत है। दिल्ली में जहां आपकी सरकार बन गई है, वहां का फील गुड फैक्टर मात्र 4.4 प्रतिशत विकास दर पर आ गया है और आप कहते हो कि तरक्की हो रही है देश की। आपने तो बिजलीघर बेच दिया जो अत्याधुनिक थे, अब माननीय मुलायम सिंह जी बिजलीघर लगवा रहे हैं, वह भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस पर आधारित बिजलीघर लगवा रहे हैं, उस पर भी बड़ी नाराजगी है। हमारे एक मित्र सामने बैठे हैं कहने लगे कि जनवरी में शिलान्यास होने की बात कही गयी थी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बजट में उसका प्राविधान कर दिया गया है, अगर आपने पढ़ लिया होता तो आप यह बात कहते नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में साढ़े 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी और उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली मुहैया करने का काम करेगा। यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार की काम करने की एक झलक है। आपने 55 साल की आजादी में 40 हजार गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक कलम से योजना बना दी कि आने वाले सन् 2009 तक उत्तर प्रदेश का एक भी गांव बचेगा नहीं, जहां विद्युतीकरण न हो जाय।

फिर आप क्या बात करना चाहते हो ? विधायक निधि 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी, एक बार भी आप लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया। पहले जी0आर0वाई0 और एस0आर0वाई0 की योजनाओं में पैसा मिलता था, विकास का, सड़क का, वह बंद हो गया। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक करोड़ कर दिया, लेकिन विपक्ष के एक भी सदस्य ने प्रमोद कुमार को छोड़कर उसकी चर्चा तक नहीं की। धन्यवाद तक नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि एक टण्डन जी भाषण दे रहे थे कि संवैधानिक-असंवैधानिक तरीके से कार्यकलाप होगा तो हम भी उसको टैकल करना चाहते हैं। आप केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हो आप दिल्ली की बात क्यों नहीं करते, आप उड़ीसा की बात क्यों नहीं करते, जहाँ आप गटबन्धन में हैं। जहाँ-जहाँ आपकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में श्यामाचरण गुप्ता के 84-85 साल के पिता का अपहरण हो गया, उसकी आप चर्चा नहीं करते। आपको केवल दो प्रदेश दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। गुजरात में हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, वहाँ की चर्चा नहीं करते हो। आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा, उसकी चर्चा नहीं करते हो। वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर कृष्णामूर्ति जी ने नया उदय, भारत उदय और फील गुड फैक्टर का जो आप प्रदर्शन कर रहे हों, उसको बंद होना चाहिये, यह कहा और यह भी कहा कि यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वह भी आपने बंद नहीं किया।

आप न इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे न सुप्रीम कोर्ट की और न हाईकोर्ट की बात मानेंगे। जब आप कोई भी संवैधानिक संस्था की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा इस देश का ? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पिछले 7 साल आपने इस प्रदेश को जैसे चाहे, वैसा चलाया, बिना रोक-टोक के, अब थोड़ा बर्दाश्त करिये, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को 3 साल चलने दीजिये, आपको कोई बात कहनी हो तो एक साल के बाद कहियेगा, इस विधान सभा में खड़े

होकर अपनी बात कहियेगा, आलोचना करियेगा, हम सब आपकी बातों को सुनेंगे और सही बात को मानेगें। एक बात बड़ी प्रचारित की जा रही है कि विधान सभा भंग होने वाली है, क्यों भंग हो जायेगी, हमारा पूर्ण बहुमत है, यह सरकार अच्छी तरह से चल रही है, आप ऐसा प्रचारित न करें। जनता में यह भ्रम पैदा न करें। आप जनता में कह रहे हैं कि विधान सभा भंग होने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है। यह सरकार चलेगी, पूरे 3 साल डंके की चोट पर चलेगी.....

(मेंजों की थपथपाहट)

मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, आप फैक्टर की बात नहीं मानते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रियल गुड फील फैक्टर की बात कहते और करते हैं और करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे साथी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम नये सदस्य हैं और हम लोग यह उम्मीद करके आये थे कि हमसे जो वरिष्ट सदस्य हैं उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए और ऐसे वरिष्ट नेता के मुंह से निकला कि जिस डिप्टी एस0पी0 ने इस्तीफा दिया उसे सदन में बुलाकर सम्मान दिया जाना चाहिए था। यदि इस तरह से ब्यूरोक्रेट के बारे में बात की जायेगी तो एक समय ऐसा आयेगा जब इधर के लोग और उधर के लोग हम सभी सदन के बाहर होंगे और वह लोग इस सदन में होंगे। हमारे नेता ने आते ही किसानों के बारे में जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उससे समूचा उत्तर प्रदेश खुशहाली मना रहा है। बिजली के बारे में, नहरों के बारे में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने बड़ी बातें कही हैं।

मैं जानता हूं कि नहरों की सफाई के लिए हम लोगों को आन्दोलन करना पड़ता था, दो-दो तीन-तीन महीने तक बिजली की रोशनी देखने को तरसते थे। आज समूचे सदन को नेता सदन को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार में आने के बाद ही उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में 14 से 18 घण्टे बिजली पहुंच रही है। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों का चेहरा मुर्झा गया था, उसके खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। हमारे नेता सदन ने नहरों, रजबहों की सफाई का ऐतिहासिक फैसला लिया, हेड से टेल तक पानी पहुंचाने का फैसला लिया। आज खेतों को पानी मिल रहा है, किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। समय पर आपने पाबन्दी लगा दी है इसलिए ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। हमारे साथियों ने जो महिलाओं और दलितों की बात कही हैं। आपको याद होगा जब कड़ाके के सर्दी पड़ रही थी और दलित महिलाएं सर्दी के कारण दम तोड़ रही थीं तब आपने राहत के नाम पर एक कम्बल तक देने का काम नहीं किया। लोग सर्दी से दम तोड़ रहे थे और उत्तर प्रदेश की मुखिया अपना जन्मदिन करोड़ों-करोड़ों के उपहार ले करके मना रही थीं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमारे नेता के नेतृत्व में जब सर्दी आई तो हर तहसील और हर ब्लाक में, गांव-गांव में उन गरीबों के लिए कम्बल उपलब्ध कराने का काम किया गया। यह दर्द है किसानों के प्रति, इसे एहसास करना चाहिए, यह काम हमारी सरकार ने भाषण से नहीं बल्कि करके दिखाने का काम किया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र बछरावां में किसानों की भूमि जलमग्न रहती है। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर

प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक शेर सुनाना चाहता था इस ख्याल से कि नेता विरोधी दल को एक अच्छा शेर सुनने को नहीं मिला तो फिर बहादुरी का काम कैसे होगा ? लालजी टण्डन साहब माफ करेंगे।

"हर्फाकत कह रहा हूं खुशबयानी मत समझ लेना,
बहारें लौट आयेंगी, बना दो बागवां मुझको ।।"

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री अरविन्द गिरि ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम पूरी बहस को कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं सुन सके परन्तु वह भी एक अच्छा काम था। एक सौ एक कन्याओं का सामूहिक विवाह सहाराश्री सुब्रत राय जी ने स्वयं किया और गरीब लड़कियों की शादी में लगभग दो करोड़ रुपये खर्च किये। कन्यादान मुझे करना था। मैं यह नहीं समझता था कि वहां इतनी गरीब लड़कियों की शादी की जायेगी। उनके चेहरे और रंग देखकर आप समझ सकते हैं कि उनके माँ-बाप कितने गरीब थे ? यह एक अच्छा और पुण्य का काम था। वहां मेरा कार्यक्रम बहुत पहले से लगा था। इस वजह से मैं उपस्थित नहीं रह पाया इसलिए माननीय सदस्य क्षमा करेंगे। वरना मैं पूरी बहस बैठ करके सुनता। आपसे प्रार्थना करके छुट्टी ली थी। इस वजह से सभी माननीय नेताओं के भाषण नहीं सुन सका। लेकिन माननीय नेता कांग्रेस पार्टी श्री प्रमोद कुमार जी के भाषण को सुना। उन्होंने जो कहा उसमें सबका उत्तर उन्होंने दिया है। उससे मुझे भी अहसास हो गया है कि किसकी क्या राय थी ? मुझे खुशी है कि माननीय प्रमोद कुमार जी कह रहे थे कि सभी ने जो कुछ भाषण दिया है, सभी ने महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव की आलोचना करते हुये अपनी-अपनी समस्यायें रखीं हैं। जो समस्यायें रखी हैं, हम अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वह सदन की कार्यवाही में उन सुझावों और समस्याओं को पढ़ें। यह विधान सभा की परम्परा भी थी कि जो मा0 सदस्य या मा0 नेता भाषण दें उसकी समीक्षा अधिकारी करें और समीक्षा करके जो सुझाव जनहित में होते थे, महत्वपूर्ण होते थे, उसको स्वीकार करते थे। इस परम्परा को हम कायम रखेंगे। जो महत्वपूर्ण सुझाव मा0 सदस्यों ने दिये हैं, हमारे अधिकारी उसकी समीक्षा करें और उन सुझावों को स्वीकार करें। टण्डन जी आपका तो उत्तर हम देंगे नहीं। आपने कहा था कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर, अर्थात् दोनों पर एक साथ बोलेंगे। हम भी दोनों का एक साथ उत्तर देंगे और आपको सन्तुष्ट भी करेंगे। वैसे आपको बहुत संतुष्ट कर दिया है माननीय प्रमोद कुमार जी ने।

श्री लालजी टण्डन-

प्रमोद कुमार जी को तो देखकर हम संतुष्ट हो जाते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

आजकल टण्डन जी की जो दशा है उससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं। आराम से रह रहे थे, लेकिन इतना उठ कर गिरे, वह कब तक चैन से रहेंगे, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भगवान उनका भला करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

लेकिन कुछ भी हो प्रमोद कुमार जी आपके भाषण पर बहुत मुस्कुराये नेता जी। यह मुझे अच्छा लगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन नेता बहुजन समाज पार्टी जी, कब अध्ययन करेंगे, कब पढ़ेगें ? वह मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी दशा जो है, आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के पहले सोचें। हम लोगों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। मेरे पास रिपोर्ट है। हम कोई बात छिपाकर नहीं रखते हैं। जब मजबूर हो जाते हैं तब इशारा करते हैं। लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जहां तक विकास परिषद् की आलोचना की बात है, विकास परिषद् के किसी भी सदस्य ने क्या चीनी निगम के टेंडर के मामले में हिस्सा लिया। मौर्या जी बार-बार विकास परिषद् की बात करते हैं। अम्बानी जी विश्वविख्यात उद्योगपति है। आज महाशक्ति अमेरिका दुनियां को परेशान कर रहा है और उस परेशानी में आपके दल की सरकार उनके साथ शामिल है। हम उसके कड़े विरोधी हैं। जब क्लिंटन साहब हिन्दुस्तान आये थे तब पता लगायें कि वह किसके घर पर कितनी देर ठहरे थे और भोजन कहां किया था। धीरू भाई अम्बानी पहले उद्योगपति हैं जिन्होंने कहा था कि हम कभी भी विदेश में पैसा नहीं लगायेंगे। आपकी सरकार ने जब सी0 बी0 आई0 का छापा मरवाया तो उन्होंने कहा था कि अब हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें विदेश में पैसा लगाना चाहिये। लेकिन अच्छा काम किया प्रधान मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, दोनों ने हिन्दुस्तान की जनता के सामने खेद व्यक्त किया। आप उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। उनका मुनाफा कमाने का लक्ष्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक भावनात्मक सोच है। उनके बेटों ने कहा था कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश का विकास करके दिखायेंगे। अपने पिता से भावनात्मक लगाव की वजह से वह काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास का। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं पटना में 8 तारीख को था। अचानक टेलीफोन बम्बई से पहुंचा कि हम लखनऊ आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं 5 बजे लखनऊ पहुंच रहा हूं। आपके मुख्य मंत्री ने पूरी शक्ति लगा दी थी, तीन महीने लगातार प्रयास किया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पायी थी। मैंने पटना से कहा कि मैं 5 बजे लखनऊ पहुंच रहा हूं। वह साढ़े 4 बजे आ गये अपने जहाज से अपने विशेषज्ञों को लेकर। हमसे दो घंटे के लिये कहा था लेकिन 5 बजे से साढ़े 12 बजे तक, लगभग साढ़े छः घंटे उत्तर प्रदेश के विकास के लिये हमसे बात की। केवल बिजली के क्षेत्र में ही नहीं हर क्षेत्र का विकास कैसे हो इस पर चर्चा की। उसके बाद बम्बई के लिये रवाना हुये। नेता विरोधी दल ने इस संबंध में उंगली नहीं उठाई। भारत के प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री जी उनको बिठाते हैं। उम्र में बहुत छोटे हैं। उन पर आप उंगली उठाते हैं। बिजली परियोजना के लिये 10,000 करोड़ रु0 की परियोजना पर काम चल रहा है। जब कोई योजना चालू करते हैं तो उसमें कोई सीमा नहीं रह जाती है। आपको पता है कि जब जामनगर में काम शुरू किया गया था तो ढाई हजार एकड़ जमीन मांगी गई थी बाद में चिमनभाई पटेल ने 7,500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। जामनगर जबकि बार्डर के पास पड़ता है और पाकिस्तान का हमला होता तो सबसे पहले जामनगर निशाना बनता ऐसे लोगों का आदर किया जाना चाहिये, सम्मान होना चाहिये। सारी दुनिया सम्मान कर रही है कम से कम पहले पढ़ा लिखा करिये। आपसे ज्यादा खराब हालत में स्व0 धीरू भाई अम्बानी थे। गांव में अण्डर वियर पहनकर घास छीला करते थे। हम भी साधारण परिवार से हैं। वह भी साधारण परिवार से थे। हिन्दुस्तान का उद्योगपति परेशान था कि यह साधारण परिवार का आदमी कहां से आ गया लेकिन मुकाबला किया और एक इतिहास बनाया शेयर की स्कीम के जन्मदाता कहलाये। मौर्य जी जब हमारे साथ थे तो ऐसा नहीं बोलते थे पहले वह अच्छा बोलते थे पता नहीं अपने नेता को आदर्श मानकर इस तरह से भाषण करने लगे। वही भाषा बोलने लगे। पहले वह विनम्रतापूर्वक भाषण देते थे जब हमारे साथ थे। अब ट्रेनिंग दूसरी हो गई। मौर्या जी थोड़ा तो पढ़कर आइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज पढ़कर आये थे लेकिन उल्टा बोल गये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जहां तक श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव की बात है कि उन्होंने कहा था कि क्या विधान सभा भंग हो जायेगी। विधान सभा भंग होने का सवाल नहीं है। कुंवर साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है हमारी सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले पांच साल भी रहेगी। लेकिन हुकुम सिंह जी का पता नहीं है कि यह कहां जायेंगे। आप तो मेरे साथ आ जायेंगे। बाजपेयी जी, नेता विरोधी दल, राम प्रकाश त्रिपाठी कहें तो ठीक है लेकिन आप तो सभी दल में रहें हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा साथ हमारे साथ रहा है। यह सच है कि आपका ही गुड़ खाकर आ रहा हूं। सच है, मैं सच कह रहा हूं। अभी तुरन्त खाकर आ रहा हूं। खाना नहीं खाया तो थोड़ा गुड़ ही खा लिया। आप तो चीनी का हलवा बनाते हैं हम गुड़ का हलवा बना लेते हैं। हम आपका आदर करते हैं। आपका पहले भी आदर करते थे। पता नहीं आप वहां इतनी निष्ठा क्यों दिखा रहे हैं ? निष्ठा तो आपकी वहां रह ही नहीं सकती है, हमारे साथ रहेगी।

श्री हुकुम सिंह-

निष्ठा के लायक तो हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

लेकिन वह निष्ठा बहुत स्थायी नहीं है वहां। मैं बता रहा हूं वहां पर तनाव महसूस कर रहे होंगे। मान्यवर, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, आप तो शिक्षक रहे हैं और हमारे आपके रिश्ते भी हैं और आपकी वजह से हमने सहदेव सिंह का टिकट कटवा दिया था तो क्या हो गया आपको। क्या बोल गये आप ? सैफई महोत्सव के बारे में कह रहे थे। सैफई महोत्सव के बारे में हिन्दुस्तान में कितना नाम हुआ था। आपको पता होना चाहिये कि आपके कन्नौज जिले के लोग भी उसमें पहुंचे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको पता होगा कि 531 लोग जो दुनिया देखने से वंचित हो गये थे, उन अंधे लोगों को सैफई महोत्सव में दुनिया देखने को मिली। इस सैफई महोत्सव में जो काम किया गया है वह वहां के संगठन के जो नौजवान हैं, उनके द्वारा किया गया। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। सैफई महोत्सव के नाम पर जो हमारा योगदान था वह आया राष्ट्रपति जी के नाम पर। उनकी वजह से कुछ सरकारी खर्च भले ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो डायस बनाया गया है वह सैफई में जो नवजवानों का संगठन बना है उन्होंने अपने से बनवाया है। पूरे के पूरे सम्मेलन से लेकर जितने भी कार्यक्रम वहां पर हुये हैं, केवल राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को छोड़कर सारे उस संगठन के द्वारा किये गये हैं। इसमें मैनपुरी से लेकर औरैया और कन्नौज तक के लोगों का इसमें सहयोग रहा है। इस सैफई महोत्सव के दौरान 531 अंधे लोगों का आपरेशन लेजर की जो सबसे अच्छी तकनीक थी, उसके द्वारा किया गया। इसके माध्यम से ऐसे कामयाब आपरेशन हुये कि लोग आपरेशन के तीन घंटे बाद अपने घर चले गये। कई तरह के सफल आपरेशन वहां पर हुये, कई तरह की जांच वहां पर हुई। मैं जनरल शाही को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने हमारा सहयोग किया। फौजियों का ट्रक वहां पर रहा और उन्होंने उसी कैन्टीन रेट पर सामान लोगों को दिया। यह सैफई महोत्सव।

(व्यवधान)

मैं आ रहा हूं अमिताभ बच्चन की बात पर भी। आप बोलें तो बोलें, आप भी बोलने लगे। ऐसा व्यक्ति जिसको सहस्त्राब्दि का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है, जिसको दुनिया ने सम्मान दिया है, उसको आपने नाचने वाला कह दिया। आप भाषण देना समझते हैं आप उनके साथ विद्वता में चर्चा

करा लें मंच पर भाषण करा लें आपका और उनका भाषण हो जाए, विद्वता देख लें साहित्य के क्षेत्र में भाषण करा लें। अंग्रेजी में, संस्कृत में साहित्य का कोई क्षेत्र ले लें बहस करा लें, उनके उच्चारण को आप जानते हैं ? इतना शुद्ध उच्चारण, इतना विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व और आप नाचने वाला कहते हैं, इतने संयम वाला व्यक्तित्व हिन्दुस्तान को मिला है। सहस्त्राब्दि का सबसे महान नागरिक जिसको कहा जाता है...

(मेजें थपथपाई गईं)

हिन्दुस्तान को उन पर गर्व है, फ़ख्र है, सदन को फ़ख्र करना चाहिए, हमें तो है ही, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए हैं जो देश का सम्मान करता है उसका हम आदर करते हैं, उनके निकट जाना चाहते हैं चाहे वह वैज्ञानिक हों, महामहिम राष्ट्रपति हों उन्होंने हमें अपना एडवाइजर बनाया विद्वान हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे हम रक्षा मंत्री हैं लेकिन हम लिहाज करते हैं तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आपकी कौन सी संस्कृति है तो यह भाषा बोलनी चाहिए। आप हिन्दुस्तान की, भारत माता की बात करते हैं और उनके सपूतों के लिए ऐसी बात करेंगे ? हिन्दुस्तान कैसे महान बन सकता है जब तक ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां रहेंगी ? कैसे हिन्दुस्तान महान बनेगा ?

(मेजें थपथपाई गईं)

भारतीय संस्कृति के प्रति ढेरों नफरत। तो कैसे भारत हिन्दुस्तान बनेगा ? यह राम कृष्ण की भूमि है। इस भूमि पर गौतम, बुद्ध, महावीर जी ने जन्म लिया है...

(मेजें थपथपाई गईं)

फील गुड की बात करते हैं अमेरिका का फील गुड कौन सा गुड है इसे खाना मत-(हँसी) माननीय हुकुम सिंह जी फील गुड के बारे में कह रहे थे क्या हमारे हिन्दुस्तान में नारों की कमी है। हमारे भारत में भाषाओं की कमी हो गई है। तमिल है, बंगला है तमाम भाषा हैं यह अमरीका की भाषा की नकल करेंगे और दूसरे को विदेशी कहेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

क्या जनता समझती नहीं हैं ? क्या आप जनता के बीच नहीं जाएंगे ? क्या हम गूंगे हैं जब जनता पूछेगी भारत माता पर पाकिस्तान ने जब हमला किया तो भारत के जवान भारत की धरती पर शहीद हो गए तो आप फील गुड कर रहे थे ?

(मेजें थपथपाई गईं)

उस समय हमें भी दहशत हो गई जब मैं जा रहा था लेकिन चार एम0पी0 मिल गए उनसे बात करने में लिप्त हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, मंहगी थी ? आप फील गुड कर रहे हैं ? नेता विरोधी दल, जब संसद पर हमला हुआ था, हमारे 11 जवान शहीद हुए थे, कन्नौज की वह बेटी शहीद हुई थी, क्या आप उसके घर गये ? मैं पांच लाख रुपये इसी वक्त देने की घोषणा करता हूं। पांच सेकेण्ड भी वायरलेस नहीं करती तो पूरी संसद चली जाती। आप फील गुड की बात कर रहे है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप आलोचना कर सकते है, हम स्वीकार भी करेंगे। आपको पता होना चाहिए जब एक सेनापति को जबरदस्ती रिटायर किया गया था, आपकी सरकार ने किया था, मैंने उसको सेनापति बनाया था। विद्रोह हो जाता, लेकिन मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की फौज बनाना चाहते हैं ? माननीय प्रमोद महाजन जी पर हमला हुआ था, सिन्हा जी पर जब हमला हुआ था, जो विदेश मंत्री हैं, किसने बचाया था ? यह हमारी परम्परा रही है, आप अमिताभ बच्चन के पीछे पड़े हैं, आप कहते हैं कि पोटा लगने से बचा लिया था। मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम साहब का नाम प्रस्तावित

किया था, हम नेता बनाये गये थे, उसके सदस्य थे, बी0 पी0 सिंह, एच0 डी0 देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल, ए0 बी0 वर्धन और सुरजीत साहब। हमने बचन दे दिया था, देश की जनता को और अब्दुल कलाम साहब के नाम का प्रस्ताव किया। यह हमारी परम्परा है।

हमारा राजनीतिज्ञ चाहे जैसा भी हो, दो बजे भी जगाकर चलने को कहेंगे, चलने को तैयार रहता है। आप उनकी बात करते हैं, पहला टेलीफोन किया, बाथरूम में हैं, दूसरी बार किया-पूजा कर रहे हैं और तीसरी बार किया-दफ्तर चले गये तथा चौथी बार मीटिंग में हैं। आप शिकायत करिए, मैं ठीक कर दूंगा, आप अधिकारियों/नौकरशाही की बात करते हैं, हम उनका मनोबल नहीं तोड़ेगे। यही सदन है, जहां एक एम0एल0ए0 को कोई भी दिक्कत होती थी, सारा सदन एक हो जाता था। आज जब कांग्रेस के एक एम0एल0ए0 यहां पर रहे थे तो क्या हम सभी एक नहीं हो गये थे ? आप लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। यह लोकतंत्र का चमत्कार है कि आप यहां कुर्सी पर हैं। उस चमत्कार की वजह से हम यहां पर बैठे हैं। इसे लोकतंत्र की परम्परा कहते हैं। मामूली-मामूली नौकरशाहों का आप पक्ष लेंगे। आज किसने दखलन्दाजी की है उसकी जांच कौन कर रहा है। एस0टी0एफ0 जांच कर रही है। क्या यह जांच कर रहे थे। यह देखा गया कि माननीय मुख्तार अंसारी हथियार खरीदना चाहते थे। एक भगोड़ा था उससे हथियार खरीदना चाहते थे। तो यह पोटा लगा रहे थे। एस0टी0एफ0 भी यही चाह रही थी। हम नौकरशाहों की कभी परवाह नहीं करते। हम दोहराना चाहते हैं कि कितना भी बेइमान राजनीतिज्ञ हो जनता का काम करता है। बहुत सारी बातें हैं अधिकारियों के बारे में अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ईमानदार अधिकारियों को हमने पहले भी सम्मानित किया है। आज किसी अधिकारी पर दबाव नहीं है। हमारी सरकार के किसी मंत्री ने दबाव दिया तो हम खेद व्यक्त करेंगे। आज अखबारों में छापा गया। आज हम जहां पर हैं यहां से हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा दें। हम यहां पर माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबका विश्वास प्राप्त किया था। यह परम्परा सदन में है। जहां हम बैठे हैं यहां पर श्री मोतीलाल नेहरू, श्रीमती महादेवी वर्मा, पं0 गोविन्द वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह, चन्द्रभानु गुप्त जी जैसे महान लोग इस सदन में रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभायी है। हमें खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं। तो यह सम्मान सदन का सम्मान है। सरकार को सुधार करने दीजिए। अगर कोई और यह बात कहता तो उसको समझाते लेकिन यह आप कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहीं पुलिस की एक गोली लग जाती है तो पूरा घर बरबाद हो जाता है। हमारे पास तो कानून हैं। सब एक से नहीं हैं।

लेकिन जो बिगड़ा है उसको कम से कम सुधारने दीजिये। पहले उसके बारे में पता लगायें। माननीय कल्याण सिंह जी ने मुअत्तल किया था आप पता लगा लें। हमने माननीय मौर्या जी की तरफ इशारा किया था। इनकी इतनी शिकायतें थी लेकिन हमने कभी नाम नहीं लिया। उनकी माँ, बाप रिश्तेदार की चिट्ठियां रखी हैं, लेकिन हमने कभी नाम नहीं लिया। राजनीति में हम लोग आये हैं और बहुत मुश्किल से हम नेता बने हैं। बहुत मेहनत करके हम इस पद पर बने हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत मेहनत से उच्च पद पर बैठे हो। कितने दिन हमने लगाये। हमारा राजनीतिक संघर्ष कितना लम्बा है पैंतीस चालीस साल से हम एम0एल0ए0 हैं लेकिन इन्होंने हमारे इस चालीस सालों की कमाई को पोटा लगाकर खत्म करने का काम किया था। भले आप सफाई दें। हमें पता नहीं कि कब माननीय टण्डन जी इस देश के काम आ जायें। मुझे बड़ा अफसोस है कि यह क्या बोलने लगे ? हां एम0एल0ए0 पर होता, सांसदों पर होता तो यह सब था। अखबारों में जाना चाहिए। आपने कहा कि गोली मार देनी चाहिए। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसके लिए कानून है, वहां पर कहां

आत्मरक्षा की बात है। हम लोग मेहनत से चुनकर आते हैं, कितनों का विश्वास हम पर है, कितने काम हम लोग करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय आपको भी छोटे-छोटे लोगों के लिए क्या काम नहीं करने पड़ते हैं ? हम इस सदन की गरिमा और परम्परा को बनायें। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को एक आदर्श बनाना चाहते हैं। इस सदन की जो कार्यवाही है, जो कार्यप्रणाली है उसको हम हिन्दुस्तान के अंदर एक आदर्श के रूप में दिखाना चाहते हैं। लोक सभा के बाद यह दूसरे नम्बर पर है। एक बात और कही गयी अवैध कब्जा हटाने की, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, माथुर साहब ने जो कहा वह हम सब दिखवा लेंगे। कोई घोटाला होगा हम उसको देखेंगे, आप हमें लिखकर दे दें। बी0एस0पी0 के माननीय सदस्य ने कहा है, लिखकर दे दें हम इसको दिखवा लेंगे, उसकी जांच करा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हां सचिवालय के लोगों की कुछ मांग है इस पर हम विचार कर लेंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग दिया। सुरक्षा कर्मियों के पद नाम की बात है तथा कुछ और मांगे हैं हम आपसे बात कर लेंगे। कई बार ये लोग हमको घेरते हैं, आपकों भी घेरते हैं, इसे हम दिखवा लेंगे।

उसको हम देख लेंगे और आपसे बात कर लेंगे और संसदीय कार्य मंत्री से आप मिलकर बात कर लें और उसके बाद हमसे बतायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जो भाषण हुआ वह विस्तार से हुआ, हम सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ जो यह प्रस्ताव माननीय अरविन्द गिरि ने पेश किया है, उसका हम समर्थन करते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जब आपने राज्यपाल का अभिभाषण पेश किया था तो आपने आश्वासन दिया था कि गन्ना किसानों के मूल्य निर्धारण के बारे में आप बैठकर के रास्ता निकाल लेंगे, कुछ शर्तें बन चुकी हैं, तो अगर आप बैठकर गम्भीरता से उस पर विचार कर लेंगे तों लाखों किसानों को लाभ हो जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह बजट पत्र हो जायेगा, उसके बाद हम इसका रास्ता निकाल लेंगे। इस पर हमारी केन्द्र सरकार से बात भी हुयी है, माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से हमने बात कर ली है और उन्होंने उस पर अमल करने का विचार भी किया है और कहा है जल्दी से जल्दी 450 करोड़ रुपये जुटाना है। हमें लगता है कि शायद वह इससे सहमत हो गए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने असमानता के बारे में कहा था तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, जब हम बैठेगें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय मुख्य मंत्री जी, विगत सरकार में कई परम्पराओं को तोड़ कर एक ऐसा कार्य किया गया था जिसको नहीं करना चाहिए था, जैसे हमारे इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जो जमीन आवंटित थी, जो धन उसके लिए आवंटित था उसे बलात ले लिया गया और जब आपकी सरकार आयी तो आपने कहा था कि हम उस पर विचार कर लेंगे। आपने अभी कहा था कि इसी भाषण को बजट का भाषण भी मान लिया जाय, शायद आपसे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी इसलिए मैं चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए आप एक निश्चित धनराशि का प्राविधान कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब हम अपना उत्तर भाषण देंगे तब आप हमें याद दिला देना, हम उस समय बजट में प्राविधान की घोषणा कर देंगे।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो परिचर्चा हुयी उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टण्डन जी, माननीय नेता बसपा श्री मौर्या जी, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी, मा0 राम गोविन्द चौधरी जी, मा0 सलिल विश्नोई जी, मा0 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी, मा0 सुखदेव राजभर जी, मा0 राम प्रकाश त्रिपाठी जी, मा0 कपिल देव यादव जी, मा0 उदय राज यादव जी, मा0 मोख्तार अंसारी जी, मा0 भगेलू राम जी, मा0 प्रदीप माथुर जी, मा0 डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी, मा0 प्रमोद कुमार जी, मा0 कुंवर रेवती रमण सिंह जी तथा माननीय राम लाल अकेला जी आदि सम्मानित एवं विद्वान सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और पिता तुल्य माननीय नेता सदन के आशीर्वचन के बाद मेरा कुछ कहना शेष नहीं रह जाता, लेकिन मैं अपने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन कर रहा हूं श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण और उसमें जो भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, यह निश्चित हो गया है कि लगभग सभी लोगों ने चाहे अन चाहे मन से भले ही उनकी विवशता रही हो विरोध में बोलने की लेकिन इसका समर्थन ही किया है। मान्यवर, अभी आदरणीय बाजपेयी जी जो विभिन्न विषयों पर सदन में अपनी बात रखते हैं उन्होंने भी इन अभिभाषण के विरोध में विचार न रखते हुए अपने क्षेत्र की बात रखी।

मान्यवर, यह बड़ा ही सुखद अनुभव है क्योंकि मात्र 6-7 वर्षों से ही इस सदन में आ रहा हूं। मैंने कभी ऐसा मौका नहीं देखा होगा जब माननीय नेता सदन ने विपक्ष के सदस्यों की इस तरीके से बाते मानी हों और जो उनकी मांग हो वह स्वीकार की हो। उसी का यह प्रतिफल है कि आज हमारे सामने बैठें विद्वान सदस्य भी यह मानते हैं कि यहां जो वह बातें रखेंगे वह पूरी होंगी।

मान्यवर, आज हम थोड़ी देर के लिए भूल गये थे कि हम सभी उत्तर प्रदेश के इस सर्वोच्च सदन में बैठते हैं। ऐसा लगा शायद हम अपने परिवार में बैठकर अपने पिता व बड़े भाई की कोई नसीहत सुन रहे हों। किसी कक्षा में बैठकर अपने प्रोफेसर या अध्यापक के द्वारा सचेत किये जा रहे हों और जिसमें उनका एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास हो। उस संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं का निर्धारण हो रहा है जिसकी अवधारणा है कि जनता की सरकार, जनता के लिए, और जनता के द्वारा, ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होगी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी जिसमें जनता यह महसूस करे कि यह राज्य उनका है। यह सही है और निश्चित हो गया है हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सदन में जो कुछ देखा है, आज मात्र 172-173 दिन हुए हैं इसमें जो काम हुए हैं वह पिछले 489 दिनों की अपेक्षा जो इस प्रदेश को देखने को मिला वह एक कल्पना से परे है। मान्यवर, इसी अभिभाषण के दौरान अभिभाषण के विरोध में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिनका मैं बहुत आदर करता हूं उन्होंने कहा कि बजट में उन्हें कुछ दिखायी नहीं दिया है। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि आप तो इतने पदों पर यहां पर रहे हैं और अगर आपने उन पदों के कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से पिछले कार्यकाल में किया होता तो आपको इस बजट में जो दिखना चाहिए था वह सही रूप में दिखायी देता। आप यहां नगर विकास मंत्री और आवास विकास मंत्री के पदों पर रहे हैं आप थोड़ी सी कल्पना करें कि यहां जो 417 नगर पालिकाऐं और 195 नगर पंचायत हैं इस पूरे प्रदेश में आपने केवल लखनऊ को ही देखा और लखनऊ के बाहर देखने का प्रयास नहीं किया होगा। आज माननीय

नेता सदन और माननीय आज़म खां साहब ने जो दायित्व निभाया है जिसमें उन्होंने इन सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। पहले यह भी नहीं देखा जाता था कि कौन सी नगर पालिकायें और कौन सी नगर पंचायतें किस प्रकार से काम कर रहीं हैं। आपने उनके कार्यों को नहीं देखा कि कौन से अध्यक्ष क्यों बर्खास्त हो गये ? हमारे माननीय नेता जी के निर्देश पर माननीय नगर विकास मंत्री जी ने सभी अध्यक्षों को बुलाया था और कहा था कि जनता के विकास के लिये काम करों तुम्हें कोई भी बर्खास्त नहीं कर पायेगा। मान्यवर, जबकि पिछले समय में तलवार लटकती रहती थी कि कब कहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष बर्खास्त हो जायेंगे। मान्यवर, जहां तक शिक्षा जगत की बात है मैं भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक सब हैं, शिक्षक परिवार में जन्म लेने का मुझे गौरव मिला है यही नहीं मान्यवर, मेरा सौभाग्य है कि मेरा नेतृत्व भी शिक्षक है, शिक्षकहीनता एक गरीब शिक्षक के दर्द को जिया है हमारे नेतृत्व ने यह दिखा दिया है कि वह शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने का कार्य किया गया है। इससे हजारों हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई कार्य किसी मुख्य मंत्री ने मान्यवर, किया होगा। मान्यवर, इसी के साथ-साथ जो बालिकाऐं 12वीं कक्षा पास कर लेंगी उन्हें पढ़ने का अवसर देने के लिये 20 हजार रु0 का अनुदान मिलेगा। यह एक महान घोषणा है। मान्यवर, शिक्षा में वर्गीकरण पाठ्यक्रम का वर्गीकरण या शिक्षा शुल्क की मांफी की जो बातें किसी पिछली सरकार में होती थीं। वह एक जाति के आधार पर काम होता था लेकिन हमारी सरकार में जाति या धर्म का कोई सवाल नहीं है सवाल है तो सिर्फ विकास का। हमारे नेतृत्व ने हर चीज के देखने का प्रयास किया है।

मैं अपनी बात जहां तक कहना चाहता हूं उसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद की बात चल रही थी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। माननीय नेता सदन जी से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि यह देश ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संयत्र लगने जा रहा है, 6 हजार एकड़ पर उसका विस्तार होगा, 10 हजार करोड़ से अधिक उसकी लागत आयेगी। यह एक स्वप्न है जो किसी ने देखने का काम किया है। मैं कोई और बात कहे बिना एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जनपद लखीमपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहां गोला गोकरननाथ के पास ढाई हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है अगर यह संयत्र वहां पर लगेगा तो हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। इसके साथ ही धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो प्रतिपक्ष के द्वारा संशोधन दिये गये हैं मैं चाहता हूं कि उसको वापस कर लेने का महान कार्य करेंगे तो यह एक उदाहरण प्रस्तुत होगा जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसकों सर्वसम्मति से पारित करेंगे, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने संशोधन को आप वापस ले रहे हैं या उसके ऊपर बल दे रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने अपने भाषण को जिस धमकी के साथ शुरू किया और जिस फिलास्फर की तरह उसका अन्त किया उसमें अभिभाषण में कही गयी बातों का कहीं भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस अभिभाषण में जो था और जितना भाषण हुआ है उसके ऊपर कोई बिन्दु नहीं है यह कहां से अब आ गया, विकास परिषद कहां से आ गया, और यह सब बड़ी-बड़ी बातें कहां से आ

गयीं, जो नाम आ गये वह कहां से आये ? राज्यपाल के अभिभाषण में एक दिन पहले का जो संशोधन होता है उसको पढ़कर उसका उत्तर दिया जाता है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा मैं सहानुभूति के साथ उसको बर्दाश्त करता रहा हूं और मैं भी जब बोलूंगा तो कुछ न कुछ ऐसी बात होगी कि उनके मन को लगेगा लेकिन लोकतंत्र की परम्परा को बनाये रखने के लिए मैं तैयार हूं। हमने पहले भी आश्वासन दिया और आगे भी दूंगा लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको कोई बोलने से रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा वह सहयोग के हमारे दायरे में नहीं आता है। मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार को किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, मैं दे रहा हूं क्योंकि यह बेचारे विकंलांग हैं न इधर के हैं न ऊधर के हैं। यह चाहे किसी की तारीफ करें लेकिन इनकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है ये चाहे अच्छे से अच्छा बोलें।

श्री मुलायंम सिंह यादव-

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान करा ही रहें हैं चाहे ध्वनिमत से या किसी तरह से जैसे होगा। विपक्ष के साथ-साथ माननीय कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी के नेता थे उनके नेतृत्व वाली पार्टी आपके साथ हो गयी तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह ध्वनिमत से या जैसे भी पारित करा दें उसमें सरकार की तरफ से विश्वास प्राप्त करने का भी हो जायेगा, बहुमत है इसलिए बहुमत का भी साथ-साथ हो जायेगा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर "मतदान" सरकार के बहुमत को भी प्रकट करता है ध्वनिमत से सरकार में विश्वास भी व्यक्त करता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है:-पहला, प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुये अपराध, अपहरण, हत्यायें, यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री जी के भांजे के पुत्र की निर्मम हत्या एवं माननीय मुख्य मंत्री के भतीजे का अपहरण, पूर्व मंत्री माननीय धर्मपाल जी के पुत्र का अपहरण, बैंकों में डकैती और प्रदेश की समस्त जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में, दूसरा, केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने की एस0एम0पी0 रु073/. घोषित करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ी हुई एस0एम0पी0 के अनुरूप गन्ना मूल्य का भुगतान न करना, मिल मालिकों द्वारा मनमाने तरीके से एवं अधिकारियों से मिलकर गन्ने का बेसिक कोटा कम करना और विगत वर्ष का भी गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरा, प्रदेश में सुचारु रूप से चल रहे जनपदों एवं मण्डलों को भेदभावपूर्ण ढंग से समाप्त करने के संबंध में, चौथा, प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के बारे में, पांचवां, हर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में, छठा, प्रत्येक आदमी को रोजगार देने तथा इसकी कमी पर रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में, सातवां, नये-नये उद्योग धन्धे लगाने, उनको चलाने तथा इससे आम आदमी को रोजगार और तरक्की देने के सम्बन्ध में, आठवां, हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान की गारन्टी देने व इसमें कसर बाकी रहने पर सीधे सरकार की जिम्मेदारी के संबंध में,

नवां जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जनसामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुये इसे रोकने की योजना के संबंध में,

दसवां सरकार की फिजूलखर्ची रोकने के संबंध में,

ग्यारहवां सरकारी कर्मियों को पहले मिल रही सहूलियतों में कमी के बाद उनमें व्याप्त असंतोष से पैदा हो रहे गतिरोध के संबंध में,

बारहवां किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के संबंध में,

तेरहवां सरकारी कारपोरेशन को उसके बुनियादी मकसद से हटाकर उन्हें बर्बादी तक पहुंचाने तथा इसके बाद औने-पौने दामों पर बिकवाने के लिये जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही के संबंध में,

चौदहवां बाल मजदूरी व बंधुवा मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुये इस पर पाबन्दी लगाने के संबंध में,

पन्द्रहवां बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी के संबंध में,

सोलहवां सरकार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये आवंटित धन को पूरी तरह उसी काम में लगाने के संबंध में,

सतरहवां महिलाओं को उत्पाड़न व अत्याचारों से बचाने की ठोस कार्य योजना के संबंध में,

अट्ठारह वां हर किसान को समय पर बीज, फसल, पानी एवं खाद्य का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के संबंध में,

उन्नीसवां समाज के हर वृद्ध बेसहारा और विकलांग को अनिवार्य रूप से पेंशन देने के संबंध में,

बीसवां नकली और घटिया शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में,

इक्कीसवां प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

बाइसवां अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

तेइसवां पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पाड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पाड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौबीसवां हर परिवार को सरकारी नौकरी की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

पच्चीसवां प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खरीद फरोख्त को पूरी तरह से बन्द करने के सम्बन्ध में,

छब्बीसवां प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

सत्ताइसवां हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलने की गारन्टी के सम्बन्ध में,

अट्ठाइसवां बेरोजगारी को देखते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः सेवा में किसी भी स्थिति में नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में,

उन्तीसवां पोटा का नाजायज इस्तेमाल रोकने के सम्बन्ध में,

तीसवां पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

इकतीसवां शासन द्वारा की जा रही नियुक्तियों में खुलेआम घूस लेने के सम्बन्ध में,

बत्तीसवां घूस लेने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 4 फरवरी, 2004 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर की जो जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र लालगंज की खुवमा देवरी मार्ग व मेहनाजपुर मार्ग की परियोजनायें व बेसों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की, जो जनपद गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से बनने वाले हास्पिटल को अन्यत्र ले जाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की जो जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में भू-माफियाओं एवं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से गांव समाज की हजारों बीघा जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जो राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जो प्रदेश में ट्यूबवेलों हेतु बनी क्षतिग्रस्त नालियों, अधूरी नालियों तथा विश्व बैंक द्वारा निर्मित ट्यूबवेलों की नालियों को बनाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री उदयराज यादव की जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ में करोड़ों रुपयों का घोटाला एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद में सिम्भौली मिल के जल व वायु प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जो जनपद इलाहाबाद स्थित अवन्तिका कालोनी के लोगों का धन एक ठग व्यापारी द्वारा लेकर

फरार हो जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री प्रार्गीलाल अहिरवार की जो जनपद झांसी की तहरौली तहसील में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मार्केट बनाये जाने के संबंध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जो लखनऊ महानगर स्थित सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित कालोनियों को वैध कालोनी घोषित किये जाने के संबंध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना जो श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में उफनते गन्दे नाले एवं सीवर की सफाई कर गन्दगीमुक्त किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की जो जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर निवासी श्री कृष्ण प्रकाश गुप्ता को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमें में फसाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :-

पहली श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, दूसरी श्रीमती विद्या चौधरी, तीसरी श्री घनश्याम शुक्ला, चौथी श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, पांचवी श्री चन्द्रदेवराम यादव, छठी डा0 पूर्णमासी देहाती और सातवीं डा0 सुशील चौधरी की है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ उठने पर)

श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय परम्पराओं के पालन के लिए मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री महोदय, अगर इस तरीके से होगा तो कहिये थोड़ी देर के लिये सदन स्थगित कर दें। अभी हम सबने संसदीय परम्पराओं की बात सुनी, कम से कम उसका पालन करें, जब तक सदन चले तब तक कृपया बैठे रहें।

जनपद सीतापुर के थाना इमलिया, सुल्तानपुर के पुलिस चौकी इन्चार्ज द्वारा श्री चन्द्रिका प्रसाद लोनिया के साथ मार-पीट एवं अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में श्री राम हेत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रकरण में आवेदक श्री विजय बहादुर लोनिया के शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, सदर से करायी गयी। जांच से पाया गया कि दिनांक 30-12-2003 को आवेदक श्री विजय बहादुर लोनिया पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद निवासी बीबीपुर, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर व इसी गांव के निवासी श्री राम आश्रय पुत्र छेदू लोनिया में शराब पीकर झगड़ा फसाद हुआ था जिसकी शिकायत श्री राम आश्रय द्वारा तत्कालीन चौकी प्रभारी कासीकमालपुर उप निरीक्षक श्री सुबाउर्रहीम से की गयी थी। इस शिकायत के आधार पर एक होमगार्ड के साथ उप निरीक्षक श्री सबाउर्रहीम ग्राम बीबीपुर गये थे और उनके द्वारा पहले जग्गा के घर पर तलाश किया गया। फिर

नोट :-- [[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गांव के बाहर बने मड़हा पर आये जहां जग्गा पुलिस को देखकर भाग गया। इसके उपरान्त उप निरीक्षक द्वारा उक्त मड़हे पर उपस्थित आवेदक के पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद व उसकी पत्नी श्रीमती चम्पा देवी के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किये जाने की बात क्षेत्राधिकारी की जांच से प्रमाणित हुई। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी सदन की जांच से उप निरीक्षक श्री सुबाउर्रहीम को दोषी पाया गया फलस्वरूप उक्त उप निरीक्षक को दिनांक 17-1-2004 को ही पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया तथा इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही श्री सालिगराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी द्वारा प्रचलित है।

उक्त के अतिरिक्त श्री विजय बहादुर लोनिया निवासी उपरोक्त के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना इमलिया सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 28/2004 धारा 452/323 भा0द0 वि0 के अन्तर्गत इन्चार्ज चौकी कार्जीकमालपुर व दो अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, लहरपुर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा की जा रही है।]

जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अनुरोध.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया के क्षेत्र पंचायत नगरा के प्रमुख को परेशान करने तथा उनका आर्थिक शोषण करने के लिये मुख्य विकास अधिकारी, बलिया द्वारा दिनांक 24-9-2003 को क्षेत्र पंचायत, नगरा के क्षेत्र पंचायत अंश द्वारा कराये गये कार्यों पर रोक लगाई गई तथा उक्त लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 29-9-2003 द्वारा बहाल किया गया, किन्तु मुख्य विकास अधिकारी, बलिया ने जिलाधिकारी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 08-10-2003 को आदेश दिया कि क्षेत्र पंचायत, नगरा के भुगतान पर रोक लगा दी जाय जिससे क्षेत्र पंचायत के विकास कार्य रुके हुए हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत क्षेत्र पंचायत नगरा के क्षेत्र पंचायत अंश से कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत श्री संग्राम सिंह, भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 द्वारा दिनांक 23-9-2003 को मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी, बलिया ने अपने आदेश दिनांक 24-9-2003 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, नगरा को वर्ष 2000-2001 से अद्यतन स्थिति तक वर्षवार तीन दिन के अन्दर व्यय विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए अग्रिम आदेशों तक क्षेत्र पंचायत अंश से कराये गये कार्यों पर किसी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दिया। खण्ड विकास अधिकारी, नगरा द्वारा यह अवगत कराये जाने पर सभी निर्माण कार्य मानक के अनुरूप

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराये गये हैं तथा कोई भी शासकीय धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया ने अपने आदेश दिनांक 24-9-2003 को जो भुगतान पर रोक लगाये जाने से सम्बन्धित था, को वापस ले लिया तथा खण्ड विकास अधिकारी, नगरा को समस्त निर्माण कार्यों का स्वयं सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए खण्ड विकास अधिकारी, नगरा को निर्देशित कर दिया।

दिनांक 08-10-2003 को जिलाधिकारी, बलिया को दूसरा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ और इसी शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पृष्ठांकित करते हुए लिखित निर्देश दिया कि तत्काल भुगतान रुकवा दें, सायंकाल तक प्रकरण के तथ्यों से अवगत करायें तथा आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत अंश से कराये गये सभी निर्माण कार्यों के भुगतान पर रोक लगाते हुए प्रकरण की जांच हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया को जांच अधिकारी नामित किया। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है तथा श्रीमती श्वेता सिंह, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, नगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सं0-46148/2003 के कारण मामला मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, पंचायती राज मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया कि ईर्ष्या और बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी के ब्लाक प्रमुख हैं और उनका खाता सीज कर दिया गया, 24 तारीख को खाता बन्द कर दिया गया। सी0 डी0 ओ0 ने जांच करके सी0 डी0 ओ0 को दे दिया और 29 तारीख को खाता खुल गया तथा कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी। 08 तारीख को पूर्व विधायक द्वारा पुनः कम्पलेन की गयी और डी0 एम0 ने खाता पुनः बन्द कर दिया और अब पांच महीने हो गये हैं अभी तक खाता नहीं खुला है। कोई पेमेन्ट नहीं हो रहा है और यह सब राजनीतिक ईर्ष्या के कारण किया जा रहा है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों से गलत संदेश जा रहा है।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, उसमें कतिपय जांच के बिन्दु थे। उसमें पहले जांच कराई गयी थी लेकिन जांच से संतुष्ट न होने के कारण पुनः जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं। मैंने एक हफ्ते के अन्दर जांच पूरी कराकर के सूचित करने के लिये कहा है और उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है कि खाता खुलवा दें और उसके बाद जांच कराते रहें ताकि विकास का काम भी हो सके। 6 महीने से पेमेन्ट रुका हुआ है जो सीधे से कांट्रेक्टर्स इधर निकल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में जांच पूरी हो जायेगी।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, बिना जांच रिपोर्ट आये यह सब कैसे सम्भव है ?

जनपद फतेहपुर में विधायक निधि का बिना विधायक की संस्तुति के गलत ढंग से प्रयोग किये जाने विषयक श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ की हेकमा-जौनपुर सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर.....

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[शारदा सहायक खण्ड-23 गोसाई की बाजार नहर की पटरी होते हुए हेकमा जौनपुर मार्ग तक लगभग 07 कि0मी0 लम्बाई की सड़क निर्माण का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उल्लिखित सड़क निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।]

जनपद शाहजहांपुर के दवा व्यापारियों के सेल्समैन श्री मनोज दीक्षित व अनिल सक्सेना के लापता होने और इस विषय में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा संक्षेप में यह सूचना दी गयी है कि.....

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 5-2-04 को शाहजहांपुर के 02 दवा व्यापारियों के सेल्समैन मनोज दीक्षित व अनिल सक्सेना जनपद मुख्यालय से लगभग 50 कि0मी0 की दूरी पर थाना खुटार के अन्तर्गत दुकानदारों से दवाओं के धन की वसूली हेतु गये थे एवं उक्त पैसे वसूले जाने उपरान्त सायंकाल खुटार से वापस शाहजहांपुर के लिये चले थे जिसके बाद से उन दोनों का पता नहीं चला है। दोनों सेल्समैन को पैसा लेकर गायब कर दिये जाने या उनकी हत्या कर दिये जाने की आशंका है। दवा व्यापारियों द्वारा 48 घण्टे व्यापार बन्द रखे जाने का एलान किया गया है। घटना से क्षेत्र में दहशत है तथा शीघ्र

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही न होने पर जन आन्दोलन भड़कने, कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने/सम्पूर्ण जन-जीवन प्रभावित होने की आशंका है, जिस पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

2-पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 6-2-04 को श्री एम0 पी0 सक्सेना द्वारा थाना खुटार पर यह सूचना दी गयी कि उनका पुत्र अनिल कुमार सक्सेना तथा मनोज दीक्षित जो क्रमशः सलीम सर्जिकल एवं मुरली मेडिकल एजेन्सी रमाकान्त नर्सिंग होम पर कार्यरत हैं, दिनांक 5-2-04 को पुवायां, वण्डा, खुटार क्षेत्रों में पेमेन्ट लेने गये थे एवं पेमेन्ट लेने के बाद सायं लगभग 6-7 बजे खुटार चौराहे पर बस की प्रतीक्षा में खड़े थे, जिन्हें रतन एवं जगत मेडिकल स्टोर पर देखा गया। सभी जगह तलाश करने पर जब पता नहीं चला तो थाना खुटार पर दिनांक 6-2-04 को रिपोर्ट संख्या-33 समय 22.00 बजे गुमशुदगी दर्ज की गयी। स्थानीय पुलिस की तत्परतापूर्वक कार्यवाही/छानबीन से दोनों को नई क्वालिस गाड़ी में स्वेच्छा से चढ़ते देखा गया है। मनोज दीक्षित के घर के बाहर एक पत्र में दो लाख रुपये कटरी क्षेत्र में पहुंचाये जाने की बात अंकित है। जिसकी मौलिकता पर परिवारजनों को संदेह होने पर भी गहनता से छानबीन जारी है। खुटार से कटरी की दूरी 150 कि0मी0 होने के कारण अपहरण कर वहां नहीं ले जाया जा सकता है। गुमशुदगी को धारा 364ए भादवि में तरमीम कर निकटवर्ती जनपद में पुलिस टीमें भेजकर विलुप्त व्यक्तियों का पता लगाने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद में शान्ति-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।]

जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्फागंज मार्ग पर पुल का निर्माण रोक दिये जाने विषयक श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुंख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद में अकबरपुर.....

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[इल्फागंज मार्ग से तिलहरा घाट पर थिरुआ नाले पर वर्ष 2000-2001 में पूर्वान्चल निधि राज्य सेक्टर से पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया उक्त पुल के निर्माण हेतु पुराने पुल को तोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, परन्तु वर्तमान में उक्त पुल का निर्माण रोक दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विषयगत पुल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।]

डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, हजरतगंज, लखनऊ के छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से.....

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-- [[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

| यह उल्लेख किया गया है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, हजरतगंज, लखनऊ के छात्रों का श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, अधीक्षक द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मेस बिल के नाम पर 300-300 रुपये लिये जा रहे हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। छुट्टियों में किसी को 500 रुपये तो किसी को 1000 रुपये मिलने चाहिए थे वह नहीं मिले। आपातकालीन चेकिंग के नाम पर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। समाचार-पत्र अपने घर पर मंगाया जा रहा है कम्प्यूटर तथा टी0 वी0 की सुविधाओं से छात्रों को वंचित किया जा रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा उठाये गये शिकायती बिन्दुओं के आधार पर श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास हजरतगंज, लखनऊ को किसी दूरस्थ मण्डल में स्थानान्तरित कर जांच कराने के आदेश निदेशक, समाज कल्याण को दे दिये गये हैं। |

जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर की ग्राम सभा भियांव में रास्ते की पैमाइश होने के बावजूद भी, रास्ता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री काशीराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राम किशोर यादव....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

| पुत्र श्री राम दास यादव निवासी ग्राम बृहम्मापट्टी थाना व तहसील जलालपुर एवं विपक्षी श्री राम बहोर पता उपरोक्त के मध्य चकरोड का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। दिनांक 27-1-2004 को तहसीलदार जलालपुर, नायब तहसीलदार, लेखपाल इत्यादि एवं स्थानीय थाना से पुलिस बल लेकर चकरोड की पैमाइश करायी गयी। पैमाइश से चकरोड श्री राम बहोर यादव उपरोक्त के पक्ष के श्री बलजोर यादव पुत्र श्री रामफेर यादव के मकान के अन्दर से जाना पाया गया, वहीं पर दिनांक 27-1-2004 को नायब तहसीलदार द्वारा खूंटा गड़वा दिया गया। दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने की हिदायत दी गयी। दिनांक 28-1-2004 को श्री रामबहोर यादव के पक्ष के सर्वश्री रामधनी पुत्र छबई, अखिलेश यादव पुत्र बलजोर, विजय बहादुर पुत्र हरदेव, रामफेर पुत्र छबई, बलजोर पुत्र रामफेर यादव ने पैमाइश का गड़ा हुआ खूंटा उखाड़कर फेंक दिये। इस पर श्री रामकिशोर पुत्र रामदास यादव व इनके पक्ष के सर्वश्री संजय पुत्र हरिद्वार यादव, हरिद्वार पुत्र बोधई, योगेन्द्र प्रसाद पुत्र बलराज, अजोर पुत्र लक्ष्मण, संतोष कुमार पुत्र राम अजोर, अशोक कुमार पुत्र रामकिशोर यादव ने मिलकर विवादित स्थल पर पहुंचकर बांस आदि काटने लगे, इसी प्रकरण को लेकर दोनो पक्ष आपस में

नोट :-- | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आमादा फौजदारी हो गये तथा आपस में गुत्थम-गुत्था करने लगे। सर्वश्री राम किशोर यादव, संजय, हरिद्वार, योगेन्द्र प्रसाद यादव तथा रामधनी, रामबहोर, अखिलेश यादव को धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 में गिरफ्तार किया गया। मौके पर श्री बलजोर यादव पुत्र श्री रामफेर यादव की लाइसेन्सी अग्न्य एस0 बी0 बी0 एल0 बी0 एस 19334 बन्दूक तथा 5 अदद कारतूस थाना हाजा पर दाखिल किया गया। अग्न्य लाइसेन्स निरस्तीकरण की रिपोर्ट दी गयी है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तगणों को 14 दिन रिमांड पर जिला कारागार फैजाबाद भेज दिया गया है। विवादित भूमि की पैमाइश एवं निस्तारण हेतु दिनांक 14-2-2004 की तारीख उप जिलाधिकारी जलालपुर द्वारा सुनिश्चित की गयी है। उक्त प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा क्षेत्र में अण्डर निर्माण में हजारों करोड़ रुपये का घपला के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद गाजियाबाद के नोएडा अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-38ए में लगभग 140 एकड़.....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[भूमि का विज्ञापन दिनांक 21-6-2001 को दिये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ब्रोसर की शर्तों के अनुसार इस भूमि पर थीम एम्यूजमेन्ट पार्क विकास किये जाने सम्बन्धी आवंटन-पत्र संख्या-नोयडा/अ0मु0अ0/2002/489 दिनांक 30-1-2002 को उच्चतम निविदाकर्ता मे0 इन्टरनेशनल एम्यूजमेंट लि0 के पक्ष में जारी किया गया है।

ब्रोसर की शर्तों के क्रम में आवंटी द्वारा मे0 इन्टरनेशनल रिक्रीएशन पार्क्स प्रा0 लि0 का गठन किया गया तथा उसी के पक्ष में आयकर विभाग से फार्म-37(आई) प्राप्त किये जाने हेतु एग्रीमेंट टू लीज तथा यथावांछ पट्टा प्रलेख निष्पादन किया गया है।

कामर्शियल फैसिलिटीज स्पोर्टिव टू पार्क ब्रोसर की शर्तों के अनुरूप प्रदान की गयी है तथा इस तथ्य का उल्लेख योजना के विज्ञापन में भी स्पष्ट किया गया था। जहां तक सेक्टर-18 में वाणिज्यिक भूमि की वर्धित कीमत सेक्टर-18 में एक छोटे आकार का भूखण्ड (भूखण्ड संख्या-एफ-16-90 वर्गमीटर) विशेष के विरुद्ध वर्ष 2002 के मध्य में प्राप्त निविदा के आधार पर, आंकी गयी है। इस छोटे आकार के भूखण्ड पर 100 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज, 200 एफ0 ए0 आर0 अनुमन्य है, जबकि पार्क हेतु 119 एकड़ भूमि हेतु ग्राउण्ड कवरेज 20 प्रतिशत तथा एफ0 ए0 आर0

नोट :-- [[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

0.40 अनुमन्य है तथा 21 एकड़ कामर्शियल एक्टीविटीज स्पोर्टिव ट पार्क हेतु ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत तथाएफ0 ए0 आर0 150 अनुमन्य किया गया है।

ब्रोशर की शर्तों में चाय, पानी, सिगरेट एवं रेस्टोरेन्ट आदि तक सीमित किये जाने का कोई बंधन नहीं था। सपोर्टिव कामर्शियल सेन्टर के लिये भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 140 एकड़ का 15 प्रतिशत भूमि अर्थात 21 एकड़ भूमि की अनुमति ब्रोशर की शर्तों के अनुसार अनुमन्य है। 150 एफ0 ए0 आर0 के साथ बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो सकता है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा के विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में तथ्यों का सम्यक् परीक्षण एवं उस पर संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या-100/77-4-2004 दिनांक 25-01-2004 द्वारा श्री विजय शंकर माथुर, भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त को नियुक्त किया गया है तथा इसके लिये तीन माह का समय निर्धारित किया गया है।

वर्तमान में निर्माण कार्य रोकने का कोई भी प्रस्ताव शासन के सम्मुख नहीं है।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 12 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 66 विधान सभा (134)-20-7-2004-813 (कम्प्यूटर)।